हिन्दी नवयुगग्रन्थमालाका ४ था ग्रन्थ ।

प्रेसिडेन्ट विलसन और संसारकी स्वाधीनता ।

लेखक,

श्रीयुत सुखसम्पत्तिराय भंडारी ।

संपादक,

पं० हरीभाऊ उपाध्याय ।

प्रकाशक,

जीतमल लूणिया,

श्रीमध्यभारत पुस्तक एजन्सी,

इंदोर ।

प्रथम वार] अप्रेल सन् १९१९ [मूल्य ।।-)

प्रकाशक,
जीतमल लूणिया,
सञ्चालक श्रीमध्यभारत पुस्तक एजन्सी
बुजांकेट मार्केट-इंदौर ।

मुद्रक,
चिंतामण सखाराम देवळे,
मुंबई वैभव प्रेस, सर्व्हंट्स् ऑफ
इंडिया सोसायटीज् होम सँढर्स्ट
रोड, गिरगांव-बम्बई ।

श्रीयुत सेठ बालमुकुन्दजी भराणी

श्रीयुत बाळमुकुन्दजी भराणी

इन्दौरके मारवाडी समाजमें आप एक ऐसेसज्जन हैं, जिन्होंने
अपने जीवनको सार्वजनिक और लोकसेवाके पवित्र काममें
लगारखा है मारवाडी समाजमें जागृति उत्पन्न करनेके
लिए आप प्रशंसनीय काम कर रहे हैं और इसके सिवा
आपने इन्फ्लूएंझाके समय लोकसेवाका अच्छा
परिचय दिया है इन्दौरकी कई प्रसिद्ध संस्थाऐं
आपसे संतोषकारक सहायता प्राप्त कर रही
हैं मारवाडी जातिके सिवा अन्य लो-
गोंकी सेवा भी आप उत्साहसे करते
हैं. इन्हीं सब बातोंसे प्रभावित
होकर मैं यह लघुकृति आपको

प्रेमके साथ

समर्पण

करताहूँ।

लेखक।

लाभदायक सूचना

हिन्दी संसार में अपूर्व ग्रन्थ.

पृथ्वीराज—पृथ्वीराज चौहानके प्रसिद्ध इतिहासके आधारसे इस नाटककी रचना की गई है। बंगलासे अनुवादित। मू० ।॥)

महात्मा गाँधी—देशभक्त महात्मा गाँधीकी विस्तृत जीवनी और उनके लगभग ५० व्याख्यानोंका संग्रह। पृष्ठसंख्या ४५०। सुन्दर छह चित्रों और बढ़िया कपड़ेकी जिल्द सहित। महात्माजीके सम्बन्धमें अब तक इससे बड़ी और कोई पुस्तक किसी भाषमें नहीं छपी है। बड़ा ही अपूर्व संग्रह है। भारतवासियोंके लिए यह ग्रन्थ धर्मग्रन्थोंके समान पठनीय और मननीय है। मूल्य ३)

हृदयतरंग—जेम्स एलनकी 'आउट फ्राम दि हार्ट' का अनुवाद। हृदयमें उठनेवाली भावनाओंका बड़ी सुन्दरतासे ज्ञान कराया गया है। मूल्य ।≈)॥ आने।

किशोरावस्था—जिन्होने युवावस्थामें प्रवेश किया है अथवा जो करनेवाले हैं उन्हें अपना भविष्य जीवन चलानेके लिए इस सुन्दर पुस्तकको अवश्य पढ़ना चाहिए। मूल्य ॥≈) आने।

खाँजहाँ—इसमें दिल्लीके सम्राट् औरंगजेबके साथ मालवेके वीर और मनस्वी नवाब खाँजहाँ लोदीके युद्धका, उनकी अलौकिक वीरताका, और अपने कुलकी गौरव-रक्षाके लिए बलिदान होनेवाली उनकी बेगम गुलनार, शाहज़ादी रजियां, शाहजादा अजमतका बढ़ा ही सुन्दर चित्र खींचा गया है। मूल्य १≈)

भूकंप—लेखक श्रीयुत रामचंद्र वर्मा। इसमें भूकम्पसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बातें हैं उनका सरल-सुबोध भाषामें वर्णन किया गया है। इसे पढ़ कर पाठक पृथ्वीके गर्भकी अनेक ज्ञातव्य और अद्भुत बातें जान सकेंगे। मूल्य १।≈)

मूर्खमंडली—यह बंगालके सुप्रसिद्ध नाटककार स्व० द्विजेन्द्रलाल रायके एक सुन्दर प्रहसनका अनुवाद है। अनुवाद पं० रूपनारायण पाण्डेयने किया है। मूल्य ॥।) आने।

पत्रांजलि—एक स्त्रीके अपने पतिके नाम लिखे हुए और एक पतिके अपनी स्त्रीके नाम लिखे हुए मनोरंजक और शिक्षा-प्रद पत्रोंका संग्रह।

इसमें हँसी और प्यारकी बातोंके साथ साथ गृहिणी-कर्तव्यकी शिक्षा दी गई है। मूल्य ॥) आने।

स्वराज्य और हमारी योग्यता—जो लोग कहते हैं कि भारतवासी स्वराज्यके योग्य नहीं है उनका इस पुस्तकमें मुह तोड जबाब दिया गया है—बडे परिश्रम और अध्ययनसे लिखी गई है इतनी उपयोगी पुस्तक का मूल्य केवल ।)

सेवासदन—सुप्रसिद्ध गल्प-लेखक प्रेमचन्दजीका हाल ही प्रकाशित हुआ स्वतंत्र सामाजिक उपन्यास । समाज-संशोधनकी शिक्षा देनेवाला उत्कृष्ट उपन्यास मूल्य २॥)

प्रवासी भारतवासी.

वढ़िया स्वणवर्णांकित जिल्द। पृष्ठसंख्या लगभग ७६०। आठ सुंदर हाफटोन चित्र। मि० एण्ड्रूजकी भूमिका; भारतमित्र-सम्पादक पं० अम्बिकाप्रसादकी प्रस्तावना और पं० तोताराम सनाढ्यके चार शब्द। प्राचीनकालमें भारतवासी कहाँ कहाँतक प्रवास करते थे; कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किये आदि प्राचीन बातोंका एक अध्यायमें उल्लेख करके शेष सारे ग्रन्थमें हमारे वर्तमानकालीन प्रवासियोंके दुःखोंका जीता जागता सच्चा चित्र अंकित किया गया है! युरोप अमेरिका ओर आफ्रिकाके किन किन देशों और द्वीपोंमें भारतवासी रहते हैं, उनकी संख्या कितनी है, वहां उनके साथ कैसे कैसे बर्ताव किये जाते है, भारतवासी आरकाटियोंके द्वारा कहाँ किस तरह बहकाये जाते हैं, उनके साथ कैसी कैसी धोखेबाजियां की जाती हैं, जहाजोंमें उनकी कैसी दुर्दशा होती है, उपनिवेशोंमें उनसे कितना अधिक परिश्रम लिया जाता है, आदि सभी जानने योग्य बातोंका इस पुस्तकमें पचासों ग्रंथोंके आधारसे और पत्रव्यवहारसे संग्रह किया गया है। अबतक किसी भी भाषामें इस विषयकी ऐसी अच्छी पुस्तक नहीं लिखी गई है। मु० ४।)

हिन्दीकी सबप्रकारकी पुस्तकें मिलनेका एक मात्र पताः—

श्री मध्यभारत पुस्तक एजन्सी-इन्दोर.

भूमिका ।

अमेरिकाके प्रेसिडेन्ट विलसनकी संक्षिप्तजीवनी और उनके व्याख्यान पाठकोंके सामने रखते हुए हमें बड़ा हर्ष होता है । आज कल प्रेसिडेन्ट विलसनकी नीतिकी संसारमें जयजयकार हो रही है और उनके विचार बड़े आदरकी निगाहसे देखे जा रहे हैं । मि० विलसनके विचारोंमें स्वाधीनता, समानताके भाव तथा राजनीतिके उच्चतम तत्व भरे हुए हैं । जो लोग राजनीतिके उदार तत्वोंको जानना चाहते हैं; उन्हें विलसन महोदयके व्याख्यानोंसे बड़ी सहायता मिलेगी । भारतवर्षमें स्वाधीनताकी जो वायु बह रही है, उसे उचित दिशा दिखानेके लिए प्रे. विलसनके व्याख्यान बहुत सहायता पहुँचा सकते हैं । इस पुस्तकमें प्रायः उन सब व्याख्यानोंका अनुवाद है, जो युद्ध शुरू होनेके बाद दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त इस पुस्तकमें उनके सामाजिक, आर्थिक, शिक्षाविषयक विचारोंका भी दिग्दर्शन कराया गया है । प्रेसिडेन्ट विलसनका चरित्र लिखनेमें तथा उनके व्याख्यानोंका अनुवाद करनेमें मुझे इन्दोरके श्रीयुत विष्णुराव

बारपुटे बी. ए. की अत्यन्त सहायता मिली है, अतएव उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सरस्वतिके भूतपूर्व सहायक सम्पादक श्रीयुत पं. हरिभाउजी उपाध्यायने इस पुस्तकका योग्यतापूर्वक सम्पादन किया है, अतएव उनका भी बड़ा आभारी हूं। नवयुग ग्रन्थमालाके उत्साही सञ्चालक श्रीयुत भाई जीतमलजी लूणियाका भी अति कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस पुस्तकको ऐसे सुअवसरपर प्रकाशित करनेका भार उठाया है। परमात्मा उन्हें अपने अङ्गीकृत कार्य्यमें सफलता प्रदान करे।

सुखसम्पत्तिराय भंडारी।

हिन्दी सम्पादक "मल्लारिमार्तंडविजय" इन्दोर।

अमेरिका के प्रेसिडेन्ट वुड्रो विलसन.

B. A. P. Works.

प्रेसिडेन्ट विलसनका परिचय ।

इस संसारमें जब पाप और अत्याचारोंकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है; जब स्वेच्छाचार और अन्याय अपनी अन्तिम सीमातक पहुँच जाते हैं या पहुँचना चाहते हैं; जब धर्मका नाश होकर अधर्मका साम्राज्य छा जाता है; जब बलवान् निर्बलोंकी रक्षा करनेकी बजाय उन्हें कुचल डालनेपर उतारू हो जाते हैं; जब मनुष्योंके जन्मसिद्ध अधिकार और स्वाधीनतापर वार किया जाता है; तब इन सब खराबियोंको दूर करनेके लिए कोई शक्ति—कोई विभूति—प्रकट होती है। वह अन्याय और अधर्मका नाश कर संसारमें न्याय और धर्मका साम्राज्य स्थापित करनेकी चेष्टा करती है; वह मानवी अधिकारों और स्वाधीनताकी रक्षा करनेके लिए आवाज उठाती है; वह संसारसे स्वेच्छाचार और स्वार्थी भावोंको नाश करनेके लिए प्रयत्न करती है। संसारपर जब जब आफत आई—संसारका जीवन जब जब सङ्कटमें गिरा; संसारमें जब जब अत्याचारों और अन्यायकी सीमा हद दरजेतक पहुँच गई, तब तब ऐसी शक्तियोंके प्रकट होनेके उदाहरण इतिहास बतलाता है। संसार परिवर्तन शील है, संसारके विचारोंमें—उसकी परिस्थितिमें—हमेशा परिवर्तन हुआ करता है; ये शक्तियां भी इसी परिवर्तन और परिस्थितियोंके अनुकूल प्रकट हुआ करती हैं। कितने ही लोगोंका मत है कि डॉक्टर उड्रो विलसन आधुनिक समयकी कुछ ऐसी ही शक्ति है। उनके आदर्श ऊँचे हैं! वे अन्याय और स्वेच्छाचारको इस संसारसे उठाना चाहते हैं। वे दिव्य पुरुष हैं। वे चाहते हैं कि यह संसार रौरव नर्क बननेकी

बजाय स्वर्ग बने । सारी मनुष्य जाति स्वाधीनता और न्यायकी अधिकारिणी बने (दुःखकी बात है कि योरपके स्वार्थलोलुप राष्ट्रोंकी सङ्कीर्णताके कारण प्रेसिडेन्ट विलसनको 'मनुष्यजाति' की सीमा योरपके लोगों ही तक परिमित कर देना पड़ी । स्वाधीनता और न्यायके हकदार अकेले इंग्लैण्ड, फ्रान्स, इटली, अमेरिका और जापानके लोग ही समझे जाने लगे । भारतवर्ष, चीन, मुसलमानी मुल्क आदि मनुष्यजातिमें नहीं माने गये ।) । सारे संसारमें प्रजातन्त्रका डङ्का बजे । कोई भी सरकार जनताकी मालिक होकर नहीं, पर नौकर होकर शासन करे । संसारमें स्थायी शान्ति स्थापित की जाय। भावी युद्धोंकी सम्भावनायें रोकदी जाय । ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे मनुष्यजाति सुख और शान्तिसे रहे । ये प्रेसिडेन्ट विलसनके आदर्श हैं । समय समय पर प्रेसिडेन्ट विलसनने ये दिव्य विचार प्रकाशित किये हैं । वे मनुष्यजातिके हितैषी हैं । कितने ही विचारशील सज्जनोंका कथन है कि प्रेसिडेन्ट विलसन जैसा निस्पृही, सच्चरित्र, न्यायप्रिय, मनुष्यजातिका हितैषी प्रेसिडेन्ट इन पचास वर्षोंमें अमेरिकामें नहीं हुआ । कितने ही ग्रन्थकारोंने प्रेसिडेन्ट विलसनकी तुलना उन स्वनामधन्य प्रेसिडेन्ट लिंकनके साथकी है, जिन्होंने संसारसे गुलामीका नाश करनेके महान् कार्यमें बड़ा हिस्सा लिया था । सुप्रसिद्ध अमेरिकन ग्रन्थकार गार्डिनर साहबने अपने एक ग्रन्थमें लिखा है कि—

Dr. Wilson is the first great coin struck in the mint of American politics अर्थात् डॉक्टर विलसन अमेरिकाकी राजनीतिरूपी टकसालसे ढले हुए एक उत्कृष्ट सिक्का है" ।

प्रेसिडेन्ट विलसनका जन्म सन् १८५६ में हुआ । इस वक्त उनकी उम्र ६१ वर्षकी है । प्रेसिडेन्ट विलसनके दादा जेम्स विलसन सन् १८०७ में आयर्लैण्डसे अमेरिकाके फिलिडेलफिया नगरमें आये और

वहाँके 'Aurora' नामक एक समाचार-पत्रके दफ्तरमें आपको नौकरी मिल गई। आपकी शादी आपहीके साथ जहाजमें आई हुई एक आयर्लैण्डकी कन्याके साथ हो गई। प्रेसिडेन्ट विलसन अपने पिताके सबसे छोटे पुत्र थे।

प्रेसिडेन्ट विलसन एक अत्यन्त साधारण श्रेणीके मनुष्यसे बढ़ते बढ़ते अमेरिकाके प्रेसिडेन्ट हुए। वे पहले प्रोफेसर हुए, फिर बढ़ते बढ़ते जर्सीप्रान्तके गवर्नर हुए और इसके बाद अमेरिकाके लोगोंने उन्हें अपना प्रेसिडेन्ट चुना। उनके पितामह एकही समय बड़ी निर्भीकताके साथ तीन समाचार पत्र चलाते थे। वे बड़े प्रसिद्ध लेखक थे। उनके नाना प्रेसवेटेरियन मतके धर्म-प्रचारक थे। उनके सब चाचा छापखानेका काम अच्छी तरह जानते थे। उनके पिता भी पहले पहल समाचार पत्र और छापखानेके व्यवसायमें लगे। पर उनके मनका झुकाव अध्ययन और अध्यापनकी ओर विशेष था। इसलिये उन्होंने अपने बाईसवें वर्षमें धर्मोपदेशककी दीक्षा ली। सन् १८४६ में उनका जेनेट वुड्रो नामक स्त्रीसे विवाह हुआ और मिशनरीका काम करनेके लिए वे सकुटुम्ब केनेडा गये। सन् १८५५ के लगभग वे स्टानटन शहरमें रहमेको आये। वहीं सन् १८५६ में हमारे चरित्रनायक-विलसन साहबका—जन्म हुआ। विलसन महोदय-के पिताका सन् १९०३ में देहान्त हुआ। प्रेसिडेन्ट विलसनकी माता इसके पहले ही गुजर चुकी थीं।

विलसन साहबके जीवनका अधिकांश समय अध्ययन और अध्यापन हीं में बीता। पर आपके अध्ययन और अध्यापनकी सारी रुख राजनैतिक योग्यता प्राप्त करनेकी ओर थी। उन्होंने बचपनहींसे सार्वजनिक कार्य तथा लोक-सेवामें लगनेका निश्चय कर लिया था। अमेरिकाकी राज्यपद्धति कैसी है; अमेरिकाके इतिहासकी क्या परम्परा

है; अमेरिकाकी दिव्य विभूतियोंने अपने सामने कौनसे आदर्श रक्खे थे, संसारमें अमेरिकाका दर्जा कौनसा है, अमेरिकाकी स्वातन्त्र्य-परम्परा उद्योग-धन्धोंके लिए कहाँतक हितकर है; व्यक्तिस्वातन्त्र्यकी विघातक कौन कौनसी नयी बातें अमेरिकाके राज्यकारोबारमें काम आरही हैं; आदि बातों हींके विचारमें वे हमेशा लगे रहते थे। इन्हीं बातोंकी चर्चामें उन्होंने अपने पठन-पाठनका उपयोग किया। प्रेसिडेन्ट विलसन जैसे उत्कृष्ट कानूनके पण्डित हैं, वैसेही शिक्षाके काममें भी पारङ्गत हैं। आपके शिक्षा-सम्बन्धी विचार बड़े ही दिव्य हैं। आजकल पाश्चात्य जगत्‌में शिक्षाका उद्देश द्रव्यार्जन ही समझा जाता है; पर प्रेसिडेन्ट विलसन कहते हैं कि कालेजकी शिक्षाका केवल यही उद्देश नहीं होना चाहिए कि वह भिन्न भिन्न धन्धोंके मनुष्य तैयार कर दे। पर कालेजमें ऐसी शिक्षाका प्रबन्ध होना चाहिए जिससे मनुष्यकी बुद्धिका पूर्ण विकास होकर उसकी दृष्टि उदार बने और वह यह समझने लगे कि पेटके धन्धेके परे भी कुछ उच्च कर्तव्य और जवाबदारी है। वह उत्तम नागरिक और स्वार्थत्यागी बने। मतलब यह कि कॉलेजकी शिक्षा इस ढङ्गकी होनी चाहिए कि जिससे समाजके जीवनको विकासके लिए उत्तम रास्ता मिल जाय।

प्रेसिडेन्ट विलसनका मत है कि शिक्षामें इतिहास, तत्त्वज्ञान, साहित्य और ग्रीक-लैटिन भाषाका महत्व वैज्ञानिक ज्ञानसे कहीं अधिक है। इसमें सन्देह नहीं कि औद्योगिक शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षाका विकास होना इस ऊपरा चढ़ीके जमानेमें साम्पत्तिक दृष्टिसे आवश्यक है, पर राष्ट्रके आत्माको, उसके चैतन्यको तो राष्ट्रका इतिहास, साहित्य, तत्वज्ञान, राजनीति और धर्मशास्त्रही बनाते हैं। उठते हुए नवयुवकोंकी मनोभूमि उत्तम प्रकारसे तैयार करनेके लिए इन्हींका विशेष उपयोग होता है। विलसन साहबका यह स्पष्ट मत

है कि इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, साहित्य, तत्वज्ञान आदि विषयोंकी उपेक्षा कर केवल वैज्ञानिक शिक्षाकी ओर ध्यान देनेसे नुकसान होता है। राष्ट्रके चरित्र-निर्माणमें केवल वैज्ञानिक शिक्षासे सहायता नहीं मिलती। भौतिकशास्त्र यह बात नहीं सिखा सकते कि समाजका विकास और सुधार कैसे हो सकता है। जिसे आजकल हम वैज्ञानिक भाव (Scientific spirit) कहते हैं, वह पूर्व कालके लिए अविश्वास तथा आधुनिक कालके लिए वृथा घमण्ड पैदा करनेमें सहायता देती है। हाँ, यह बात सत्य है कि भूगर्भशास्त्र, पदार्थविज्ञानशास्त्र, आदि भौतिकशास्त्रोंके ज्ञानसे मनुष्यने इस जड़ सृष्टिकी शक्तियोंपर विशेषरूपसे अधिकार कर लिया है। धर्म और नीतिके सम्बन्धमें जो गलतफहमी हो रही थी, उसे निर्मूल करनेमें भी भौतिक शास्त्रोंका विशेष उपयोग हो रहा है। पर आत्म-ज्ञान, मनुष्य-स्वभावका ज्ञान, चरित्र और सद्गुणोंकी रक्षा कैसे करना चाहिए, यह बात बतलानेमें भौतिक शास्त्र असमर्थ है। समाजकी भीतरी अवस्था कैसे सुधारी जाय, इस विषयपर भौतिक शास्त्र कुछ भी प्रकाश नहीं डालते। भौतिकज्ञानसे लोभ, मत्सर, स्वार्थपरायणता, स्पर्धा, पूर्वजोंके प्रति घृणा और दम्भ आदि दुर्गुणोंकी वृद्धि हुई है। अतएव केवल भौतिकविज्ञानही पर राष्ट्रकी उच्च शिक्षाकी नींव डालना कभी लाभकारक नहीं हो सकता। * अत-

---

* Science has not changed the nature of society, has not made history a whit easier to understand. Science has not changed the laws of social betterment and growth. Science has built up in us a spirit of experiment and a contempt for the past. It has given us agnosticsm in the realm of philosophy, scientific anarchism in the realm of politics.

एव कालेजोंमें वैज्ञानिक शिक्षासे भी अधिक सुभीता साहित्य-विषयक, ऐतिहासिक और राजनैतिक शिक्षाके लिए करना चाहिए। ऐसा करने हीसे शिक्षा विशेषरूपसे गुण-पोषक होगी। विलसन साहब इस बात पर भी बड़ा जोर देते हैं कि विश्वविद्यालय उत्तम नागरिक बनानेके साधन बनना चाहिए। यद्यपि ज्ञानके स्थल-काल-मर्य्यादा नहीं है, पर ज्ञानकी इमारत राष्ट्रीयताके तत्वपर बनानी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ-शालाओंमें निम्नलिखित विषयोंकी शिक्षा सर्वसामान्य पद्धतिसे दी-जानी चाहिए। सबसे पहले स्वदेश और स्वजातिके इतिहास पर जोर देना चाहिए। इसके बाद स्वदेशके साहित्यको पढ़ाना चाहिए। तब विद्यार्थियोंको पूर्वकालीन और आधुनिक भिन्न भिन्न राष्ट्रोंके उत्थान-पतनको दिखलानेवाले इतिहास तुलनात्मक दृष्टिसे पढ़ाना चाहिए। इन विषयोंको पढ़ानेके लिए सुयोग्य अध्यापकोंकी व्यवस्था करनी चाहिए। यही राष्ट्रीय विद्यालयका सबसे पहला कर्त्तव्य है। यही सारी शिक्षाकी बुनियाद है। ये बातें सीखनेके बाद कलाके रूपमें अन्य विषय भी विद्यार्थियोंको पढ़ाये जाने चाहिए। पर सबसे पहले विश्वविद्यालयमें इस बातकी व्यवस्था करना आवश्यक है, जिससे विद्यार्थियोंमें स्वाभिमान और नागरिकत्वकीभावना बढ़े।

ये शिक्षा-विषयक विचार प्रेसिडेन्ट विलसन महोदयके हैं। प्रिन्स-टन विश्व-विद्यालयके अध्यक्षकी हैसियतसे आपने समय समय पर शिक्षाके सम्बन्धमें अपने जो विचार प्रकाशित किये है, उनसे अमे-रिकाके शिक्षा-संसारमें एक तरहसे क्रान्ति होगई है।

प्रेसिडेन्ट विलसन महोदयके शिक्षाविषयक विचार हिन्दुस्थानकी वर्तमान परिस्थितिमें अत्यन्त माननीय हैं। औद्योगिक शिक्षा, कानू-नकी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षाका उन्होंने अपने व्याख्यानोंमें बड़ा ही उत्तम विवेचन किया है।

प्रेसिडेन्ट विलसन और सरकार।

हमने ऊपर प्रेसिडेन्ट विलसनके शिक्षाविषयक विचारोंका मर्मांश दिया है। हमने एक जगह ऊपर लिखा है कि प्रेसिडेन्ट विलसनकी मनः-प्रवृति बचपनहीसे राजनीतिकी ओर विशेषरूपसे है। आजकल सारा संसार परिवर्तनकी दशामें है। सारे संसारकी मनःप्रवृत्ति भावी राजनीतिको निश्चित करनेमें लगी है। सारा सभ्य संसार यही चाह रहा है कि सारे संसारमें लोकमतकी विजय-दुन्दुभी बजे। सरकार लोगोंकी प्रतिनिधि या नौकर समझी जाय, मालिक नहीं। समाजका सुधार सरकारका उद्देश होना चाहिए। प्रेसिडेन्ट विलसनने इस विषय पर अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ State में बहुतही अच्छा प्रकाश डाला है आपने कहा है:—

" Government, as I have said, is organ of society, its only potent and universal instrument; its object must be the object of society. What is society ? It is an organic association of individuals for mutual aid. Mutual aid to what ? To self-development. The hope of society lies in an infinite individual variety, in the freest possible play of individual forces; only in that can it find that wealth of resources, which constitute civilization, with all [its appliances for satisfying human suffering. It should be the end of government to assist in accomplishing the objects of organized society. There must be constant adjustments of governmental assistance to the needs of a changing social and industrial organization.

The individual must be assured best means, the best and fullest opportunities for complete self-development.

" सरकार समाजका अङ्ग है। समाजका यह प्रबल और सार्वभौमिक अस्त्र है। इसके उद्देश वही होने चाहिए जो समाजके हैं अब सवाल यह उठता है कि समाज क्या है? वह व्यक्तियोंका सेन्द्रिय (organic) समुदाय है, जो पारस्परिक सहायताके लिए मिलकर रहता है। आत्म-विकासके लिए इसे पारस्परिक सहायताकी आवश्यकता रहती है। समाजकी आशा व्यक्तियोंकी शक्तियोंकी स्वतन्त्र क्रीडामें है। इसी आशामें वे अनन्त साधन मिलते हैं, जिनसे मानवी आवश्यकताओंकी पूर्ति करने वाले और मानवी दुःखोंको कम करनेवाले साधनोंसे युक्त सभ्यताकी सृष्टि होती है। सुसङ्गठित समाजके उद्देशोंको पूर्ण करनेमें सहायता देनाही राज्यका उद्देश होना चाहिए। बदलते हुए सामाजिक और औद्योगिक सङ्गठनके लिए जो आवश्यकतायें पड़ती हैं, उन्हें सरकारकी तरफसे हमेशा सहायता मिलती रहनी चाहिए (सरकारकी ओरसे) व्यक्तिको अपने पूर्ण विकासके लिए सर्वोत्कृष्ट साधन और सर्वोत्कृष्ट अवसर प्राप्त होने चाहिए "।

प्रेसिडेन्ट विलसनका यह राजनैतिक आदर्श है। यह राजनैतिक आदर्श कितना उत्कृष्ट और मानवजातिके लिए हितकर है, इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं। अमेरिकाका प्रजातन्त्र (Democracy) इसी आदर्शकी ओर जा रहा है। संसारके जितने सभ्य राज्य हैं सब इस आदर्शको प्राप्त करना चाहते हैं। जर्मनी इस आदर्शके प्रतिकूल है। वह व्यक्तियोंके स्वतन्त्र अस्तित्वकी परवाह नहीं करता। वह स्टेटहीको सब कुछ समझता है। वह राज्यके हितमें व्यक्तियोंका हित समझता है, और प्रेसिडेन्ट विलसन व्यक्तियोंके हितमें राज्यका हित समझते हैं। आधुनिक संसारके राजनीतिज्ञ मनुष्यजातिके लिए प्रेसिडेन्ट विलसनहीके मतको अधिक मान देते हैं। आधुनिक राजनीतिज्ञ प्रेसिडेन्ट विलसनकी इस रायसे बहुत कुछ सहमत हैं—

Society, it must always be rememberd, is vastly bigger and more important than its instrument, government. Government should serve society. Government should not be made an end in itself; it is a means only–a means to be freely adapted to advance the best interests of the social organism. The state exists for the sake of society, not society for the sake of the state.

"अर्थात् यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए कि समाज अपने अङ्ग सरकार (Government) से बहुत बड़ा और महत्व-पूर्ण है। सरकारको समाजकी सेवा करनी चाहिए। सरकारको ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि जिससे वह अपने आपको सब कुछ समझने लगे। सरकार एक साधन है। यह एक ऐसा साधन है जिसे समाजके सर्वोत्कृष्ट हितको बढ़ानेके लिए स्वीकार करना चाहिए। राज्य समाजके लिए स्थापित है, समाज राज्यके लिए स्थापित नहीं"।

सरकारके आदर्श क्या हैं; सरकार किस लिए स्थापित होनी चाहिए, इस विषयपर भी प्रेसिडेन्ट विलसनने अच्छा प्रकाश डाला है। आपने एक जगह लिखा है—

" That Government is, or ought to be instituted for the common benefit, protection and security of the people of the nation or community; of allt he various modes and the forms of Government that is the best which is capable of producing the greatest degree of happiness and safety and is the most effectually secured against the danger of mal-administration and when any government shall be found inadequa-

te or contrary to the purposes, a majority of community hath an indubitable, inalienable and indefeasible right to reform, alter or abolish it in such a manner as shall be judged most conductive to the public weal. इसका आशय यह है कि राज्यकी स्थापना राष्ट्र तथा समाजके लोगोंकी भलाई रक्षा और निर्भयता (Security) के लिए होती है या होनी चाहिए। राज्यके जितने रूप और पद्धतियाँ हैं उनमें सबसे अच्छा रूप और पद्धति वह है जो सबसे ज्यादा सुख देसके और संरक्षण कर सके तथा जिसमें बुरे शासनका कुछ भी डर न रहे। अगर कोई राज्यपद्धति इन उद्देशोंके अनुपयुक्त तथा विरुद्ध पायी जाय तो समाजकी अधिकांश जनताको यह निःसन्देह और अविच्छेद्य अधिकार है कि वह उस राज्य-पद्धतिका सुधार करे, परिवर्तन करे या उसे हटा दे और उसे इस योग्य बना दे कि वह सर्वसाधारणके इच्छानुसार चलने काबिल हो जाय।

प्रेसिडेन्ट विलसन महोदय शुद्ध प्रजातन्त्रके पूरे पूरे पक्षपाती हैं। उनका विचार है कि किसी देशका शासन-कार्य मुट्ठीभर बड़े कहलानेवाले लोगोंहीके द्वारा न चलाया जाय। शासन-कार्यमें प्रविष्ट करनेका हक प्रत्येक योग्य आदमीको रहे। जो मनुष्य अपनी योग्यताका प्रमाण दे सके, चाहे वह कितनाही गरीब और हीन स्थितिका क्यों न हो, शासन-कार्यको उठानेका अधिकारी रहे। प्रेसिडेन्ट विलसन महोदयने एक जगह कहा है—

" केवल एकही ऐसा मार्ग है, जिसपर चलकर कोई भी सरकार शुद्ध और कर्तव्यशील रह सकती है और वह यह है कि वह साधारणसे साधारण लोगोंके लिए भी अपने द्वार खुले रक्खे। किसी मनुष्यके यह भाव न होने दे कि गरीब और तुच्छ खानदानमें पैदा होनेसे वह किसी बड़े पदके योग्य नहीं समझा जाता। शासन-कार्यमें

सुयोग्य मनुष्योंकी भर्ती होनी चाहिए। सरकारका द्वार सबके लिए खुला रहना चाहिए, जिससे उसे नयाजीवन नयीस्फूर्ति-प्राप्त होती रहे। जो राज्य अप्रसिद्ध खानदानके योग्य मनुष्योंके लिए योग्य जगह नहीं करता है, वह अयोग्य राज्य है और उसे उन्नतिका बाधक समझना चाहिए"। साधारण लोगोंके विषयमें प्रेसिडेन्ट विलसन कहते हैं—

"अगर मैं अपना अनुभव कहूँ तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि जितनी योग्यता, जितनी प्रतिभा जितनी सहानुभूति, जितना जीवन (life) जितना स्वार्थत्याग, साधारण श्रेणीके लोगोंमें पाया जाता है, उतना बड़े खानदानके आदमियोंमें नहीं पाया जाता"।

प्रेसिडेन्ट विलसनके राज्य (सरकार) के विषयमें कितने उच्च आदर्श हैं, यह ऊपरके वाक्योंसे पाठकोंको मालूम हुआ होगा। इसके अलावा प्रेसिडेन्ट विलसनने आदर्श सरकारके लिए और भी कुछ विचार प्रकाशित किये हैं। आजकल भी दुर्भाग्यवश हमारे कई अधिकारियोंका यह खयाल है कि कड़े नियमोंको पास करनेसे—रौलेट बिल जैसे अमानुषिक नियमोंको अमलमें लानेसे शासन-कार्यमें सुभीता होता है और राज्यका कार्य शान्ति-पूर्वक चलता है। इस प्रकारके विचार कितने अदूरदर्शिता और अज्ञता-पूर्ण हैं इसका दिग्दर्शन हमें प्रेसिडेन्ट विलसनके विचारोंमें मिलता है प्रेसिडेन्ट विलसनका मत है कि वही सरकार सबसे अच्छी है, जिसे सबसे कम शासन करना पड़े। अर्थात् वही सरकार योग्य सरकार कहलाने काबिल है जो अपनेको प्रजाकी नौकर समझती हुई ऐसी शान्तिमय स्थिति उत्पन्न कर दे, जिससे उसका शासन-कार्य कम हो जाय। शासन-कार्यकी वृद्धिसे सरकारकी अयोग्यता और शासन-कार्यकी कमीसे सरकारकी योग्यता प्रकट होती है।

शान्ति रक्षाके लिए बड़ी बड़ी फौजें खड़ी करनेमें उतनी बुद्धिमानी नहीं है, जितनी शान्तिके तत्वोंको स्थापित कर अशान्तिका मौका ही न आनेदेनेमें है। ज्यादा वारदातोंका पता लगानेमें उतनी बुद्धिमानी नहीं है, जितनी वारदात रोकनेके योग्य प्रबन्ध करनेमें है। प्रेसिडेन्ट विलसनका भी यही मत है। वे चाहते हैं कि प्रत्येक सरकार ऐसा प्रबन्ध करे जिससे उसके राज्यमें ऐसी शान्तिमय दशा स्थापित हो जावे कि उसे शासन बहुत कम करना पड़े। प्रेसिडेन्ट विलसनने राजनीतिके आदर्श इसतरह प्रकट किये हैं—

संसारकी आदर्श राजनीति।

प्रेसिडेन्टके राजनैतिक विचार बड़ेही आदर्श और दिव्य हैं, वे संसारमें सुख, शान्ति और समानता चाहते हैं। उनका खयाल है कि आजकलकी कुटिल राजनीतिका नाश कर आदर्श राजनीतिके भाव स्थापित करने चाहिये। आदर्श राजनीतिके विषय में प्रेसिडेन्ट विलसनके जो विचार हैं, उन्हें प्रकट करते हैं।

"आदर्श राजनीतिका मतलब यह है कि प्रत्येक मनुष्य पर देशका आईन समान रूपसे काममें लाया जाय कानूनकी पाबन्दी जैसे महान्से महान् पुरुषके लिए हो, वैसे ही गरीबसे गरीब मनुष्यके लिए भी होनी चाहिए यह बात नहीं कि किसी गरीब मनुष्यके हाथसे एक छोटासा खफ़ीफ अपराध हो जाने पर भी वह बुरी तरह बे-इज्जत किया जाय, न्यायालयसे उसे काफी सजा मिले और बड़े आदमीसे या ऑफिसरसे उससे बढ़कर कोई अपराध होने पर भी प्रतिष्ठा (Prestige) के झूंठे और वाहियात खयालसे उस पर मुकद्मा न चलाया जाय। वह वे-लाग छोड़ दिया जाय। अपराधी होने पर बड़ेसे बड़े आदमीके साथ भी कानूनके अनुसार वही बर्ताव किया

जाय जो छोटेसे छोटे आदमीके साथ किया जाता है। इसके अतिरिक्त कानूनकी पाबन्दीमें जात—पांत या देशका लिहाज रखना मुनासिब नहीं। इसमें भी न्यायका घात होता है। आदर्श राजनीति निष्पक्ष न्याय चाहती है। इसके अतिरिक्त आदर्श राजनीतिका तत्व संसारके सामने प्रत्येक देशको, प्रत्येक राष्ट्रको, प्रत्येक जातिको अपना अपना विकास और अभ्युदय करनेके योग्य अवसर मिलनेका अनुमोदन करता है। संसारमें सबल निर्बलको न दबाने पावें। बलवानके अत्याचारोंसे निर्बल राष्ट्र कष्ट न पावें। यह आदर्श—राजनीतिका आदर्श है। प्रेसिडेंन्ट विलसन इन्हीं तत्वोंके बड़े पक्ष—पाती हैं। और इन्हीं तत्वोंकी रक्षाके लिए वे जङ्गके मैदानमें उतरे हैं। जिस प्रकार राजकीय मामलोंमें इस नीतिके तत्वसे मनुष्यजातिका उपकार होता है वैसे ही सामाजिक मामलोंमें भी होता है। इसके तत्व समाजमें भी काममें लाये जाने चाहिए। समाजकी सङ्गठनाही इस ढंगसे होनी चाहिए, जिससे समाजके प्रत्येक मनुष्यको अपने विकास और उन्नतिके योग्य अवसर मिलता रहे। सामाजिक समानताके तत्वोंपर समाजका ढांचा बनाना चाहिए। राजकीय अत्याचारोंकी तरह सामाजिक अत्याचारोंको रोकना भी राजनीतिका ध्येय है।

आदर्श—राजनीतिका तत्त्व इस बातका घोर विरोधी है कि एक छोटा समूह विशाल समूहको स्वार्थवश होकर अंगुलियोंपर नचाया करे। जनताकी कठिन कमाईके बलपर थोड़ेसे मनुष्य तो मौज उडावें, चैनसे रहें, अमीरी भोगें और जनता भूखों मरा करें, अपनी आवश्यक सामग्रीसे भी वञ्चित रहे। इस बातका—इस स्वार्थपरताका—यह नीति घोररूपसे विरोध करती है।

मनुष्यजन्मसे चाहे जो कुछ हो; चाहे जिस जातिमें वह पैदा

हुआ हो, उसके पूर्वजोंने चाहे कोई बड़ा काम किया हो या न किया हो पर योग्यता सम्पादन करनेपर उसे अपनी तरक्की, अधिकार और सम्मानके उतनेही अवसर प्राप्त होने चाहिए, जो उसी योग्यताके उस मनुष्यको होते हैं, जिसे अपने बड़े खानदानका झूंठा घमण्ड है। अमेरिकाके एक अत्यंत प्रख्यात लेखकने लिखा है कि वही राज्य (State) सर्वोत्कृष्ट है—सभ्य है—जहाँ एक छोटे और गरीबसे गरीब खानदान मैं पैदा हुए मनुष्यको यह विश्वास हो कि, योग्यता प्राप्त करनेपर, मैं महान्‌से महान् पदपर पहुँच सकता हूँ। अमेरिकाका प्रजा तन्त्र इसके लिए आदर्शभूत है। वहाँ एक अत्यन्त हीन कुलमें जन्म पाये हुए मनुष्यको भी यह विश्वास रहता है कि समुचित योग्यता पानेपर मैं अमेरिकाके ऊँचेसे ऊँचे पदपर पहुँच सकता हूँ। प्रजातन्त्र-का यह महान् आदर्श है। ईश्वर जिस प्रकार अपने सब पुत्रोंको समान दृष्टिसे देखता है और उनके अच्छे—बुरे कर्मोंके अनुसार उन्हें फल देता है, ठीक यही बात विशुद्ध राजनीतिके लिए ठीक ठीक कही जा सकती है।

आदर्श, राजनीतिका तत्त्व है कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वरीयविभूति (Divine) है। प्रत्येक मनुष्यमें वे ईश्वरीय शक्तियाँ मौजूद हैं, जिनका उचित विकास किया जाय तो अलौकिक प्रतिभाका परिचय दे सकती है। यह बात जुदी है कि किसी मनुष्यकी शक्ति किसी एक काममें प्रकट हो और दूसरेकी किसी दूसरे काममें इसका तत्त्व इस बातपर बड़ा ज़ोर देता है कि मनुष्योंकी इन शक्तियोंके विकासके साधन राज्यकी ओरसे प्राप्त होने चाहिए।

सत्य, न्याय, सेवा, प्रेम, ज्ञान और बुद्धिमत्ता ये प्रजातन्त्रके मुख्य आधार हैं। इन्हींपर विशुद्ध प्रजातन्त्रकी नींव डाली जाती है। इन उदार तत्त्वोंका विकास और प्रकाश करना इस नीतिका मुख्य उद्देश

है। इस नीतिके पृष्ठ-पोषक कहते हैं कि इन्हीं तत्त्वोंपर मानवी कल्याणकी दीवार टिकी हुई है।

यह राजनीति लोकमत का बड़ा आदर करती है। वह यह चाहती है कि मनुष्य मनुष्य में खुला, साफ़ और सभ्यता का बर्ताव हो। अफ़सर ओर जनता में किसी प्रकार का भेद–भाव न रहे। अफ़सर यह समझते रहें कि हम प्रजाके नौकर हैं–चाकर हैं–प्रजाकी कठिन कमाई पर हमारा पेट भरता है और प्रजाकी भलाई करना ही हमारा ख़ास काम है। प्रजा यह समझती रहे कि ये हमारे ही आदमी हैं और हमारे ही हित के लिए रक्खे गये हैं। मतलब यह कि अफ़सर और प्रजाके स्वार्थों में ऐक्य होना चाहिए। जहां दोनों के स्वार्थ परस्पर विरोधी होते हैं, वहां कई प्रकार की ख़राबियां पैदा होती हैं। दूसरी बात यह है कि जनता से राज्य सम्बन्धी कोई बात न छिपाई जानी चाहिए। जनता को राज्य के मामलों के विषय में अन्धकार में रखना नीति के ख़िलाफ है। प्रजाके सामने ईमानदारी के साथ जब वह चाहे हिसाब–किताब रखना चाहिए।

आदर्श, राजनीति डङ्के की चोट इस बात की घोषणा करती है कि प्रत्येक मनुष्य को स्वाधीनता पूर्वक अपने विचार प्रकाशित करने का अधिकार है। जबान बन्दी का वह सख्त विरोधी है। भाषण–स्वातन्त्र्य (Freedom of speech) और समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता की वह बड़ी पृष्ठपोषक है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य को अपनी सदसद्विवेक बुद्धि के अनुसार चाहे जो धर्म तथा मत स्वीकार करनेका, पूरा पूरा अधिकार है; इस में किसी तरह की रोक नहीं।

आदर्श राजनीति उस समय की बड़ी उत्सुकता के साथ बाट

जोह रही है जब संसार की सब सरकारों के एक झण्डे के नीचे एक सङ्घ बने और प्रत्येक देशकी सरकार के प्रतिनिधि उस में रहें एवं सब मिलकर संसार की भलाई और मानवजाति के सुख और समृद्धि के उपाय इसमें सोचें।

बस, यही प्रेसिडेन्ट विलसन राजनैतिक आदर्शों का निचोड़ है। लेख बढ़जाने के भय से ये आदर्श संक्षिप्त ही में दिये गये हैं। अबहम उनके अन्य विचार पाठकों के सामने रखना चाहते हैं, जिनसे उनके जीवन के महत्व और उद्देश पर कुछ प्रकाश गिरे।

प्रेसिडेन्ट विलसन और मानवी स्वाधीनता।

इसमें सन्देह नहीं कि प्रेसिडेन्ट विलसन मानवी स्वाधीनताके अवतार हैं। मानवी स्वाधीनताके लिए उनके आदर्श बड़े उच्च और दिव्य हैं। संसार को वे सुखी और स्वतन्त्र देखना चाहते हैं। उनके प्रत्येक लेखमें–उनके प्रत्येक व्याख्यानमें—मानवी स्वाधीनता के लोकोत्तर भाव भरे हुए हैं। मानवीस्वाधीनता की रक्षाका उच्च आदर्श सामने रखकर वे इस महायुद्धमें अवतीर्ण हुए थे। प्रेसिडेन्ट विलसनने जगह जगह अपने व्याख्यानों तथा लेखोंमें इस बातपर बड़ा जोर दिया है कि प्रत्येक मनुष्यको विचार-स्वातन्त्र्य, धर्म–स्वातन्त्र्य, निवास–स्वातन्त्र्य (Liberty of residence) और क्रिया–स्वातन्त्र्य चाहिए। ये बातें मानवी आत्माके विकासके लिए आवश्यक हैं। ये दिव्य तत्व राष्ट्रके जीवन हैं। प्रेसिडेन्ट विलसन कहते हैं कि इन तत्वों की रक्षाके लिए यदि किसी राष्ट्रको अपने सुख, वैभव और सुभीतों के बलि देना पडे तो उसे इनके लिए तैयार रहना चाहिए, इनका महत्व भूमिके अधिकार से भी कहीं ज्यादा है:—

I would rather surrender territory than surrender those ideals which are the stuff of life for the soul itself.

अर्थात् मैं भूमिके अधिकारको समर्पण करनेके लिए तैयार हो जाऊंगा, पर अपने आदर्शोंको कभी नहीं छोडूंगा, जो जीवनका अन्न है। सारी मनुष्य जाति स्वाधीनतासे प्राप्त होने वाले दिव्य सुखों का उपभोग करे, सारी मनुष्यजाति स्वाधीनतापूर्वक अपना आत्म-विकास करे, ये प्रेसिडेन्ट विलसनके आदर्श हैं। प्रेसिडेन्ट विलसन इसबात के सख्त विरोधी हैं कि सत्ताधारी अपनी सत्ताके बल पर प्रजापर मन—मानी करे। प्रजाको अपनी भोग्य वस्तु समझे। किसी कार्य को बिना प्रजाकी सम्मतिके कर डाले। प्रजाकी न्यायोचित स्वाधीनतामें विघ्न डाले। प्रेसिडेन्ट विलसनके यदि कोई आराध्य देव हैं तो वे हैं--मानवी स्वाधीनता और मानवी समानता। इन्हीं दो दिव्य तत्वोंपर वे संसार की राजनीतिकी नींव डालना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इस भूमण्डलपर सबके लिए उन्नति करनेके समान अवसर रहें और सब छोटे बड़े दूसरों के अत्याचारों और स्वेच्छाचार से निर्भय रहकर अपने अपने ढंगसे आत्मविकास करें। प्रेसिडेन्ट विलसन के मतानुसार वही आदर्श राष्ट्र हैं जिसकी नींव इन दिव्य तत्वोंपर पडी हुई है; जो इन तत्वों का पुजारी है जो इन तत्वोंकी रक्षा के लिए हर प्रकारका स्वार्थ-त्याग करने के लिए तैयार रहता है, और जो दूसरोंकी स्वाधीनताकी रक्षामें भी तत्पर रहता है। आपने एक जगह कहा है:—

"That a nation should sacrifice its own interests and its own blood for the sake of the liberty and happiness of another people अर्थात् दूसरे राष्ट्रोंके लोगोंकी स्वाधीनता और सुखके लिए राष्ट्रको अपना स्वार्थ त्यागना चाहिए और इन पवित्र तत्वोंके लिए अपना खून तक बहानेको तैयार रहना चाहिए। इन पवित्र तत्वोंको आप शान्तिसे भी अधिक महत्वके

समझते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आप शान्तिके अनन्य उपासक हैं, पर इन तत्वोंका मूल्य आप शान्तिसे भी कहीं अधिक समझते हैं।

"I myself share to the bottom of my heart that profound love of peace; but, gentlemen, there is something that the American people love better than they love peace. They love the principles upon which their political life is founded. They are ready at any time to fight for the vindication of their character and of their honor अर्थात् मैं शान्तिका अनन्य उपासक हूँ, पर सज्जनो! अमेरिकाके लोग एक चीजको शान्तिसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। वे उन तत्वों पर प्रेम करते हैं, जिनपर उनके राजनैतिक जीवनकी नींव पडी है। वे अपने चरित्र और सम्मानकी रक्षाके लिए हर वक्त लड़नेको तैयार हैं। एक जगह और प्रेसिडेन्ट विलसनने कहा है—

"We believe in peace, but we believe also in justice and rightiousness and liberty and peace can not subsist without them. अर्थात् हम शान्तिमें विश्वास करते हैं पर हम न्याय, सत्य और स्वाधीनता पर भी विश्वास करते हैं। इन तत्वोंके बिना शान्ति कभी टिक नहीं सकती। कहाँतक कहें, प्रेसिडेन्ट विलसनके प्रत्येक व्याख्यानमें—प्रत्येक लेखमें—मानवी स्वाधीनता, मानवी समानता और मानवी प्रेमके उच्च विचार दिखलाई पड़ते हैं। प्रेसिडेन्ट विलसन अमेरिकाको सारी मनुष्यजातिकी स्वाधीनताका रक्षक बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि इसमें अमेरिकाका सम्मान है और इसीसे संसार अमेरिकाको पूज्य दृष्टिसे देख सकता है। प्रेसिडेन्ट विलसनने स्वाधीनताके सम्बन्धमें जो उच्च

विचार प्रकाशित किये हैं, उन सबका दिया जाना यहाँ सम्भव नहीं। हमने उनके कुछ खास खास विचारही ऊपर दिये हैं।

प्रेसिडेन्ट विलसन और साधारण जनता।

प्रेसिडेन्ट विलसन समझते हैं कि साधारण जनता—मामूली आदमी—ही राष्ट्रके जीवन हैं अक्सर ये लोग बड़े लोगोंके द्वारा दबाये जाते हैं। राजकार्यमें बड़े माने जानेवाले लोग इनकी विशेष नहीं चलने देते। अमेरिकामें यद्यपि सारी जनताको वोट (मत) देनेका अधिकार है, पर धनवान् लोग धनके बलपर अपनी ओर अधिक वोट कर लेते हैं। इससे राज्यकार्यमें प्रायः इन्हींकी तूती बोलती है। साधारण जनताके प्रतिभाशाली मनुष्योंको उतने अनुकूल अवसर नहीं मिलते, जितने धनवानोंको मिल जाते हैं। वहाँकी राज्यपद्धतिमें यह बड़ा भारी दोष है। इससे बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। धनवान् लोग अपने मन माने कानून पास करवा लेते हैं। अधिकांश जनताके स्वार्थोंको कुचल कर अपनी स्वार्थ-सिद्धि कर लेते हैं। इससे गरीबोंका बड़ा नुकसान होता है। बड़े और धनवान् आदमियोंके स्वार्थकी अग्निमें उन्हें अपने हितोंकी आहुति दे देनी पड़ती है। प्रेसिडेन्ट विलसन इस कार्यवाहीके खिलाफ हैं। वे चाहते हैं कि सरकार इस ढङ्गसे सङ्गठित की जाय जिससे गरीबसे गरीब मनुष्य भी अपने हितकी रक्षा कर सके—वह भी अपनी आवाज उठा सके। प्रेसिडेन्ट विलसनने अपनी New Freedom नामक पुस्तकमें नीचे लिखे आशयके वचन प्रकट किये हैं।

“हमारे राष्ट्रकी सबसे प्रथम और खास आवश्यकता यह है कि हम अपनी राज्यपद्धतिमें उन अप्रसिद्ध मामूली लोगोंको शामिल करें, जो भविष्यमें हमारे राष्ट्रके नेता पैदा करेंगे और जो राष्ट्रके उत्साहको

नवजीवन प्रदान करेंगे। मुझे साधारण मनुष्योंमें अधिक विश्वास है। मैं जानता हूँ कि देशकी असली हालत जिस प्रकार इन लोगोंसे व्यक्त हो सकती है वैसी दूसरे लोगोंसे नहीं हो सकती। गरीब लोग किस कठिनाईसे अपनी जिन्दगी बसर करते हैं—गरीबोंपर क्या क्या अत्याचार होते हैं—गरीब लोगोंकी क्या क्या आवश्यकतायें हैं—इन बातोंको जितनी अच्छी तरहसे ये लोग प्रकट कर सकते हैं, उतनी अच्छी तरहसे बड़ी बड़ी बेङ्कोंके मालिक—करोड़ों अर्बों रुपयोंके स्वामी—महलोंमें सुखकी नींद सोनेवाले अमीर—नहीं कर सकते। साधारण और गरीब मनुष्य ही अपने अनुभवसे यह बतला सकता है कि अमेरिकामें क्या हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसेही लोगों-की सलाहसे अपना मार्ग निश्चित करूँ"

"यह बात कितने दुःखकी है कि हमारे यहाँ मामूली आदमीकी सलाह की परवाह जैसी चाहिए, वैसी नहीं की जाती। अतएव अब हमें अपनी सरकारका सङ्गठन इस प्रकारसे करना चाहिए कि जिसके साथ अमेरिकाके जनसमूहकी सहानुभूति हो और जो सरकार मामूलीसे मामूली आदमीके मतकी भी वैसाही पर्वाह करे जैसी बड़े बड़े धनवान् की। सरकारको यह जानना आवश्यक है कि मामूली आदमी क्या अनुभव कर रहे हैं तथा उनके विचारोंकी रुख किस ओर है? हम लोगोंमें बहुत ज्यादा अंश साधारण मनुष्योंका है। अगर मामूली आदमियोंकी परवाह न की गई तो हम लोगोंमेंसे बहुत कम लोगोंका उदय हो सकेगा। अतएव अमेरिकाके कल्याण और तरक्कीके लिए राज्य-कार्यमें ऐसे लोगोंकी आवाजका होना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसेही लोग अमे-रिकाकी जनताके सच्चे प्रतिनिधि हो सकते हैं। लिंकन प्रभृति अमे-रिकाके जो महान् पुरुष होगये हैं—जिनका नाम हमारे राष्ट्रके लिए गौरव-स्वरूप है—जिनके लिए हमें अभिमान है, वे साधारण घरोंहीमें

जन्मे थे। बड़प्पनका ठेका रखनेवाले लोगोंके घरोंमें उनका जन्म नहीं हुआ था।"

"अमेरिका का आशा-भरोसा अप्रसिद्ध खानदानोंमें है। यहींसे वे लोग निकलेंगे जो अमेरिकाकी राजनीति और व्यापारको सञ्चालित करेंगे। कुछ लोगोंके पास प्रचुर धन हो जानेसे अमेरिका वास्तविक रूपसे धनवान् नहीं कहला सकता। अमेरिका तभी धनवान कहला-यगा जब उसकी साधारण जनता वैभवशाली होगी और वह उद्योग-धन्धोंकी सञ्चालिका होगी।"

"इस भूमण्डलके सब राष्ट्र इस बातको देखना चाहते हैं कि अमेरिका अपनी भौतिक शक्तिका—अपनी प्रचण्ड साधन सामग्रीका—अपने अतुलनीय द्रव्यका—किस तरह उपयोग करता है। ये राष्ट्र इसके लिए लालायित हो रहे हैं कि अमेरिका अपनी नयी शक्तिको किस ढँगसे काममें लाता हैं। हम साभिमान इस बातको स्वीकार करते हैं कि हम शक्ति-शाली हैं। पर सवाल यह है, हमें शक्ति-शाली बनाया किसने? हमें शक्ति-शाली उन लाखों लोगोंने बनाया है जो अपनी बड़ाई नहीं करते; जो अपनी प्रख्याति नहीं चाहते, जो बड़ी सीधी साधी तरहसे अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। ये लोग कौन हैं? ये हमारे किसान भाई हैं। यही अमेरिकाकी शक्ति है। यही हमारे देशके लिए गौरव-स्वरूप हैं"।

"मुझे स्मरण है कि मुझे एक वक्त एक मदरसेके समारम्भमें बोलनेका अवसर प्राप्त हुआ था। उससमय जितने नवयुवक उप-स्थित थे वे सब धनवानोंके लड़के थे। मैंने उनसे कहा था कि मुझे आप लोगोंको देखकर दया आती है, क्योंकि मुझे अन्देशा है कि आपमेंसे बहुतसे अन्धकारमें विलीन हो जायँगे। आप कुछ न करेंगे। देशके बड़े बड़े कार्योंको करनेसे आप इन्कार कर जायँगे। आपसे

वे नव-युवक बाजी मार जायँगे जो गरीब और अप्रसिद्ध खानदानोंमें पैदा हुए हैं। वे संसारमें विशेषरूपसे प्रकाशित हो सकेंगे। वे यह दिखला सकेंगे कि वे जनता और राष्ट्रके हितको भले प्रकार समझते हैं। यही लोग देशके नेता बनेंगे और जनताके नेता बनेंगे।"

प्रेसिडेन्ट विलसन
और
गुप्त-राजनैतिक-मन्त्रणायें।

आजकल सभ्यता की डींग हांकने वाले सब राष्ट्रों में गुप्त राज-नैतिक मन्त्रणायें हुआ करती हैं। जनता पर इनका प्रकाश नहीं पड़ने पाता। कुछ सत्ताधारी मनुष्य ही इनमें शामिल होते हैं। योरप तो इनका अड्डासा बनगया है। इनमें सिवा स्वार्थसिद्धि की बातों के और कुछ नहीं होता। प्रेसिडेन्ट विलसन ऐसी गुप्त मन्त्र-णाओं के खिलाफ हैं। आप कूट-राजनीति को पसन्द नहीं करते। आप साफ़ और खुला व्यवहार चाहते हैं। आपने एक वक्त कहाथाः—

"प्रकाशरूपसे कार्य करना राजनीति का सबसे पवित्र तत्व है। राजनैतिक मामलों को खुले तौर से प्रकाशित करने में उनकी सब बुराइयां निकल जाती हैं। राजनैतिक मामलों को तय करने का सबसे अच्छा रास्ता खुले तौर से वादानुवाद करना है। अच्छी बात को छिपाने की कोई जरूरत नहीं होती। राजनीति सार्वज-निक है। फिर उसे छिपाने की क्या ज़रूरत है। रुग्ण राजनीति (diseased politics) को वैसेही सुधारना होगा जैसे क्षय रोगी सुधारा जाता है। आप जानते हैं कि क्षय का रोगी तभी आराम होता है, जब वह खुली हवा में बाहर रखा जाता है।

घरके अन्दर बन्द और अन्धेरे में रखने से उसके विगाड़ होने का डर रहता है। ठीक यही हालत किसी देश की राजनीति की है। अगर आप उसे मकान में बन्द कर रखेंगे अर्थात् उसकी चर्चा खुले तौर से न करेंगे तो उसके बिगड़ जाने का डर रहेगा।"

"मेरा यह विश्वास है कि सरकार को अपनी कार्यवाही खुफ़िया तौरसे करने के बजाय खुले तौर से करनी चाहिए। अन्धकार में काम करने की बजाय प्रकाश में काम करना अच्छा है"।

हमने प्रेसिडेन्ट विलसनके शिक्षाविषयक, साधारण जनता विषयक, और राजनैतिक विचारोंका कुछ दिग्दर्शन ऊपर कराया है। अब हम पुनः उनके जीवन चरितकी ओर झुकते हैं। यह हम पहले कह चुके हैं कि उनकी प्रवृति बचपनसेही सार्वजानिक कार्योंकी ओर विशेष थी। इसका कारण यह था कि प्रथमतः वे जिस प्रान्त में रहते थे तथा जिस परिस्थितिमें वे पर्वरिश हुए वह प्रान्त और वह परिस्थिति सार्वजनिक सेवाके उच्च ध्येयके अनुकूल थी। उन्हें अमेरिका की राज्यव्यवस्था, अमेरिकाका इतिहास, और राजनीतिके अध्ययन करनेके भी उपयुक्त अवसर मिले। प्रिन्स्टनके अध्यक्ष होनेके बाद तो वे इन बिषयोंमें मानों गड़ेस गये। इस समय अमेरिका की भिन्न भिन्न संस्थायें, भिन्न भिन्न प्रख्यात समाचारपत्र प्रचलित विषयोंपर अपने विचार प्रकाशित करनेके लिए इनसे प्रार्थना करने लगे। आपके व्याख्यानों और लेखोंकी कीर्ति चहुँ ओर फैल गई। अमेरिका स्वतन्त्र राष्ट्र है। भारतकी तरह बन्धनोंमें जकड़ा हुआ वह नहीं है। वहांके अध्यापक तथा विद्यार्थी राजनीतिसे जुदा नहीं रखे जाते। वहां तो अध्यापकों को राजनैतिक विषयोंमें गिरना ही पड़ता है। वहां राजनैतिक

विषयोंपर चर्चा करनेका सबको स्वतन्त्र अधिकार है। अध्यापकों को यह अधिकार विशेषरूपसे है; क्योंकि वे राष्ट्रकी भावी सन्तानेक निर्माण-कर्त्ता हैं। उनका दर्जा वहां बहुत ऊँचा समझा जाता है। लोकमतको शुद्ध उच्च और शास्त्रीय पद्धतिका बनानेके लिए वहां अध्यापकों का बड़ा उपयोग होता है। अध्यापक, मौका मिलनेपर बड़ेसे बड़े पदपर पहुँच सकता है। प्रेसिडेन्ट विलसनकी ही बात लीजिए। आप एक कॉलेजमें प्रोफेसर थे। इसके बाद आप प्रिंस्टन-विश्वविद्यालयके अध्यक्ष हुए और इस पदसे आप जर्सी प्रान्तके गवर्नर होगये। अभागे भारतवर्ष में यह दशा कब उपस्थित होगी, भगवान्ही जानें!

प्रेसिडेन्ट विलसन न्युजर्सीके गवर्नर बिना हेरहारके हुए। हम पहले कह चुके हैं कि कई विषयोंमें अमेरिकाकी राज्य-पद्धति बड़ी दोषपूर्ण है। वहाँ साधारण लोगोंको अपने मन मुताबिक प्रतिनिधि चुननेमें बड़ी कठिनाई होती है। तात्त्विक दृष्टिसे तो वहाँ सार्वत्रिक मताधिकार प्रचलित है; पर वहाँ धनवानोंने धनके जोर पर बहुतसे संघ बना रखे हैं। पैसेके लालचसे कई लोग इनमें शामिल होगये हैं। इन संघोंके कारण धनवान् राजकार्यमें जैसा चाहें, काम करवालेते हैं। ये संघ और इनके सञ्चालक जिस मनुष्यको उम्मीदवार बनाते हैं, प्रायः उसे ही अधिक मत मिलते हैं। इससे अन्य साधारण लोगोंके मतका बुरी तरह घात होता है। राज्यकार्यमें इस भ्रष्ट नीतिके कारण धनवानों ही की बन आती है। अन्य मनुष्य, जिनका इन संघोंके साथ या धनवानोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं, इच्छा रहते हुए भी, कोई बड़ा काम नहीं करवा सकते।

गवर्नर या प्रेसिडेन्टके चुनावमें भी इस भ्रष्ट नीतिके कारण धनवान बाजीमार ले जाते हैं; क्योंकि पैसेके जोरसे वे बहुतसे लोगोंको

अपने पक्षमें करके उनके संघ बना लेते हैं, और अधिकांश मत अपनी तरफ करके गवर्नर या प्रेसिडेन्टका चुनाव या अन्य कोई बड़ा कार्य अपने मनके मुताबिक करवा लेते हैं। हमने ऊपर जिन संघोंका जिक्र किया है, उनके सञ्चालकोंको बॉसेस (Boses) कहते हैं और इस पद्धतिको बॉस-सिस्टम कहते हैं। अमेरिकाकी सिनेट सभामें इन बॉसेसका बड़ा जोर है। इसीसे अमेरिकाकी लोक प्रतिनिधि सभा (House of representatives) से भी सिनेटका प्राबल्य अधिक है। प्रेसिडेन्ट विलसन इस बॉस सिस्टमके खिलाफ हैं। पर मजा यह है कि इनका चुनाव बॉसेस हीके कारण हुआ। किस्सा बड़ा मजेदार है। सुनिए—इसी प्रकारके एक संघने, यह समझ कर कि डाक्टर विलसन सीधे-सादे हैं और अपने हाथकी कठपुतली होकर रहेंगे, डॉक्टर विलसनसे प्रार्थना की कि वे जर्सी प्रान्तकी गवर्न-रीके लिए उम्मीदवार बनें। इस संघका मुख्य कर्त्ता धर्त्ता स्मिथ नामका एक मनुष्य था। उसने समझा कि विलसन जैसे बे तजुर्बेकार आदमी अगर जर्सीके गवर्नर बनाये गये तो जर्सीकी ओरसे संयुक्त राष्ट्रकी सिनेटमें हम सहजही जा सकेंगे। बस, इसी विचारसे उसने प्रजातन्त्रीय संघके द्वारा विलसनको जर्सीका गवर्नर चुनवा लिया। सिनेटर स्मिथ, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं, बड़ा धूर्त्त, चालाक, धनवान्, सच झूँटकी कुछ परवाह न करनेवाला, गरीबोंका दुश्मन और बहुजन समाजको तुच्छ समझनेवाला था। यह ‘ बॉससिस्टम ’ का पुतला था। यद्यपि स्मिथके कारण ही विलसन साहबको यह पद मिला था तथापि उन्हें स्वभावतः ही ऐसे मनुष्यसे घृणा थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि गवर्नर हो जाने पर मैं ऐसे मनुष्यको कभी सिनेटमें प्रविष्ट न होने दूँगा। स्मिथ कुछ कुछ यह बात ताड़ गया था। पर उसे यह विश्वास न था कि डॉक्टर विलसन इतनी दृढ़ मनोवृत्तिके होंगे कि

यत्न करनेपर भी वे उसके बस न होसकें। उसे तो यह विश्वास था कि जहाँ एक वक्त विलसन गवर्नर होगये कि मैं अपनी सत्ताके जोरसे जैसा चाहूँगा, उनसे कार्य निकलवा लूँगा। इसी विचारसे, थोड़े दिनोंके बाद, स्मिथ डॉक्टर विलसनसे मिलने गया। पहले उसने इधर उधरकी गप्पें मारकर विलसन साहबके कानमें कहा कि—

"सिनेट में प्रविष्ट होने के लिए मैं उम्मीदवार हूँ" इसपर विलसन साहब ने कहा कि सिनेट का चुनाव तो हो चुका। इसपर स्मिथको बड़ा रंज हुआ। वह मनही मन विलसन साहब पर कुढ़ने लगा; पर कुछ न कह सका। विलसन साहब के इस अलौकिक मानसिक धैर्य से लोगों के चित्तपर बहुत असर हुआ। विलसन साहब कभी धनवानों के पञ्जेमें न फँसे। धनका लोभ उन्हें अपने उच्च ध्येय से न गिरासका। कर्त्तव्य-पालन और मनुष्यजातिके हितका आदर्श ही सदा उनके सामने रहा। उन्होंने यह दिखला दिया कि विद्वत्ताके साथ सदाचार, कर्तव्यपालन, और उच्च ध्येय का संयोग होनेही से वह पूज्य है। उन्होंने जिस बातको जनता के लिए अहितकर समझा, उसे उठादिया। उन्होंनें जनता के हित के सामने स्वार्थ की कुछ परवाह न की।' उन्होंने एक जगह कहा है—

"मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे उन्हीं लोगोंमें दिलचस्पी है जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती, जिनके लिए समाचार-पत्रोंमें एक लाईन नहीं लिखी जाती, जिन्हें प्लेटफॉर्मपर आनेका अवसर नहीं मिलता, जिन्हें गवर्नर तथा प्रेसिडेन्ट से मिलनेका कोई जरिया नहीं, जो बेचारे चुपचाप दुनियाके बोझ को सिरपर लादे हुए अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। लक्ष्मीपति इन बेचारों के दुःखोंको कैसे समझ सकते हैं। इनके दुःखोंका—इनकी आवश्यकताओंका पता धनवानोंसे कैसे लग सकता है? यही कारण है कि सरकार लोगों

के द्वारा बनाईजानी चाहिए यही उचित है। बिना लोगों की सम्मतिके किसी जनसमुदाय के कहने पर कोई नीति निश्चित नहीं करनी चाहिए। अमेरिका कभी इस बातको पसन्द नहीं करता कि थोड़ासा जनसमुदाय सारी जनता के स्वार्थों को कुचल दे, और थोड़ेसे लोगों की मुट्ठीमें सारी जनता आजाय। हम सबके लिए स्वाधीनता चाहते हैं। हम सबके स्वार्थ और हित की रक्षा चाहते हैं। हम ऐसे कानून बनाना चाहते हैं जो न केवल किसी जनसमुदाय विशेष ही के लिए उपयोगी हों, पर सारी जनताके लिए हों। अभी हमारे सामने सायर (Tariff) का सवाल है। यह सवाल तबतक जनता के हितमें हल न होसकेगा, जबतक वे लोग कौन्सिलर रहेंगे, जिन्होंने सारे व्यापारको अपनी मुट्ठीमें कर रक्खा है। इसी प्रकार हमारे सामने करन्सी का सवाल भी है। पर क्या यह सवाल केवल बेङ्कोंके मालिकोंही की सलाह से हल हो सकता है? कभी नहीं।"

"संयुक्त--राष्ट्रकी सरकार को अभी बहुतसे काम करने के हैं। पर यह कार्य तबतक सफलतापूर्वक नहीं हो सकते जबतक कि सरकार विराट लोकसमूहकी ज्वलन्त मूर्ति न बन जाय। जबतक कि सरकार और लोगों में यह भावना न हो जाय कि दोनों के स्वार्थ एक हैं और एक के हितमें दूसरे का हित है, जब दोनों ओर से सहानुभूति, ऐक्य और प्रेमके स्रोत न बहने लगें"।

विलसन महोदयने समय समयपर ऐसे ही विचार प्रकाशित किये हैं। उनकी रायमें साधारण जनताही राष्ट्रका जीवन है। राज्यकार्यमें जनताके हितका प्रतिबिम्ब स्पष्ट रूपसे दिखना चाहिए। अस्तु।

गवर्नर रहते समय विलसन साहबने जर्सी प्रान्तमें बहुतसे सुधार किये। उन्होंने "बॉस सिस्टम" को बन्द कर दिया। हरएक कार्यमें वे लोकमतको प्रधानता देने लगे। इससे उनका धैर्य, उनकी निस्पृहता

उनकी सत्य वृत्ति, उनकी न्यायानिष्ठा, उनकी लोक-कल्याण-पराय-णता, साफ़ साफ़ दिखलाई पड़ने लगी। जर्सीमें, तीन वर्षके अर्सेमें, उन्होंने बहुतसी जनहितकारी और महत्वपूर्ण काम किये। बहुतसी खराबियां दूरकीं। चुनावके समय जो रिश्वतखोरी और पक्षपात चलता था, उसे बहुत कुछ बन्द किया "मॉनॉपॉली" * के बुरे रिवाजको बहुत बाधा पहुँचाई। इस कार्यके लिए उन्होंने एक मण्डल कायम कर दिया, कि "कॉरेपोरेशन" व ट्रस्टकी अम-र्याद बढ़ती रुक जाय। उन्होंने जर्सीकी पाठशालाओं और शिक्षा पद्धतीका तथा कैदियोंकी स्थितिका सुधार किया। मजदूरोंके विषयमें एक कानून बनाया जिसमें मज़दूरोंको अपने परिश्रमका उचित मुशाहिरा मिलनेकी बात है। इस कानूनमें यह भी बात है कि किसी मज़दूरको कारखानेमें काम करते समय कोई इज़ा हो जाय, तथा उसका कोई अङ्ग भङ्ग हो जावे तो इस कानूनके अनुसार मालिककी औरसे इसकी नुकसान भरपाई की जाती है। और भी बहुतसे सुधार किये। सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि आयात और निर्गत मालपर ताबा (Control) कर लिया, जिससे लोगोंको खाद्यसामग्री उचित तादादमें सस्ती मिले। न्यू जर्सीमें आपने जो कार्य किये उनसे सारे देशमें वे योग्य और कर्तृत्ववान मुत्सद्दी समझे जाने लगे। उनकी कीर्ति बहुत बढ़गई। इनके कार्योंसे लोगोंको मालूम हुआ कि विलसन साहब विद्वान हैं, राजनीतिके पण्डित हैं, सत्यके प्रेमी हैं, बहुजन समाजका हित चाहनेवाले हैं, उच्च चरित्रके हैं और सार्वजनिक सेवक हैं।

---

* सारेके सारे व्यापारको हथिया लेना "मॉनॉपॉली कहाता है।

विलसन और अमेरिकाकी प्रेसिडेन्सी

हम ऊपर लिख चुके हैं कि जर्सीकी गवर्नरीमे विलसन साहबको पूरी सफलता प्राप्त हुई। सारे देशमें वे एक अत्यंत कुशल राजनीतिज्ञ और अत्यन्त कर्तव्यपरायण, निर्भय, प्रजाके परमहितैषी शासक समझे जाने लगे। इन गुणोंके कारण वे बहुत लोक प्रिय हो गये। लोग उन्हें अपना हितरक्षक समझने लगे। सन् १९१३ के मार्च मासमें प्रेसिडेन्ट टेफ्ट (President Taft) का कार्यकाल समाप्त होने वाला था। इसके एक साल पहले वहांकी Democratic state convention नामकी सभाने उन्हें अमेरिकाकी प्रेसिडेन्सीके लिए उम्मीद्‌वार चुना विलसन साहबने इसपर कुछ अप्रसन्नता प्रकट की। पर लोग आप पर इतने मुग्ध हो रहे थे कि चहुँ ओरसे आपका नाम आने लगा। लोगोंका एक विशाल समुदाय आपहीके प्रेसिडेन्ट चुने जाने पर जोर देने लगा। यह बात ठीक भी थी; क्योंकि लोगोंने देखा था कि ये वही विलसन हैं जो एक उच्च श्रेणीके साहित्यसेवी हैं; ये वही महानुभाव हैं जो राजनीतिके पारङ्गत विद्वान् हैं; ये वही सज्जन हैं जो अद्वितीय वक्ता हैं; ये वही महापुरुष हैं जो समुदायविशेषहीका नहीं, पर करोड़ों प्रजाके सुख दुःखोंपर ध्यान देनेवाले हैं; ये वही प्रजाहितैषी महानुभाव हैं; जो सारी प्रजाके विश्वासपात्र हैं। बात यह है कि संयुक्तराष्ट्रमें चहुँओर इस सर्वोच्च पदके लिए ज्यादातर आपहीका नाम लिया जाने लगा। कुछ स्वार्थी लोगोंने इसका विरोध भी शुरू किया, पर उनकी कुछ न चली और विलसन साहब संयुक्त राष्ट्रके प्रेसिडेन्ट चुन लिये गये। ऊपरके अध्यायोंसे पाठकोंको मालूम हुआ होगा कि सार्वजानिक हितकी ओर उनका ध्यान सदासे रहा है—सार्वजनिक कल्याणहीको वे सदासे अपना आदर्श समझते आ रहे हैं। प्रेसिडेन्ट होनेके बाद आपने अमेरिकाकी साधारण स्थिति पर जो भाषण किया

था, उसमे भी आपके इन्हीं आदर्शोंका प्रतिबिम्ब झलकता है। आपने कहा था:—

" जान पड़ता है कि राष्ट्र अब जागृत हुआ है। वह अपने भूले हुए आदर्शों तथा कर्तव्योंको फिर समझने लगा है। अब वह उन साधारण लोगोंकी तकलीफको समझने लगा है, जो उसके जीवन हैं। अब वह समझने लगा है कि यहाँ इस वक्त साधारण लोगोंको तरक्कीके मौके सहल रीतिसे नहीं मिलते। वह समझने लगा है कि कुछ थोड़ेसे लोग सार्वजनिक हितका हड़प कर बैठते हैं। वह जानने लगा है कि अमेरिकाके व्यापार और उद्योग-धन्धोंको कुछ लोगोंने मुट्ठीमें कर रक्खा है। इससे सार्वजनिक घोर हानि होती है। वह समझने लगा है कि उसने अपनी प्रिय स्वाधीनताको बहुत कुछ खो-दिया है और सारे राष्ट्रकी स्वाधीनता कुछ स्वार्थी धनवानोंके हाथमें चली गई है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि सारे राष्ट्रमें न्याय और स्वत्वरक्षाके नियम काममें लाये जाने चाहिए। ऐसी व्यवस्था करना चाहिए, जिससे सारी जनताको अपनी तरक्कीका रास्ता ढूँढनेमें कोई रुकावट खड़ी न हो। हालमें शासन-कार्यमें व्यक्तिगत स्वार्थका बड़ा प्रभाव है, वह मिटकर सार्वजनिक हित ही की चहुँ ओर दुन्दुभी बजना चाहिए "।

विलसन साहब संयुक्त-राष्ट्रके लिए ऐसे कानून और शासनकी व्यवस्था करने लगे, जो वहाँके व्यापारिक और सामाजिक आवश्यकताओंके अनुकूल हो। उन्होंने इस सुधारके काममें हाथ डाला ही था कि—

महायुद्ध ज्वालामुखी फटा।

जिसने सारे संसारको कम्पायमान कर दिया। प्रेसिडेन्ट विलसनने अमेरिकाकी निरपेक्षताकी घोषणा कर दी। अमेरिका सदासे

अन्तर्राष्ट्रीय पञ्चायतका पक्षपाती रहा है। वह युद्धका घोर विरोधी है। संसारमें स्थायी शान्ति स्थापित करना ही उसका आदर्श है। जहाँतक बन पड़े रक्तपातको बन्द करनेहीमें वह मानवजातिकी सेवा समझता है। प्रेसिडेन्ट विलसन, जैसा कि उनके व्याख्यानोंसे प्रकट होता है, इन आदर्शोंकी ज्वलन्त मूर्ति है। आपने इस बातका प्रयत्न करना चाहा कि इस प्रकारका समझौता कर दिया जाय, जिससे यह महायुद्ध न हो। इस आशासे आपने जर्मनीके सम्राट् कैसर विलियम, आष्ट्रियाके सम्राट् फ्रेन्सिस जोसेफ, रूसके जार निकोलस, ग्रेटब्रिटेनके सम्राट् जॉर्ज' फ्रान्सके प्रेसिडेन्ट पॉयनकेरको निम्नलिखित आशयका एक पत्र भेजा। प्रेसिडेन्ट विलसनने जब यह पत्र लिखाया तब उनकी प्रिय पत्नी श्रीमती विलसन मरणासन्न थी—मृत्युकी शय्या-पर पड़ी हुई थी। स्वर्गलोककी बाट जोहती हुई अपनी प्रियपत्नीके पास बैठकर प्रेसिडेन्ट विलसनने यह पत्र लिखा था:—

"हेग कन्व्हेशन पर सही करनेवाली शक्तियोंमें एक शक्तिके प्रेसिडेन्टकी हैसियतसे मैं आपको अत्यन्त मित्रभावसे निवेदन करना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि अगर आप चाहेंगे तो योरपके हितके लिए इस युद्धको निपटानेकी मध्यस्थी करनेके लिए मैं सहर्ष तैयार रहूँगा। शान्तिस्थापित करनेके कार्यमें मुझे बड़ा आनन्द होगा"।

किसी ओरसे इसका कोई जवाब नहीं आया, केवल पहुँच मात्र आई। पर प्रेसिडेन्ट विलसन यह देखते रहे कि कोई ऐसा उपयुक्त मौका आवेतो योरपमें शान्ति स्थापित करें। प्रेसिडेन्ट विलसनने खूब प्रयत्न किया कि शान्ति हो जाय, पर जर्मनीकी कुटिल नीतिके कारण उन्हें सफलता नहीं हुई। उन्हें मालूम हुआ कि जर्मनी मनुष्य जातिकी स्वाधीनताको पैरोंतले कुचलने पर उतारू हो रहा है। जर्मनीकी और घृणित कार्यवाहियोंको देखकर उन्हें बड़ा दुःख

हुआ। जब जर्मनीने ग्रेटब्रिटनके किनारे आनेवाले निरपेक्ष राष्ट्रोंके जहाजोंको डुबानेकी घोषणाकी तब तो उन्हें इस बातका सन्देह होने लगा कि कहीं अमेरिका और जर्मनीके भी सम्बन्ध न तन जाय। सन् १९१५ की ७ मईको जब जर्मन पनडुब्बियोंके द्वारा अमेरिकाका लुसोटोनिया जहाज डुबोया गया, तब तो जर्मनीकी इस निर्दय क्रियाको अमेरिका शत्रुताकी सूचना समझने लगा। पर डाक्टर विलसनने युद्धके अवसरको टालना चाहा। उन्होंने जर्मनीसे बहुत लिखापढ़ी की और बारबार उससे इस प्रकारके निर्दय कर्म न करनेको कहा। जब उनकी एक बात न मानी और उसने अपना क्रूर कर्म जारी रक्खा, तब लाचार होकर उन्होंने जर्मनीके साथ युद्ध घोषणा करदी। यहाँ यह बात स्मरण रखना आवश्यक है कि भूमि-अधिकार तथा अन्य किसी स्वार्थके वश हो, प्रेसिडेन्ट विलसनने यह युद्ध घोषणा न की, पर मनुष्यजातिके न्याय और समानताकी रक्षाके पवित्र उद्देशको सामने रखकर वे युद्धक्षेत्रमें उतरे। यह बात उस व्याख्यानसे, जो उन्होंने युद्धघोषणा करते समय दिया था, साफ साफ प्रकट होती है। इस विषय पर यहाँ अधिक कुछ न लिख कर विलसन साहबके विविध व्याख्यानोंका अनुवाद जो हमने अगले अध्यायोंमें दिया है, पढ़नेकी सिफारिश करते हैं।

महायुद्धमें विजय।

अमेरिकन सेना लाखोंकी संख्यामें योरप पहुँची और खूब वीरतासे जूझी। इन सेनाओंके आजानेके कारण फ्रान्स रणक्षेत्रकी स्थिति बिलकुल बदल गई। पहले शत्रुका पलड़ा भारी था, अब मित्रोंका हो गया। दिन परदिन रणक्षेत्र पर अमेरिकाकी नई नई सेनायें उतरती गईं और अन्तमें इन सेनाओंकी प्रचण्ड सहायताहीसे मित्रोंकी विजय हुई। शत्रुसेनाको हार खानी पड़ी। जर्मनीकी सरकारने

प्रेसिडेन्ट विलसनको लिखा कि उन्होंने सुलहके लिए जो १४ शर्तें दिखलाई हैं, उनके अनुसार जर्मनी सन्धि करनेके लिए तैयार है। अमेरिका और मित्रराष्ट्रोंने मिलकर अस्थायी सन्धिकी शर्तें बनाईं और वे जर्मनीके प्रतिनिधियोंको सुझाई गईं। ये शर्तें कड़ी होनेपर भी हारे हुए जर्मनीको मजबूर होकर माननी पड़ीं। ये शर्तें क्या हैं? इस बातको समाचारपत्रोंके पाठक जानते हैं। यहाँ उन्हें दोहराना ठीक नहीं।

प्रेसिडेन्ट विलसन और सुलह कॉन्फरेन्स।

आज कई माससे फ्रान्सके पेरिस नगरमें सुलह कॉन्फरेन्स हो रही है। इस वक्त इसमें केवल मित्रराष्ट्रोंके प्रतिनिधि हैं। शत्रुके प्रतिनिधि अभी इसमें नहीं लिये गये हैं। मित्रराष्ट्र सुलहकी शर्तें तय करके उन्हें स्वीकार करनेके लिए हारे हुए शत्रुको बाध्य करेंगे। कई लोगोंका कथन है कि इन शर्तोंमें बहुतसी बातें ऐसी रहेंगी जो प्रेसिडेन्ट विल-सनकी १४ शर्तोंके बाहर होंगी। लक्षणोंसे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। प्रेसिडेन्ट विलसन यद्यपि अपने सिद्धान्तोंके पक्के जान पड़ते हैं, पर आजकलकी कूटराजनीतिके सामने तोड़ जोड़ किये सिवा काम ही नहीं चल सकता। अतएव इस तोड़ जोड़के लिए बड़ेसे बड़े आदमीको भी अपने सिद्धान्तोंसे कुछ पीछे पैर हटाना पड़ता है और प्रेसिडेन्ट विलसनको भी कुछ ऐसा ही करना पड़ा है। यह कॉन्फरेन्सकी कार्यवाहियोंसे किसी भी समझदार मनुष्यको दिखलाई देगा। समुद्रकी स्वतन्त्रताका प्रश्न, जिसे प्रेसिडेन्ट विलसन सबसे महत्वका समझते हैं, उनकी इच्छाके मुताबिक हल होता हुआ नहीं दीख पड़ता। और भी कई ऐसी बातें हैं जो केवल शब्दाडम्बर तक ही रहगईं। राष्ट्र संघकी उदार कल्पनाने अभी जो रूप धारण कर

रक्खा है उसपर कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं। पहले सोचागया था कि यह संघ सारे संसारका होगा। इससे संसारमें वह सुखमय समय उपस्थित हो जायगा कि भविष्यमें संसारको कभी युद्धकी भयानक आपत्तिका सामना न करना पड़ेगा। पर अबये बातें लोगोंको स्वप्नसी जँच रही है। लोंगोको यह बात दिखलाई दे रही है कि राष्ट्रसंघके लिए प्रेसिडेन्ट विलसनकी जो मूल कल्पना थी उसका बहुत कुछ विपर्यास हो गया है। और यह राष्ट्रसंघ सारे संसारका नहीं पर कुछ योरपीय शक्तियोंका होगा। अमेरिकामेंभी सिनेंटर लॉज प्रभृति कई राजनीतिज्ञोंने राष्ट्रसंघके इस रूपका विरोध किया है। अब प्रेसिडेन्ट विलसन वापस फ्रान्स पहुँचे हैं। संसारमें स्थायी शान्ति स्थापित करनेका उच्चत्तम ध्येय कहां तक सफल होगा यह एक ऐसा सवाल है, जिसका जवाब ठीक तौरसे सुलह होनेके बादही दिया जा सकता है। पर यहां हम इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि प्रेसिडेन्ट विलसनके आदर्श उच्च और पवित्र हैं। हृदयके वे शुद्ध जान पड़ते हैं। मानवी स्वाधीनता, न्याय और समानताके पवित्र तत्वोंके वे बड़े उपासक हैं। परमात्मा करे और वह दिन शीघ्र आवे कि प्रेसिडेन्ट विलसनके इन दिव्य तत्वोंकी दुन्दुभी सारे संसारमें बजे और सारी मानवजाति सुख शान्तिसे रहती हुई स्वाधीनता, समानता और न्यायकी उपासक बने

प्रेसिडेन्ट विलसनके व्याख्यान ।

सिनेट के सभ्य सज्जनो ! दिसम्बर की १८ तारीख को मैंने युद्ध में लगे हुए राष्ट्रोंकी सरकारोंके पास नोट भेजकर उनसे यह प्रार्थना की थी कि आप साफ़ तौरसे उन शर्तोंको प्रकट करें, जिनसे आप सुलह की सम्भावना समझते हैं । अभीतक लड़नेवाले राष्ट्रों की ओर से इस सम्बन्धमें जो बातें कही गई हैं, वे वैसी साफ़साफ़ नहीं हैं जैसी कि होनी चाहिए । उनके साफ़ होनेकी आवश्यकता है । सारी मनुष्य-जाति और निरपेक्ष राष्ट्रों के हितके लिए मैंने यह बात कही है । क्योंकि मनुष्यजातिका और बहुतसे निरपेक्ष राष्ट्रोंका हित, इस युद्ध के कारण, जोखिममें पड़रहा है। मेरे इस नोटका मध्यवर्ती राष्ट्रोंने मिलकर जो उत्तर दिया उसमें उन्होंने कहा कि सुलहकी शर्तों पर परिषद् में अपने दुश्मनों के साथ बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। मित्रराष्ट्रोंनें मध्यवर्ती राष्ट्रोंसे कुछ अधिक स्पष्ट उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि युद्धका संतोषकारक निबटारा तभी होसकता है जब इस बातकी गारंटी मिले कि भविष्यमें ऐसे अत्याचार और अमानुषी कार्य्य न हो सकेंगे और शत्रुकी ओरसे नुकसानकी भरपाई होगी । ये दोनों पक्षोंकी बातें हैं, जो सुलहके लिए कही जाती हैं । बात यह है कि ये बातें जितनीं ही अधिक स्पष्ट होती जायँगी, उतने ही अधिक हम सुलहके नजदीक पहुँचते जायँगे । इन्हीं बातोंकी स्पष्टतासे हम उस अन्तर्राष्ट्रीय संघकी सफलताके मार्गपर पहुँच सकेंगे, जो कभी संसारकी सुलहके प्रश्नको हाथमें लेगा । यह सुलह ऐसी शक्तियोंके सम्मेलन द्वारा होनी चाहिए, जो ऐसा पक्का प्रबन्ध करे, जिससे भविष्यमें ऐसे भीषण युद्ध होना मानवजाति पर ऐसी महा भयानक विपत्ति आना—असम्भव हो जाय । जो मानव-जातिके

हितैषी हैं, जो मानव-जातिके साथ प्रेम करते हैं, जो बुद्धिमान् हैं, उन्हें यह आदर्श अपने सामने रखना चाहिए।

मैंने आप सज्जनों के सामने निवेदन करने का जो यह अवसर निकाला है, इसका कारण यह है कि मैं आप लोगों के सामने अपने अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य और उद्देश बिना सङ्कोच के प्रकट करूं। साथ ही मैं आपके सामने यह भी प्रकट करूं कि हमारी सरकार का क्या कर्तव्य होगा और राष्ट्रों की सुलह की नींव किस ढांचे पर रक्खी जा सकती है?

यह बात तो असम्भव है कि संयुक्त राज्य इस महान् कार्य्य में हिस्सा न ले। जबसे हमने अपने राष्ट्र का नया सङ्गठन किया है, तभी से हमारी यह दिव्य और उच्च आशा रही है कि हमारा राष्ट्र मनुष्यजातिको स्वाधीनताका मार्ग बतलानेका पवित्र कार्य करता रहे। हम ऐसा करते आये हैं और आगे भी करते रहेंगे। इन्हीं उच्च और दिव्य आदर्शोंको सामने रखकर हम सेवाके उस पवित्र क्षेत्रमें उतरेंगे, जिसका अवसर अभी हमें मिला है और जिसके लिए हमारी तयारी हो रही है। हम इस सेवासे—इस पवित्र कार्य्यसे—कभी पीछे पैर नहीं हटा सकते। हमारी यह इच्छा भी नहीं है कि हम इस सेवासे मुख मोड़ें। पर इसके साथ साथ यह भी मुनासिब है कि हम और अन्य राष्ट्र उन शर्तोंको—उन स्थितियोंको—प्रकट करें जिससे हम यह सेवा ठीक तरह कर सकें।

संसारको शान्ति और न्यायकी गारंटी देनेके कार्य्यमें हमें अपनी शक्तिसे सहायता देनी चाहिए। जो राष्ट्र इन पवित्र उद्देशोंपर स्थित हैं, उनकी शक्तिको हमें अपनी शक्तिसे सहायता पहुँचानी चाहिए। इस कार्य्यमें देर करना ठीक नहीं। इसके पहले यह आवश्यक है कि सरकार अपनी प्रजासे उन बातोंको पसन्द करवाले, जिनके आधार-

पर शान्ति-संघ स्थापित करना चाहती है। मैं आज उन्हीं बातोंको कहना चाहता हूँ।

यह बात तो ठीक है कि इस युद्धका अन्त होना चाहिए। पर यह अन्त किस ढँगसे और किन शर्तों पर हो कि जिससे शान्ति स्थिर रह सके? इसके लिए मानवजातिके मत जाननेकी नितान्त आवश्यकता है। सुलहके लिए जो समझौते (agreement) किये जायँ, वे ऐसे होने चाहिए जो सारी मनुष्यजातिको पसन्द हों। जिनमें मनुष्यजातिका हित शामिल हो। और जिनसे कोई राष्ट्र या शक्ति अपनी स्वार्थ–सिद्धि न कर सके। यह सुलह ऐसी हो, जो गारंटी देनेके काबिल हो। ये शर्तें क्या होनी चाहिए इस सम्बन्धमें हम हस्त–क्षेप न करेंगे। पर हम यह जरूर देखेंगे कि इन शर्तोंपर स्थायी और गारंटी देने काबिल सुलह हो सकती है या नहीं।

मेरी रायमें वह सुलह कभी स्थायी नहीं हो सकती, और वह सुलह युद्धके भावी भयको नहीं मिटा सकती, जिसमें नई दुनिया–अमेरिका–के लोग शामिल न हों। अमेरिकाके लोग केवल एक प्रकारकी सुलहमें शामिल हो सकते हैं तथा उसकी गारंटी दे सकते हैं। जिन तत्वोंपर अमेरिकाके लोगोंकी राजनैतिक भावनायें स्थित हैं, जिन तत्वोंकी रक्षा अमेरिकाके लोग सदासे करते आये हैं, जिन आदर्शोंको अमेरिकाके लोग सदासे अपने सामने रखते आये हैं, उन तत्वोंपर–उन आदर्शोंपर–जब तक सुलह न होगी तब तक वह सुलह स्थायी और गारंटी देने काबिल नहीं हो सकती। बस, इसी प्रकारकी सुलहमें अमेरिकाके लोग शामिल हो सकते हैं।

मैं यह कहना नहीं चाहता कि लड़ाईमें लगे हुए राष्ट्रोंके सुलह विषयक किसी सिद्धान्तके मार्गमें अमेरिका बाधा डालेगा। पर मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि युद्धमान राष्ट्र आपसमें सुलह

करनेके लिए जो शर्तें पेश करेंगे, उनसे उन्हें भी सन्तोष न होगा। केवल समझौते (agreement) से कभी गारंटी देने लायक सुलह नहीं हो सकती। स्थायी और गारंटी देने लायक सुलह होने के लिए तो यह आवश्यक है कि एक ऐसा शक्तिसंघ कायम किया जाय, जिसकी शक्ति किसी एक राष्ट्र विशेषसे या कुछ राष्ट्रोंकी संयुक्त शक्तिसे ज्यादा हो। यह संघ ऐसा हो, जिसकी ताकतका मुकाबिला फिल हाल युद्धमें लगा हुआ कोई राष्ट्रविशेष, या कुछ संयुक्त राष्ट्रोंकी शक्ति, न कर सके। ऐसेही संघकी स्थापनासे स्थायी और गारंटी देने काबिल सुलह हो सकती है। अगर ऐसी सुलह हो सकती है तो मनुष्य-जातिकी सुसङ्गठित विशेष-शक्तिके द्वाराही हो सकती है।

सुलहकी जो शर्तें होंगी, उन्हींसे इस बातका निश्चय किया जा सकेगा कि यह सुलह गारंटी देने काबिल है या नहीं। संसारकी शान्ति और नीति जिस प्रश्नपर निर्भर करती है, वह यह है कि क्या यह आधुनिक युद्ध इसी लिए हो रहा है कि इससे दुनियामें गारंटी देने काबिल शान्ति हो जाय, या इससे नई शक्तिकी समतोलता (Balance of power) हो जाय। अगर यह युद्ध नये शक्ति-सामञ्जस्य या समतोलता ही के लिए हो रहा है तो फिर स्थायी सुलहकी गारंटी कौन दे सकता है ? हमें याद रखना चाहिए कि द्वेष-रहित युरोप ही शान्त युरोप हो सकता है। स्थिर शान्तिके लिए शक्ति-सामञ्जस्यकी जरूरत नहीं है। जरूरत है शक्ति सह-योगिता (Community of power) की। सुसङ्गठित प्रतिद्वन्द्विताकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि सुसङ्गठित शान्तिकी आवश्यकता है।

सौभाग्यवश उस सम्बन्धमें हमें सन्तोषकारक आश्वासन मिला है। युद्धमें लगे हुए राष्ट्रोंके दोनों पक्षोंके राजकाजियों और मुन्शियोंने

कहा है कि अपने शत्रु-पक्षको कुचलनेकी हमारी इच्छा नहीं है। पर इन दोनों पक्षोंके इस कथनका, सम्भव हैं, जुदा जुदा अभिप्राय हो। मैं इस सन्बन्धमें कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। दोनों पक्षोंके मन्तव्योंका भाव यह है कि ऐसी सुलह हो जिसमें किसीकी जयपराजय नहीं मानी जाय (Peace without victory)। मैं आपके सामने अपने विचार पेश करके इस सम्बन्धमें कुछ खुलासा करना चाहता हूं। मैं आपके सामने खुले तौरसे सच्ची सच्ची बात कह देता हूं। "विजय" शब्दसे यह मतलब है—जित याने हारे हुए राष्ट्रपर सुलहकी शर्तें लादना। ये शर्तें हारा हुआ राष्ट्र अपमानके दुःखसे दुखी होकर स्वीकार करेगा। यह बात जित राष्ट्रको असह्य होगी। उसके मनमें बदला लेनेका कलुषित भाव बना रहेगा। उसे इस अपमानकी स्मृति रहेगी। भला, इसतरह जो सुलहकी शर्तें निश्चित होंगी, वे कहांतक कायम रह सकती हैं? बालूकी इमारत की तरह उनके खिसक जानेका हरसमय डर है। स्थायी सुलह वहीं हो सकती है जो बराबरीके तत्वोंपर की जाय। समानताके तत्वोंपर और संसारके हितमें शामिल होनेके उदाराशय सिद्धान्तोंही पर टिकाऊ सुलह हो सकती है। राष्ट्र और राष्ट्रके बीच जहांतक मन साफ न होगा—जबतक राष्ट्रोंके मनमें वैरविरोध और बदला लेनेके भाव बने रहेंगे, तबतक स्थायी सन्धि होना मुश्किल है। जिसप्रकार राष्ट्रोंकी सीमाओंके प्रश्नोंका, जातीय तथा राष्ट्रीय मामलोंका, फैसला करना मार्केका काम है, वैसाही यह भी है।

राष्ट्रोंकी समानताका अर्थ जिसपर कि सुलहकी नींव रक्खी जानी चाहिए, राष्ट्रोंके हकोंकी समानता है। बड़े और छोटे तथा बलवान और निर्बल राष्ट्रोंमें भेदभाव न रक्खा जाय। हक—सम्मिलित शक्ति (Common strength) पर अवलम्बित रहने चाहिए,

न कि व्यक्तिगत शक्तिपर। हमारे कथनका आशय यह नहीं है कि सब राष्ट्रोंके बीच बराबर भूमि और साधन रहें। यह फर्क मिटना तो असम्भव है। कहनेका सारांश यह है कि सब राष्ट्रोंके लोगोंको आत्मविकास और स्वाधीनताके हक बराबरीसे मिल जायँ। बलवान निर्बलकी स्वाधीनता और आत्मविकासके मार्गमें बाधा न डाल सके। अब सारी मनुष्यजाति स्वाधीनताकी ओर टक-टकी लगाकर देख रही है न कि शक्ति-सामञ्जस्य की ओर।

एक बात और है जो राष्ट्रोंके हकोंकी समानतासे भी ज़्यादा महत्व रखती है। कोई सुलह तबतक स्थायी नहीं हो सकती, जबतक कि उसमें यह सिद्धान्त स्वीकृत न किया जाय कि "तमाम सरकारें अपनी शक्तियाँ प्रजाकी राजी-रजामन्दी (Consent)-से ग्रहण करती है और उसे यह अधिकार नहीं है कि प्रजाको मिल्कियत की तरह एक राज्यके हाथसे दूसरे राज्यके हाथमें सौंपती रहे।" जैसे आप पोलेंडको ले लीजिए। हम सब चाहते हैं कि पोलेंड स्वतन्त्र रहे। वह अपना शासन आकरे। उसकी स्वतन्त्रताको कोई भङ्ग न करे। उसके लोगोंको इस बातकी गारंटी दी जाय कि वे अपना व्यापारिक और औद्योगिक विकास करते चले जायँ। पर अबतक पोलेंडमें क्या होता रहा? वह एक ऐसी सरकारके अधीन रहा, जिसका उद्देश पोलेंडवासियोंके विरुद्ध था। बात यह है कि जो सुलह पूर्वोक्त तत्वोंको छोड़कर की जायगी वह कभी स्थायी न हो सकेगी।

जहां तक सम्भव हो प्रत्येक राष्ट्रको समुद्रकी स्वतन्त्रताका आश्वासन मिलना चाहिए। सब राष्ट्रोंको लिए समुद्रका मार्ग खुला होना चाहिए। समुद्रकी स्वतन्त्रता पर सुलह, समानता, और सहयोगिता बहुत कुछ निर्भर करती है। बिना समुद्रकी स्वतन्त्रताके राष्ट्रोंकी

पारस्परिक मित्रता और विश्वास नहीं बढ़ सकता। राष्ट्रोंका परस्पर आमदरफ्त बिलकुल स्वतन्त्र और निर्भय होना चाहिए। यह बात भी स्थायी शान्ति और राष्ट्रोंकी उन्नतिके लिए आवश्यक है। अगर राष्ट्रोंकी सरकारें समुद्रको स्वतन्त्रताके विषयमें दिलसे समझौता करना चाहें तो यह स्वतन्त्रता प्राप्त करना कठिन नहीं है।

समुद्रकी स्वतन्त्रताका प्रश्न जहाजी अस्त्रशस्त्रोंको सीमा-बन्द्ध करनेकी बातसे घना सम्बन्ध रखता है। समुद्रकी स्वतन्त्रताके लिए संसारकी जल-सेनाओंकी सहयोगिताकी बड़ी जरूरत है। ये प्रश्न बड़े जटिल और नाजुक हैं। अगर जल सेनाकी वृद्धि बराबर होती रहेगी, अस्त्र-शस्त्रोंका बाज़ार दिन पर दिन ज्यादा गर्म होता जायगा, तो राष्ट्रोंमें कभी समानताका भाव न रह सकेगा। अब तो संसारके राजनीतिज्ञोंको चाहिए कि वे सुलहका—मसविदा तैयार करें और युद्धमें लीन राष्ट्रोंको चाहिए कि वे अपनी नीतिको उसके अनुकूल बना लें। जिस मुस्तैदी और तैयारीके साथ वे युद्धमें प्रवृत्त हुए थे, वैसी ही मुस्तैदी और तैयारीसे वे सुलहके लिए प्रवृत हों। शस्त्रा-स्त्रोंको सीमाबद्ध करनेका प्रश्न बड़ा व्यावहारिक प्रश्न है और इसपर दुनियाका भावी भाग्य बहुत कुछ निर्भर करता है।

इन महान् प्रश्नोंपर मैं साफ़ और खुले तौरसे बोला हूँ। मेरा खयाल है कि दुनिया सुलहके लिए उत्कण्ठित है। मैं अभी निजी तौरपर कहते हुए भी एक बड़ी सरकारके जिम्मेवार अध्यक्षकी हैसियत से भी बोल रहा हूं। मेरा खयाल है कि मैं वही कह रहा हूँ जैसा कि अमेरिकाके लोग मुझसे कहलवाना चाहते हैं। जो लोग उदारा-शय हैं, जो लोग मनुष्य-जातिके हितैषी हैं, चाहे वे किसी देशके क्यों न हों—मैं समझता हूँ, मेरे कथनको पसन्द करेंगे। ममुष्यजातिकी

जो जनता चुप है, जिसे बोलनेका अवसर नहीं मिलता, उसके हृदयके सच्चे भावोंको मैं प्रकट कररहा हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सब राष्ट्र प्रेसिडेन्ट मनरोके उदार सिद्धान्त को स्वीकार करें। उस सिद्धान्तका भाव यह है—कि किसी एक राष्ट्रको दूसरे राष्ट्रसे राजनीति (Polity) का अनुकरण करानेका अधिकार नहीं है। हरएक राष्ट्र अपनी अपनी राजनीति आपही निश्चित करे। प्रत्येक राष्ट्रको अपने अपने ढँगसे अपना अपना विकास करनेका पूर्ण, निर्विघ्न, और निर्भय अधिकार रहे। यह अधिकार जैसा बड़ेसे बड़े राष्ट्रको रहे, वैसाही छोटेसे छोटे राष्ट्रको भी रहे।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि तमाम पेंचीदी मैत्री (Entaugling alliance) को टालें, क्योंकि राष्ट्र इससे शक्तिकी स्पर्धा करने लगते हैं और उनमें स्वार्थ-मय शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रसंघमें यह बात सम्भव नहीं है। क्योंकि वहाँ सब राष्ट्र एकही उद्देशसे, सबके हित और रक्षाके लिए, कार्य्य करेंगे।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सरकारें ऐसी हों जो प्रजाकी सम्मातिसे काम करें। समुद्रकी वह स्वतन्त्रता हो, जिसके लिए अमेरिकाकी अन्तरराष्ट्रीय कॉन्फरेन्सोंमें स्वाधीनताके परमभक्त प्रतिनिधिगण बड़े जोरसे आवाज उठाते आ रहे हैं। सेनायें शान्तिरक्षाके उद्देशसे रक्खी जाँय; न कि हमला करने तथा स्वार्थ-मय खून—खराबीके लिए।

ये अमेरिकाके आदर्श हैं। यह अमेरिकाकी नीति है। इनके सिवा हम दूसरी बातोंके लिए खड़े नहीं रह सकते। प्रत्येक नई रोशनीके समाजके, प्रत्येक आधुनिक राष्ट्रके, प्रत्येक उन्नतिशील मनुष्यके, यही सिद्धान्त—यही आदर्श—होने चाहिए। ये सारी मनुष्य-जातिके आदर्श हैं और सब जगह इनकी पूजा होनी चाहिए।

व्याख्यान दूसरा ।

(२ अप्रेल १९१७ ।)

कांग्रेसके सभ्यो ! कांग्रेस की असाधारण बैठक करने की जो ज़िम्मेदारी इस मौके पर मैंने ली है, उसका कारण यह है कि इस वक्त हमें बहुत गूढ़ और गम्भीर प्रश्नों का विचार करना है और हमें अपनी नीति निश्चित करनी है ।

गत फरवरीकी ३ तारीख को मैंने आपके सामने सरकारी तौर से जर्मनोंके साम्राज्य सरकारकी वह घोषणा रक्खी थी जिसमें उसने यह प्रकट किया था कि फरवरी की पहली तारीख को तथा इसके वाद हम कानून और मानुषता के सब बन्धनों को एक तरफ़ रखकर ग्रेटब्रिटन, आयर्लैण्ड तथा पश्चिमी युरोपके समुद्री किनारोंपर आने-वाली जहाजोंको पनडुब्बियोंके द्वारा डुबोदेंगे । जान पड़ता है कि युद्धके शुरू दिनों जर्मन पनडुब्बियोंका यही उद्देश रहाथा । पर पिछले साल अप्रेल माससे जर्मन सरकारने पनडुब्बियोंके कमान्डरोंको ताकीद दी है कि मुसाफरी जहाज न डुबोये जायँ ।

पर हाल में जर्मनीने जो नीति इख्तियारकी है उसमें उसने सब बन्धनोंको ताक में रख दिया है । अबतो जर्मन पनडुब्बियों द्वारा बिना सूचना दिये जहाज़ डुबोये जारहे हैं। हर क़िस्मके जहाज़ डुबाये जारहे हैं । जहाज़ किस क़िस्मका है, उसपर किसका झण्डा उड़रहा है, जहाज़ लड़ाकू है या मुसाफरी किंवा डाकका, किसी बातका कुछ लिहाज़ नहीं रक्खाजाता । जो लोग जहाज़पर होते हैं, उनके प्रति किसी प्रकारकी दया नहीं दिखलाई जाती । निरपेक्ष राष्ट्रोंके जहाज़ भी अविचार और क्रूरता-पूर्वक डुबोये जा रहे हैं । यह क्रूरता यहीं तक नहीं रुकी है । कई ऐसे अस्पताली जहाज़, जो दुखी और दर्दी बेल्जियम लोगोंकी सहायताके लिए

जा रहेथे और जिन्हें सकुशल पहुँचने में बाधा न देनेका वचन जर्मनीने दिया था, निर्दयता-पूर्वक डुबोये गये हैं । इस तरह जर्मनीने क्रूरता-पूर्वक अन्तर्राष्ट्रीय नियमका भङ्ग किया है। प्रत्येक राष्ट्रको समुद्रमें जिन नियमोंका पालन करना चाहिये उनको जर्मनीने भङ्ग किया है। यह नियम मुद्दतोंके बाद बड़ी तकलीफसे बन और यद्यपि इसमें बहुत कम सफलता हुई, पर जो कुछ सफलता हुई उसे मानवी हृदयोंने और विवेकने पसन्द किया । परन्तु बदला-लेनेके तथा आवश्यकताके बहानेपर इन नियमोंकी कुछ परवा नकर जर्मनी समुद्रमें अपनी पनडुब्बियोंके द्वारा क्रूरकर्म करनेपर तुल गया ।

नर–हत्याकी नीति.

जर्मनीके इस क्रूर-कर्मसे मिल्कियतकी तो अपार और गहरी हानि हो ही रही है; पर यह क्रूरता यहीं तक नहीं रुकी है। इस क्रूर-कर्मसे कितने ही ऐसे मनुष्योंकी जानें जारही हैं, जो योद्धा नहीं हैं । कितनीही स्त्रियां और बच्चे इस महानिर्दय और पाशविक कर्मके बलि पड़रहे हैं। ऐसे भयङ्कर अत्याचार आधुनिक इतिहासके क्रूरसे क्रूर समयमें भी नहीं हुए । जर्मनीका यह युद्ध मनुष्य-जातिके विरुद्ध—सारे राष्ट्रोंके विरुद्ध है। अमेरिकाके जहाज डुबोये गये हैं । कई अमेरिकन जानें ऐसी निर्दयतासे ली गई हैं कि जिनका हाल सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी तरह अन्य निरपेक्ष राष्ट्रोंके जहाज भी डुबोये गये । उनके मनुष्योंकी जानें ली गई । किसीप्रकार विवेकसे काम नहीं लिया गया । इस अत्याचारका सामना किसतरह करना, इस बातका निश्चय प्रत्येक राष्ट्रको करना चाहिए । हमें भी हमारे राष्ट्रके पवित्र उद्देशों और उच्च चारित्रका खयाल रखते हुए शान्त और निर्विकार चित्तसे इसका निर्णय करना चाहिए । क्रोधके

भावोंसे प्रेरित होकर इसका निर्णय करना ठीक नहीं। अपने शरीरबल (Physical might) के विजयका तथा केवल बदला लेनेका ही हमारा उद्देश नहीं होना चाहिए। पर हमारे सामने तो मानवी अधिकारका आदर्श रहना चाहिए, जिसके हम एकही पुरस्कर्त्ता हैं। मैंने फरवरी २६ को जब कांग्रेसके सामने व्याख्यान दिया था, तब यह मुनासिब समझा था कि सशस्त्र होकर हमें अपने निरपेक्षताके हकोंकी रक्षा करना चाहिए। हमें अपने वे हक काममें लाने चाहिए कि कोई अनुचित रीतिसे समुद्रमें बाधा उपस्थित न कर सके। हमें अपने उन हकोंसे काम लेना चाहिए जिससे हम अन्यायी हमलोंसे अपने लोगोंकी रक्षा कर सकें।

जर्मनसरकार कहती है कि निरपेक्ष राष्ट्रोंके जहाजोंको अपने हकोंकी रक्षाके लिए भी हथियार रखनेका अधिकार नहीं है। किसी आधुनिक राजनीतिज्ञने पहले यह बात नहीं कही थी। पर जर्मन-सरकार निरपेक्ष राष्ट्रोंके इस हकको भी अस्वीकार करती है। उसने हमें सूचना देदी है कि जिन जहाजों पर हथियार पाये जायँगे तथा जिन जहाजोंपर हथियार बन्द मनुष्य होंगे, उनके साथ वैसाही व्यवहार किया जायगा जैसा समुद्री डाकुओंके साथ किया जाता है।

ऐसी हालतमें कार गुजारीके साथ सशस्त्र निरपेक्षता नहीं रक्खी जा सकती। ऐसी दशामें यह सशस्त्र निरपेक्षता बहुत बुरी है। जिस कामको रोकना इसका उद्देश्य है, वह उलटा इससे पैदा होगा। इससे हमें युद्धमें प्रवृत्त होना पड़ेगा। हम सिर झुकानेके मार्गको स्वीकार न करेंगे। हम अपने राष्ट्रके पवित्र अधिकारोंको न खोवेंगे। हम अपने लोगोंकी उपेक्षा न करेंगे। जिन अत्याचारोंके विरुद्ध हम खड़े होना चाहते हैं वे साधारण नहीं हैं। वे मानवी जीवनकी जड़-मूलको काटनेवाले हैं।

मैं अत्यन्त पवित्र भावनाओंसे प्रेरित होकर अपने राजनैतिक कर्त्तव्यकी जिम्मेदारीको समझता हुआ कांग्रेसको सलाह देता हूँ कि वह जर्मनीके हालके कार्य्यको संयुक्त राज्यके लोगोंके विरुद्ध युद्धही समझें। हमपर यह युद्ध जबरदस्ती डाला गया है। हम मजबूर होकर युद्धलीन राष्ट्रोंकी श्रेणीमें आते हैं। हमें केवल अपनी देश-रक्षाहीका काफी बन्दोबस्त न करना चाहिए। पर हमें अपनी शक्ति और साधनोंका उपयोग कर जर्मन-सरकारको हमारी शर्तें स्वीकार करनेमें और युद्धका अन्त करनेमें मजबूर करना चाहिए।

इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें जर्मनीके खिलाफ युद्ध करनेवाली सरकारोंको सहयोग देना चाहिए। यह सहयोग केवल विचारोंहीका न होना चाहिए, पर प्रत्यक्ष कार्यमें भी होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें इन राष्ट्रोंको भरपूर और अधिक सहायता पहुँचानी चाहिए। हमारे साधनोंसे उनके साधनोंकी वृद्धि करनी चाहिए। हमें अपने देशके सब साधनोंका सङ्गठन और एकीकरण करना चाहिए, जिनसे हमें युद्धमें सहायता मिले और हम प्रचुरता और फायदेके साथ राष्ट्रकी आवश्यकतायें पूरी कर सकें। हमें अपनी जलसेना की पूरी तैयारी करनी चाहिए। और वे उत्कृष्ट साधन उत्पन्न करने चाहिए, जिनसे हम जर्मनीके पनडुब्बियोंका सामना कर सकें। हमें अपनी फौजें बढ़ानी चाहिए और उन्हें फौजीशिक्षा देकर खूब सुसाज्जित करना चाहिए। हमें जर्मनीके खिलाफ युद्धमें लगे हुए मित्रराष्ट्रोंको कर्जके रूपमें भरपूर सहायता देनी चाहिए, जिससे उन्हें आर्थिक कष्ट न हो। यहां यह कहदेना भी जरूरी है कि हमें कर्ज लेकर धन इकट्ठा न करना चाहिए वरन् नया कर बैठा कर धन जुटाना चाहिए। कर्ज लेना बहुतही अबुद्धिमताका कार्य होगा। मैं आप लोगोंसे विनय करता हूँ कि

हमें अपने लोगोंको उन आफ़तों और अनिष्टोंसे बचाना चाहिए, ज कर्ज़ लेनेसे खडी होंगी।

जिन उद्देशोंको मैंने यहां प्रकट किया है उनकी पूर्तिके उपाय, मैं आप लोगोंकी कमेटियों पर, सरकारके कई कार्य्यकारी विभागोंद्वारा, प्रकट करूंगा। मुझे आशा है कि आपको वे पसन्द होंगे क्योंकि वे बहुत गम्भीर विचारके बाद तजवीज किये गये हैं। ये सरकारके द्वारा बनाये गये हैं, जिसने युद्ध सञ्चालन और राष्ट्रकी रक्षा करनेका भार लिया है।

जहां हम इस गम्भीर कार्य्यमें प्रवृत हो रहे हैं वहाँ हमें लोगोंके सामने साफ़ तौरसे यह प्रकट कर देना चाहिए कि हमारे ध्येय और उद्देश क्या हैं ? हमारे उद्देश, संसारके जीवनमें एक-तन्त्री और स्वार्थी—सत्ताके विरुद्ध न्याय और शान्तिके तत्व स्थापित करनेके, हैं और ऐसा प्रबन्ध करना है जिससे इन उदार तत्वोंकी रक्षा होती रहे । वहाँ निरपेक्षता रखना उचित तथा अभीष्ट नहीं, जहाँ संसारकी शान्तिके भङ्गका तथा उसके लोगोंकी स्वाधीनता पर कुठाराघात होनेका प्रश्न उपस्थित हो। संसारकी शान्ति और स्वाधीनताका भङ्ग उन्हीं एक-तन्त्री सरकारोंसे होता है, जिनके पीछे सुसङ्गठित शक्ति रहती है। और जो लोगोंके द्वारा चलाये जानेके बजाय एक तन्त्री शासकोंके द्वारा चलाये जाते हैं। ऐसी दशामें हमें अपनी निरपेक्षताका अन्त करना पड़ता है। अब हम ऐसे नये युगमें प्रवेश कर रहे हैं कि वहां राष्ट्र भी अपने बुरे कामों और आचरणोंके लिए वैसेही जिम्मेवार समझे जावें, जैसे सभ्य-देशोंमें प्रत्येक नागरिक समझे जाते हैं।

हमारा जर्मनीके लोगोंके साथ कोई झगड़ा नहीं है । सिवा सहानुभूतिके हमारा उनके प्रति किसीप्रकार कर बुरा भाव नहीं है ।हमारी

उनके प्रति मित्रता है । यह बात न समझना चाहिए कि जर्मन-सरकार जर्मनीके लोगोंकी इच्छासे युद्धमें प्रवृत हुई है । जर्मनीके लोगोंको इस युद्धमें प्रवृत होनेकी बात पहले मालूम तक नहीं थी, तथा अभागे समयमें जिस प्रकार प्रजाकी बिना अनुमति लिए शासक अपनी कौमके फायदेके लिए या कुछ महत्वाकांक्षी लोगोंके लिए युद्ध छेड़ देते थे, वैसे ही यह युद्ध छेड़ा गया है । लोग इसमें केवल हाथके खिलौने समझे गये हैं । स्वशासित राष्ट्र अपने पड़ोसी राष्ट्रोंको गुप्तचरोंसे कभी नहीं भरता । वे कभी दूसरे राष्ट्रोंमें ऐसे षड्यन्त्र नहीं रचते, जिनसे वहां अशान्ति और गड़बड़ उत्पन्न हो जाय और जिनसे इन्हें उनपर हाथ मारनेका अच्छा अवसर मिल जाय । इस प्रकारके षड्यन्त्र वही सरकार रचती है, जिसे कोई पूछने-ताछने वाला न हो । ये षड्यन्त्र गुप्तरूपसे रचे जाते हैं । कुछ थोड़ेसे लोगोंको उनका ज्ञान होता है । जहां लोक मतकी कद्र होती है, जहां लोकमतहीका बोल बाला होती है, वहां ऐसी बातें नहीं हो पातीं ।

बिना प्रजा-तन्त्री राष्ट्रोंके सम्मेलनके शान्ति—संघ कभी नहीं चल-सकता । एक-तन्त्री सरकारका कभी विश्वास न करना चाहिए । यह संघतो सम्मान संघ (League of Honour) और प्रजातन्त्री सरकारोंके मतका प्रतिबिम्ब होना चाहिए । षड्यन्त्र राष्ट्रके जीवनको नष्ट कर देते हैं । वही लोग षड्यन्त्र रचते हैं, जो प्रजाके प्रति जवाबदार नहीं समझे जाते और जिनका अन्तःकरण कलुषित होता है । सर्व—साधारणकी भलाईका उद्देशतो केवल स्वतन्त्र-मनुष्यही रख सकते हैं । ऐसेही मनुष्य मनुष्यजातिके कल्याणके लिए अपने स्वार्थोंको यज्ञ की वेदी पर बलि देनेके लिए तैयार रहते हैं ।

थोड़े दिनोंसे रूसमें जो उत्साह-दाहक तथा आश्चर्य कारक

घटनाएँ हो रही हैं, क्या उनसे हमारी आशाको उत्तेजन नहीं मिला है ? क्या उनसे हमारी भावी शान्तिकी आशा बलवती नहीं हुई है ? क्या इन बातोंको प्रत्येक अमेरिकन स्वीकार न करेगा ? जो लोग रूसके हृदयको जानते हैं, जो लोग रूसकी आदतोंसे परिचय रखते हैं, जो लोग रूसके लोगोंके सम्बन्धोंको जानते हैं, जो लोग रूसके जीवनके भावोंको पहचानते हैं, उन्हें रूसका प्रजा-तन्त्री भाव अच्छी तरहसे मालूम है ; रूसके राजनैतिक सङ्गठनमें जो एकतन्त्री शासन ऊँचे शिखरपर स्थित था, वह स्वाभाविक नहीं था । जहाँ तक वह रहा, बडा भयङ्कर रहा । अब वह शासन हटा दिया गया है, और अब रूसी लोगोंकी शक्तियाँ, संसारकी स्वाधीनता, न्याय और शान्ति रक्षाके लिये काम कर रही हैं ।

अतएव "लीग ऑफ ऑनर" के लिए रूस अब एक योग्य हिस्सेदार होगा ।

यहां यह कह देना भी आवश्यक है कि जर्मनीकी एक तन्त्री सरकार कभी हमारी मित्र न हुई और न होगी । इस महायुद्धके शुरू हीसे उसने हमारी समाजोंको—हमारे सरकारी ऑफिसोंको—अपने गुप्तचरोंसे भर दिए । उसने हमारी राष्ट्रीय एकताके विरुद्ध जगह जगह षड्यन्त्र रचे । उसने हमारी शान्तिको-हमारे उद्योग और व्यापारको—नष्ट करना चाहा । अब यह बात सिद्ध हुई है कि उसके गुप्तचर युद्धके पहले भी फैले हुए थे । हमारी अदालतोंमें यह बात साबित हुई है कि इन गुप्त चरोंने कई वक्त हमारी शान्ति भङ्ग करनेका षड्यन्त्र किया । हमारे उद्योग-धन्धोंको उखाडनेकी कोशिशें की । जाँच से मालूम हुआ कि ये सब बातें अमेरिका-स्थित जर्मन राजदूतके इशारेसे होती थी । हमने इन बातोंको रोकनेके लिए जिन उपायोंका अवलम्बन किया था वे बहुतही सोम्य थे । क्योंकि हम जानते थे कि

इन सब बातोंका मूल जर्मन लोग नहीं हैं (जर्मन इन बातोंसे वैसीही अज्ञान थे, जैसेही हम) पर यह सब जर्मनीकी स्वार्थी सरकारकी करतूत है, जो अपनी मन चाही करती है। जर्मन गुप्तचरोंकी करतूतोंसे हमारा विश्वास यह हो गया कि जर्मन सरकारके मनमें हमारे प्रति मैत्रिभाव नहीं है, और अपने सुभीतेके अनुसार वह हमारी शान्ति और निर्भयताको भङ्ग करना चाहती है। वह हमारे विरुद्ध शत्रु खड़े करना चाहती है। मैक्सिकोके जर्मन मिनिस्टरके पास जो नोट भेजा गया था, वह इसका ज्वलन्त प्रमाण है।

हम जर्मनीकी शत्रुताकी ललकारको स्वीकार करते हैं कि इस तरहके कुकृत्य करनेवाली सरकार कभी हमारी मित्र नहीं हो सकती। जबतक इस प्रकारकी स्वेच्छाचारी सरकारके पास सुसङ्गठित (organized) शक्ति रहेगी, तबतक प्रचातन्त्र सरकारोंकी रक्षा हमेशा खतरेमें बनी रहेगी। अब हम स्वाधीनताकी शत्रु—जर्मन सरकार-के विरुद्ध खड्ग उठानेवाले हैं और आवश्यक्ता पडने पर हम उसकी शक्ति और ढोंगको नष्ट करनेके लिए, अपना साराका सारा बल लगा देंगे हम संसारकी अन्तिम शान्तिके लिए लड़ेंगे—मनुष्यजातिकी स्वाधीनताके लिए रणके मैदान में उतरेंगे। मनुष्यजाति में हम जर्मनीके लोगोंको भी शुमार करते हैं। इन्हें भी स्वतन्त्र करनेकी हम चेष्टा करेंगे। छोटे बड़े सब राष्ट्रोंके हकोंके लिए लड़ेंगे। हम संसार के लोगों के लिए ऐसा मार्ग खोल देंगे, जिससे वे स्वाधीनता-पूर्वक अपने अपने ढंगसे अपना विकास करसकें। हमें चाहिए कि हम संसार को ऐसा बनादें, जो प्रजातन्त्रके लिए सुरक्षित हो। हम किसी प्रकार स्वार्थ-साधन नहीं करना है। हम युद्ध-प्रिय नहीं; हमें भूमि का लालच नहीं; हम अपने लिए युद्धका हरजाना तक नहीं चाहते। हम जो स्वार्थत्याग करेंगे उसके हरज्याने की भी हमें ज़रूरत नहीं।

हम तो मनुष्यजातिके हकोंकी रक्षा करना चाहते हैं। हमें तो तभी संतोष होगा, जब हम यह देखलेंगे कि मनुष्यजाति की स्वाधीनता और हक़ संरक्षित हैं।

हम द्वेषरहित होकर लड़ेंगे। लड़ते समय हम स्वार्थी उद्देशको अपने पास तक न फटकने देंगे। हम विकाररहित होकर जूझेंगे। हम अपने पवित्र सिद्धान्त-मनुष्यजाति की स्वाधीनता और हकों के लिए युद्ध करेंगे। हम उच्च भाव रक्खेंगे। पशुता हमें छूतक नहीं सकेगी। हम किसी राष्ट्रके लोगोंके प्रति शत्रुता न करेंगे। किसीको नुकसान पहुँचाना हमारा उद्देश न होगा। हम केवल उस बेजवाब देह सरकारका सशस्त्र विरोध (armed opposition) करेंगे, जिसने दया और मनुष्यजातिके हकोंके सब विचारोंको निरादरपूर्वक छोड़ दिया है, और जो मदोन्मत्त हो रही है। मुझे आप फिर कहने दीजिए कि हम जर्मन लोगोंके सच्चे मित्र हैं, और हम उनके साथ ऐसा सम्बन्ध जोडना चाहते हैं, जो दोनोंके लिये लाभकारी हो। ये बातें हम अपने अन्तःकरणसे कह रहे हैं। जर्मन लोगोंके साथ सद्-भाव रखनेके कारण उनकी सरकारकी करतूतें हम मुद्दतसे सहते आ रहे हैं। अगर यह सद्भाव न होता तो इतनी देरतक रुका रहना हमारे लिए असम्भव था। हम जर्मनदेषके लाखों स्त्री-पुरुषोंके साथ (जो हमारे देशमें रहते हैं) ऐसाही सद्भाव रखकर अपने कथनकी सत्यता प्रकट कर देंगे। अमेरिकामें बसे हुए जो जर्मन अमेरिकाके साथ भक्ति रक्खेंगे, उनसे हमारा व्यवहार बिलकुल सद्भाव-पूर्ण होगा। मेरा विश्वास है कि अमेरिकामें बसे हुए ये जर्मन भी वैसेही राजभक्त हैं, जैसे अमेरिकाके लोग हैं। मुझे आशा है कि ये हमारा साथ देंगे, और उन थोड़ेसे आदमियोंको धिक्कारेंगे, जो हमारा विरोध करना

चाहेंगे । अगर कोई राजविद्रोह करेगा तो वह सख्तीके साथ दबाया जायगा ।

कांग्रेसके सभ्य गृहस्थो ! यह मेरे लिए बड़ा दुःखकारक कर्त्तव्य है, जिसका पालन मैंने आपके सामने, यह भाषण करके किया है। शान्ति-प्रद लोगोंको ऐसे युद्धमें प्रवृत्त करना जो सब युद्धोंसे ज्यादा भयङ्कर है, भयपूर्ण कार्य्य है । पर क्या किया जाय ? इस युद्धके कारण सभ्यता तकड़ीके पलड़ोंमें पड़ी हुई है । दुनिया देखना चाहती है कि सभ्यताकी रक्षा होती है, या स्वेच्छा-चारिताका बोलबाला होता है । दुनिया देखना चाहती है कि इस महाभयानक विप्लवमें मनुष्य जातिके हकोंकी किस प्रकार रक्षा की जायगी । सज्जनों ! हक शान्तिसे ज्यादा मूल्यवान् है । हम उन पदार्थोंके लिए लडेंगे, जो हमारे अन्तःकरणको अत्यन्त प्यारे हैं; जिनका हमारे अन्तःकरणके साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । हम प्रजातन्त्रके लिए लडेंगे । हम उन लोगोंके लिए लड़ेंगे जो राज्य शासनमें हक प्राप्त करनेके लिए अपनी सरकारोंसे प्रार्थना कर रहे हैं । हम छोटे राष्ट्रकी स्वाधीनता और हकोंकी रक्षाके लिए लड़ेंगे । हम एक ऐसे संघके स्थापित करनेकी कोशिश करेंगे, जिससे सारे संसारमें शान्ति बनी रहे और जो संसारको स्वतन्त्र करे। ऐसे पवित्र कार्य्यके लिए हम अपना जीवन और सम्पत्ति, या यों कहिए कि सर्वस्व तक न्योछावर करनेको तैयार हैं । इससे अमेरिकाको संसारके सामने इस बातका अभिमान रहेगा कि वह उन सिद्धान्तोंकी रक्षाके लिए अपना खून बहा रहा है, जिन्होंने उसे जन्म दिया है । वह मनुष्य-जातिके सुख और शान्तिके लिए अपनी शक्तिका उपयोग कर रहा है । परमात्मा अमेरिकाकी सहायता करे ।

व्याख्यान तीसरा ।

राष्ट्र–पताका दिवस ।

(१४ जून १९१७.)

मेरे प्रिय नागरिकों ! आज हम यहां पताका–दिवस (Flag day) मनानेके लिए इकट्ठे हुए हैं । आप जानते हैं कि यह पताका जिसकी हम इज्जत करते हैं, हमारी एकताका–हमारी शान्तिका–हमारे विचार और उद्देशोंका–चिन्ह है । हम पुश्तोंसे इसमें जिन गुणोंकी स्थापना कर रहे हैं वही गुण इसमें हैं । इन गुणोंकी पसन्दगी हम पर निर्भर करती है । क्या शान्तिके दिनोंमें और क्या युद्धके दिनोंमें, हम लोगोंके ऊपर यह बड़ी शानसे उड़ती रहती है । यद्यपि यह वाचाहीन है, पर हमसे बोलती है । यह हमें अपने पूर्व गौरवशाली इतिहासका स्मरण दिलाती रहती है । हमारे पहले जो लोग होगये हैं, वे इस पर अपना वृत्तान्त लिखगये हैं । हम आज इसके जन्मका उत्सव मना रहे हैं । इसने अपने जन्मसे अबतक महान् इतिहास देखा है । यह महान् कार्य्योंका चिन्ह बन कर उड़ती रही है । महान् पुरुषोंने हमारे लिए जीवनका जो ढांचा तैयार किया है, उसे यह बतलाती रही है । अब हम इसे उठाकर युद्धमें लेजाने वाले हैं, जहां यह शत्रुकी शक्तिका नाश करेगी । आज हम अपने राष्ट्रके लाखों नहीं वल्कि करोड़ों नवयुवक, बलवान्, समर्थ और योग्य मनुष्योंको हुक्म देने वाले हैं कि आप बहुत दूर देशमें जाकर इस पताकाके नीचे लड़िए और अपने देशके लिए मरनेतकको तैयार रहिए । किस लिए ? किसी महान् कार्य्यके लिए । ऐसी बातके लिए जो पहले कभी नहीं हुई थी । अमेरिकाकी फौजें समुद्रके पार लड़नेके लिए

कभी नहीं गईं। अब ये क्यों जारही हैं? ये किसी नये उद्देशके लिए जारही हैं। ये एक ऐसे महान् उद्देशके लिए जारही हैं, जो क्रान्तिके बाद अमेरिकाका ख़ास उद्देश रहा है। ये उन पवित्र सिद्धान्तोंकी रक्षाके लिए जा रहीं हैं, जिनके लिए इस पताकाने अमेरिकनोंको खुशीसे रक्त बहाते हुए देखा है। जिन महान् सिद्धान्तोंकी रक्षाके लिए हमने इस पताका का पहले उपयोग किया है, अब भी वैसा ही करेंगे। हम इतिहासके इजलासमें (at the bar of history) जवाबदार होंगे और इस बातको साफ़ तौरसे कहेंगे कि किन उद्देशोंके लिए हमने इसका उपयोग किया है?

यह बात अब साफ़ हो चुकी है कि हम इस युद्धमें प्रवृत्त होनेके लिए किस तरह मजबूर किये गये हैं। जर्मन सरकारने हमारा असाधारण अपमान किया—अत्याचार किये—और इसीसे आज हम अपने हक और सम्मानकी रक्षाके लिए हथियार संभालते हैं। जर्मनीके फ़ौजी मालिकोंकी करतूतोंसे हम निरपेक्षता भङ्ग करनेमें मजबूर हुए। उन्होंने हमारी शुद्ध समाजोंको दुष्ट गुप्तचरों और षडयन्त्रकारियोंसे भर दिया, और उन्होंने रिश्वतखोरीके द्वारा हमारी प्रजाका मत अपने पक्षमें झुकानेकी चेष्टायें कीं। जब उन्होंने इस कार्य्यमें सफलताकी आशा नहीं देखी तब इन दुष्ट गुप्तचर और षड्यन्त्रकारियोंने हम लोगोंमें राज-विद्रोह फैलानेका प्रयत्न शुरू किया। इस प्रकारके कई लोगोंका सम्बन्ध हमारी इस राजधानीमें रहनेवाले जर्मन राजदूतसे था। उन्होंने हमारे उद्योग-धन्धोंको डुबाना चाहा, हमारे व्यापारको हस्तगत करना चाहा। उन्होंने मैक्सिकोंको हमारे खिलाफ हथियार उठानेके लिए उकसाया और जापानको हमारे विरुद्ध पक्षमें खींचना चाहा। यह बात अप्रत्यक्ष रूपसे नहीं हुई, पर जर्मनीकी फ़ॉरेन ऑफिससे ऐसी प्रत्यक्ष कार्य्य-वाही हुई। उन्होंने बड़ी

असभ्यताके साथ समुद्रका (High seas) उपयोग करनेसे हमें रोका और हमें बार बार यह धमकी दी कि जहाजोंमें बैठकर जो लोग योरपके किनारोंपर जायँगे, वे जहाज बेलिहाज डुबो दी जायँगी। हमारे बहुतसे लोगोंको रिश्वतें दी गई। इससे हमारे बहुतसे लोग अपने पड़ोसियों तकको बहमकी निगाहसे देखने लगे। लोग ऐसे समाजकी खोज करने लगे, जो इन लोगोंके जालसे पूरी तरह बचा हो। ऐसी दशामें कौन महान् राष्ट्र ऐसा होगा जो हथियार न सम्भाले ? जब जब हमने शान्ति चाही हमें इन्कार होता गया। अगर इस मौके पर पीछे हटते तो यह पताका जिसकी हम लोग इज्जत करते हैं, बुरी तरह बेइज्जत होती।

ये तो थोड़ीसी बातें हैं, जो मैंने आपसे कही हैं। जैसा हम पहले समझते थे वैसा ही अब भी हम यह अच्छी तरह समझते हैं कि हम लोग जर्मन लोगोंके शत्रु नहीं हैं और वे भी हमारे नहीं हैं। उन लोगोंने इस युद्धको पैदा नहीं किया। पूर्वोक्त घृणित कार्रवाइयोंका उन्हें पता तक न होगा। उनकी इच्छा नहीं है कि हम (अमेरिका) युद्धमें प्रवृत्त हों। परन्तु हमें मालूम है कि हम उनके हितके लिए लड़ रहे हैं; और उन्हें भी थोड़े दिनोंके बाद अच्छी तरह मालूम हो जायगा कि जैसे हम अपने हितके लिए लड़ रहे हैं, वैसे ही उनके हितके लिए भी लड़ रहे हैं। वे बेचारे भी उस दुष्ट शक्तिके जञ्जालमें फँसे हुए हैं, जो अपने नाखूनदार पञ्जे फैलाकर हमारा खून निकालना चाहती है। सारी दुनियां इस दुष्ट शक्तिके खिलाफ युद्धमें प्रवृत्त है। क्योंकि वह इसके जालमें फंसी हुई है, और इससे मुक्त होना चाहती है। इसीके लिए दुनियाके प्रायः सब राष्ट्र इस राक्षसी शक्तिके विरुद्ध प्रवृत्त हैं। यह युद्ध इस बातका निश्चय करावेगा कि दुनियां इस दुष्ट शक्तिके जालसे मुक्त होती है या और भी ज्यादा फँसती है।

यह युद्ध जर्मनीके फौजी मालिकोंके द्वारा शुरू किया गया है। उन्होंने अपने आपको आष्ट्रिया-हंगरीका मालिक भी सिद्ध किया है। उन्होंने राष्ट्रोंको मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चोंके रूपमें न समझा। उन्होंने इन्हें जडवत् समझा। उन्होंने इस बातका तनिक भी खयाल न किया कि दूसरे राष्ट्रोंके स्त्रीपुरुषों और बच्चोंमें भी वही जान है, जो हममें हैं। वे भी उन्हीं तत्वोंसे बने हैं, जिनसे हम। वे इस बातको भूलसे गये हैं कि सरकारों (Government) का अस्तित्व लोगों ही पर स्थित है और सरकारोंका जीवन लोगोंही पर अवलम्बित है। जर्मनीके ये फौजी मालिक लोगोंको तो अपने कामके औजार समझते हैं। उनसे अपनी मर्जीके मुताबिक, जैसा काम चाहें, निकलवाना चाहते हैं। वे इन्हें शक्तिसे कहिए, षड्यन्त्र तथा घूसखोरीसे कहिए अपने हाथकी कठपुतळी बनाना चाहते हैं। खास कर छोटे राज्योंको तो, जिनको ये अपनी शक्तिसे कुचल सकते हैं, पूरी तरह अपनी आज्ञाके अधीन करना चाहते हैं। इनका यह उद्देश बीजरूपमें बहुत दिनोंसे रहा है। परन्तु दूसरे राष्ट्रोंके मुत्सद्दियों तथा राजनीतिज्ञोंने, इस तरफ बहुत कम ध्यान दिया हैं। जर्मन प्रोफेसर अपने विद्यार्थियोंको जिन सिद्धान्तोंकी शिक्षा देते थे; जर्मन लेखकोंने संसारके सामने जर्मनीके जिन उद्देशों और नीतिको प्रकट किया था उनकी ओर अन्य राष्ट्रोंके मुत्सद्दियोंने निरी उपेक्षा की। वे समझते रहे कि यह केवल अव्यवहारिक राजनीति है। यह केवल मनके लड्डू बनाना है। ये बातें व्यवहारमें नहीं लाई जा सकतीं। यह उन जवाबदार लोगोंके विचारोंकी तरङ्गें मात्र हैं। अन्य राष्ट्रोंके मुत्सद्दि-योंकी इसी उपेक्षाका फायदा जर्मनीने उठाया। वह अपने षड्यन्त्रोंमें आगे बढ़ता गया। उसने बालकन रियासतोंके सिंहासनों पर जर्मन राजकुमारोंको बिठलाया। तुर्की फौजोंकी फौजी तालीमें देनेके लिए

जर्मन अफसर नियुक्त कराये । और जर्मनीके राज्यशासनमें अपना जाल फैलाया । हिन्दुस्थान और मिश्रमें राजविद्रोह और गदरके बीज बोना शुरू किया । पर्शियामें भी आग फैलादी । आस्ट्रियाने सर्वियासे जो शर्तें स्वीकार करवाना चाही थीं, वे तो इस महायुद्धका बहाना मात्र थीं । जर्मनीने योरप और एशियामें, बर्लिनसे बगदाद तक, जो तजवीज तैयार की थी, उसकी वह प्रथम सीढ़ी मात्र थी । अगर जर्मनी दबाव न डालता तो आस्ट्रिया और सर्विया की घटनासे इस युद्धकी ज्वाला न सुलगी होती ।

जर्मनीकी तजवीज अपनी सैनिक शक्ति और राजनैतिक अधिकार का जाल योरपके खास मध्यमें और भूमध्य सागरके उस पार, एशियाके हृदय तक, फैलानेका था । उसने बलगेरियाको टर्कीकी तरह पूरी तौरसे हथिया लिया था । आस्ट्रिया-हंगरी तो जर्मन साम्राज्यका एक अङ्ग ही बनना चाहता था । वह उन्हीं शक्तियों और प्रभावोंसे शासित होना चाहता था, जिनका मूल जर्मनीमें लगा है । आस्ट्रियाका आशा-भरोसा जर्मनीमें था । उसने अपने जातीय भावकी कल्पनाको तिरस्कृत किया । लोगोंकी पसन्दगी ना-पसन्दगीका उसने कुछ खयाल नहीं किया । उसने सर्वियन्स, रूमानियन्स, तुर्क और आर्मिनियन आदि भिन्न भिन्न जातियोंके राष्ट्र और राजनैतिक संघों (political units) को एक करना चाहा । पर ये लोग इस तरह संयुक्त होना नहीं चाहते थे । वे अपना कारोबार स्वतन्त्र रीतिसे जुदा जुदा करनेकी इच्छा रखते थे । वे पूरी स्वाधीनता चाहते थे । इसीमें उन्हें सन्तोष था । परन्तु वे तलवार और सशस्त्र फौजोंकी धमकीसे चुप रक्खे गये । ये लोग सिवा मजबूरीके किसी भी दशामें किसी एक शक्तिके अधीन रहना नहीं चाहते थे । पर जर्मनीके फौजी मालिक उन्हें अपनी स्वाधीनता खोनेके लिए मजबूर करते थे । इसमें

उन्हें सफलता भी हुई। देखिए अभी क्या हालत है ? आस्ट्रिया उनके पैरोंमें पड़ा हुआ है और उनकी दयाका भिखारी है । वह अपनी प्रेरणासे या प्रजाकी प्रेरणासे कार्य्य नहीं कर रहा है, पर बर्लिनके सङ्केतसे कर रहा है। युद्धके शुरूहीसे यह हालत रही है। उसके लोग शान्तिके लिए अभिलाषी हो रहे हैं। पर जब तक बर्लिनसे इजाजत न मिले, वे कुछ नहीं कर सकते। वास्तवमें देखा जाय तो सब मध्यवर्ती शक्तियाँ एकही शक्तिके अधीन हैं । बलगेरियाने जर्मनीकी इच्छाके अनुसार चलना स्वीकार किया है । रूमानियाका नाश (overrun) कर दिया गया । तुर्की फौजें, जिन्हें जर्मन लोग सिखाते हैं, जर्मनीकी सेवा कर रही हैं । वे अपनी इच्छासे जर्मनोंकी सेवा नहीं कर रही हैं, पर जर्मनीकी जहाजी तोपें कुस्तुन्तुनियांके बन्दरमें पड़ी हुई हैं, और वे तुर्कोंके मुत्सद्दियोंको मानो सूचित कर रही हैं कि "तुम अपनी इच्छाको एक तरफ रक्खो और जर्मनी जैसा नचावे वैसा नाच नाचो।" बात यह है कि हेम्बर्गसे लगाकर पर्शियनखाड़ी तक जर्मनीका जाल फैला हुआ है।

जबसे जर्मनीने अपना जाल फैलाया है तभीसे वह सुलह और शान्तिके लिए चिल्ला रहा है। बर्लिनसे कई वक्त "शान्ति, शान्ति" की आवाजें आयी हैं। जान पड़ता है, जर्मनी अपनी प्रेरणासे शान्तिके लिए आवाज नहीं उठा रहा है। पर उन राष्ट्रोंकी प्रेरणासे उठा रहा है, जिनसे वह अपना मतलब बना रहा है । इस सम्बन्धकी थोड़ीसी बात चीत तो खुले तौरसे की गई, बाकी सब खुफिया तौरसे हुई है, ठीक रास्तोंके द्वारा मेरे पास भी इस विषयके सन्देशे पहुँचे हैं, पर किसीमें उन शर्तोंका खुलासा नहीं है। जिनके आधार पर वह सुलह करना चाहता था इस वक्त सन्धी होनेमें उसका फायदा है। क्योंकि उसने फ्रान्सका एक बहुमूल्य हिस्सा दबा रक्खा है । सारा

बेल्जियम उसके तावे है। उसकी फौजें रूसमें फैली हुई हैं और पोलेण्डको उसने कुचल दिया है। अब वह आगे नहीं बढ़ सकता और न पीछेही जाना चाहता है। वह मामलेको यहीं तय करना चाहता है और इसीमें वह अपना फायदा समझता है।

जर्मनीके फौजी मालिक, जिनकी अधीनतामें जर्मन लोग अपना खून बहा रहे हैं, यह बात अच्छी तरह देख रहे हैं कि भाग्यने उन्हें कहाँतक लाकर रक्खा है। अगर वे एक इञ्च भी पीछे पैर हटाते है,— तो बालूके मकान की तरह घरमें और बाहर उनकी शक्ति मटिया-मेट हो जाती है। अब उनके पैर काँप रहे हैं। उनके हृदयमें भयका कीड़ा लगगया है। अब वे केवल एकही बातसे अपनी सैनिक शक्ति और राजनैतिक प्रभाव की लाज रख सकते हैं। और वह यह है कि जीती हुई भूमिको अपने कब्जेमें रखनेकी शर्तपर वे किसी तरह सुलह कर सकें। अगर इसमें उन्हें सफलता होगई तो वे जर्मन लोगोंको अपनी कारगुजारी दिखा सकेंगे। वे जर्मन लोगोंको व्यापार और उद्योगका बढ़ा हुआ क्षेत्र दिखा सकेंगे। उनकी शान बनी रह जायगी और इसके साथ साथ वे अपनी राजनैतिक शक्तिको भी रक्षित कर सकेंगे। इसके विपरीत अगर जर्मनीके इन फौजी मालिकोंको असफलता हुई तो वे अलग कर दिये जायँगे, और इंग्लैण्ड, अमेरिका, तथा आधुनिक संसारके सब महान् राष्ट्रोंकी तरह जवाब-दार शासनपद्धति वहाँ शुरू हो जायगी।

अगर उन्हें सफलता होगई तो समझ लेना चाहिए कि संसारका भला नहीं है। खास जर्मनीका भी इसमें भला नहीं हैं। उनकी सफ-लतासे संसार और जर्मनीका काम तमाम हुआ समझिए। अगर इन्हें असफलता हुई तो जर्मनी भी बचा रहेगा और संसारमें शान्ति रहेगी। इनकी सफलतासे अमेरिका भी आफतमें पड़ जायगा। हमें और

सारे शेष संसारको इसीप्रकार हथियार बन्द रहना चाहिए, जैसे ये हो रहे हैं। और हमें उनके हमलेके लिए सुसज्जित और तैयार रहना चाहिए। इनके असफल होनेसे संसार शान्तिके लिए संयुक्त होगा और जर्मनी भी उसमें शामिल होगा।

क्या आप जर्मनीके इन फौजी मालिकोंके नये षड्यन्त्रको—सुलहके षड्यन्त्रको—नहीं समझे? क्या आप यह बात नहीं समझे कि अपने उद्देशकी सिद्धिके लिए तथा राष्ट्रोंको धोखा देनेके लिए हरप्रकारके जरियोंसे ये काम ले रहे हैं? हालका उनका उद्देश उन सब लोगोंको धोखा देना है जो मानवी हकोंके लिए—जो राष्ट्रोंके स्वराज्यके लिए खड़े रहते हैं। क्योंकि ये देख रहे हैं कि इन लोगोंके पीछे न्याय और उदारताकी शक्तिका कितना जबरदस्त बल इकट्ठा होरहा है। इसीलिए ज्यों त्यों कर ये अपना काम बनाना चाहते हैं। इस कामके लिए उन्होंने कुछ उदार मनुष्योंको लगाया है। जिन लोगोंसे वे पहले घृणा करते थे—जिन लोगोंपर उन्होंने तरह तरहके ज़ुल्म किये थे—आज उन्हींको उन्हींके नाशके लिए, वे आगे कर रहे हैं। उन्हींको आगे करके ये सुलहकी बातचीत करना चाहते हैं। ये लोग कौन हैं? ये सोशियालिस्ट हैं, ये मजदूरोंके नेता हैं। ये विचारक हैं, जिन्हें अबतक चुप कर रक्खा था। जर्मनीके फौजी मालिकोंको एक वक्त सफल हो जाने दीजिए और फिर देखिए कि उन लोगोंको, जो कि अभी इनके हाथके औजार बन रहे हैं, किस तरह अपने सैनिक साम्राज्यकी शक्तिके बेलनसे पीस डालते हैं और साथही साथ रूसकी राज्यक्रान्तिको निकम्मी करके उसके विपरीत गतिविधि शुरू कर देते हैं। इतनाही नहीं, इनकी सफलतासे खुद जर्मनी भी अपनी स्वतन्त्रताका मौका गँवा देगा और सारा योरप एक दूसरे और अन्तिम युद्धके लिए शस्त्रग्रहण करेगा।

रूसकी तरह इस देशमें भी इनके द्वारा पापी षड्यन्त्र रचनेमें कोई कोताही नहीं की गई। यहीं क्यों, जिन जिन देशोंमें इम्पीरियल जर्मन सरकारके एजन्ट और गुप्तचर रास्ता पागये वहां वहां दुष्ट षड्यन्त्र रचे गये। हमारे देश (अमेरिका) में भी बहुतसे लोग उनके पक्षमें बोलनेवाले हैं। इनमें उच्च और नीच दोनों श्रेणियोंके लोग हैं। ये जर्मन षड्यन्त्रकारी अपना काम बड़ी चतुराईसे निकालते हैं। वे कानूनकी सीमामें रहकर अपना काम बनाते हैं। वे खुले तौरसे राजविद्रोहकी बातें नहीं करते। वे अपने मालिकोंके उदार उद्देशोंको प्रकट करते हैं। अमेरिकनोंको वे फुसलाते हैं कि यह युद्ध तो विदेशी युद्ध है। अमेरिकाका उसके साथ कोई सम्पर्क नहीं है, यह अमेरिकाकी किसी संस्थाको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वे इंग्लैण्डको बीचमें रखते हैं और कहते हैं कि यह सारे संसारपर अपना आर्थिक प्रभुत्त्व जमाना चाहता है और हम अमेरिकनोंसे अपील करते हैं कि जैसे सदासे आप राष्ट्रोंके राजनैतिक मामलोंसे निरपेक्ष रहते आये हैं, वैसे अब भी रहिए और आप अपने उदार सिद्धान्तोंपर भक्ति रखिए।"

पर इससे भी ये लोग प्रगति न कर सके। इस झूँठने उन्हें पद पद पर गिराया। ये बातें केवल उन्हीं लोगोंसे कही जारही हैं, जो जर्मन सरकारके मित्र और हिस्सेदार हैं और जिन्हें हमने पहचान लिया है। पर असली बात अब दुनिया जान गई है। अमेरिकन लोग भी इसे खूब अच्छी तरह जान गये हैं; क्योंकि हम अमेरिकन लोगोंकी आदत ही कुछ ऐसी हो रही है कि असली बातको हम झट ताड़ जाते हैं। हमें इन लोगोंसे पूरा सावधान रहना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि यह युद्ध लोगोंका युद्ध है। स्वाधीनता, न्याय और सारे राष्ट्रोंमें स्वराज्य स्थापनाके लिए यह किया जा रहा है।

जो लोग संसारमें रहते हैं उनकी रक्षाके छिए यह युद्ध किया जा रहा है। जर्मन लोगोंकी रक्षा भी इसमें शामिल है। हमें चाहिए कि हम संसारसे धोकेबाजी—दगाबाजी उठानेमें और संसारको आसुरी शक्तियोंसे मुक्त करानेमें सहायता दें। अगर हम उन सिद्धान्तोंको न पाल सके, जो हमारे हृदयसे बिलकुल प्यारे हैं, अगर हम राष्ट्रोंकी मुक्तिके काममें पूरी तरहसे अपना हाथ न दे सके तो समझना होगा कि हम अपने राष्ट्रीय आदर्शसे बहुत दूर हैं। ऐसे महान् पवित्र कार्य्यके पालनमें जो लोग हमें बाधा देंगे, उनके लिए शर्म हैं। इतिहासके इजलासमें इस कार्य्यके अर्थ जवाब देनेके लिए हम तैयार हैं। इससे हमारी पताकामें नया तेज आवेगा और जिन महान् उद्देशोंके लिए हमारा जन्म हुआ है, उन्हें हम सफल कर सकेंगे और हमारे लोगोंके मुखमण्डल पर नये गौरवका प्रकाश चमकने लगेगा।

व्याख्यान चौथा।

प्रेसिडेन्टकी घोषणा।

मेरे देश-वासियो! हमारा प्रिय देश एक ऐसे नरसंहारक और भीषण युद्धमें प्रवृत्त हुआ है, जिसने दुनियाको हिला दिया है और जो प्रजातन्त्र और मानवी अधिकारोंके लिए किया जा रहा है। इससे हमारे सामने अपने राष्ट्रीय जीवन और कृतिके बहुतसे ऐसे प्रश्न उपस्थित हुए हैं जिनका तत्काल विचार और निपटारा करना आवश्यक है। अतएव मुझे आशा है कि इस सम्बन्धमें मुझे कुछ प्रार्थना करनेकी अनुमति देंगे।

हम लोग अपनी जल-सेनाको बड़ी तेजीके साथ प्रभाव-शाली बना रहे हैं और हम एक महान् सेना भी खड़ी करनेवाले हैं, पर हमारे सामने जो महान् कार्य्य है उसके ये बिलकुल साधारण हिस्से मात्र हैं। जहां तक मैं समझता हूँ हम किसी स्वार्थपूर्ण तत्वके लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारे विश्वासके अनुकूल मानवी अधिकार, भावी शान्ति और संसारकी निर्भयता (Security) के लिए हम लड़ रहे हैं। इस महान् कार्य्यकी सफलताके लिए बिना किसी प्रकारके लाभ और सांसारिक प्राप्ति (Gain) का ख़याल किये, हमें बड़े उत्साह और शक्तिके साथ इसमें लग जाना चाहिए। यह कार्य्य जितना महान् है, उतनी ही कर्तृत्व शक्तिसे हमें इसमें जुट जाना चाहिए। हमें यह बात अच्छी तरह जानना चाहिए कि यह कार्य्य कितना महान् है और इसके लिए किन किन पदार्थोंकी, किन किन तत्वोंकी और कितने स्वार्थ-त्यागकी आवश्यकता होगी। इन बातोंका

हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना इन बातोंका विचार किये युद्ध निष्फल हो जायगा।

हमें अपने लिए—अपनी फौजोंके लिए—अपने नाविकोंके लिए और साथ ही बहुतसे उन राष्ट्रोंके लिए जिनके रक्षार्थ और जिनकी तरफ़से हम लड़ रहे हैं—अन्नका काफ़ी इन्तजाम करना चाहिए।

हमारी पैदल और जहाज़ी फौजोंके पास अन्नवस्त्र और अन्य युद्ध-सामग्री पहुँचानेके लिए हमें सैकड़ोंकी संख्यामें जहाजोंकी आवश्यकता होगी। हमारी वीर सेनायें इस आवश्यक सामग्रीके बिना नहीं लड़ सकेंगी। इसके सिवा हमें योरपके उन राष्ट्रोंको भी इस कार्य्यमें सहायता करना चाहिए जिनके साथ होकर हम लड़ रहे हैं। हमें अन्य आवश्यक सामग्रियोंके साथ साथ वहाँके कारखानोंको कच्चा माल देना चाहिए, जहाजों और फेक्टरियोंके लिए कोयला देना चाहिए—शस्त्र बनानेके लिए फौलाद आदिका प्रबन्ध करना चाहिए। एन्जिन और अन्य यन्त्र आदिका भी भरपूर प्रबन्ध करना चाहिए। घोड़े, खच्चर और युद्धमें काम आनेवाले जानवरोंकी भी सहायता हमें पहुँचानी चाहिए। इन सब बातोंका बन्दोबस्त हमें अपने लिए करना चाहिए और आवश्यकताके अनुसार इंग्लैण्ड, फ्रान्स, इटाली और रूसकी फौजोंके लिए भी करना चाहिए।

हमें अपने हर तरहके उद्योग-धन्धोंको, चाहे वे खेतीसे सम्बन्ध रखते हों, चाहे जहाज-खाने, (Ship yard) चाहे खदानों तथा कारखानोंसे लगाव रखते हों, हमेशा के बनिस्बत ज्यादा सुसज्जित और कार्य्यक्षम बनाना चाहिए। आर्थिक दृष्टिसे इनकी व्यवस्था और भी उत्तम करनी चाहिए। अपने कार्य्यके योग्य इन्हें बना डालना चाहिए। यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो स्त्री-पुरुष, इनकी उन्नतिके लिए और समयकी आवश्यकताको पूरी करनेके

काममें इन्हें अधिक उपयुक्त बनानेमें, अपनी कर्तृत्व-शक्ति और विचार-शक्ति लगावेंगे, वे भी देशकी बहुमूल्य सेवा करेंगे और उनके लिए यह कहा जायगा कि शान्ति और स्वाधीनताके युद्धमें इन्होंने उतनीही सहायता पहुँचाई जितनी रणक्षेत्रमें जूझनेवाल वीरसैनिक पहुँचा रहे हैं। देशकी यह औद्योगिक सेना (Forces) राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सेवा करनेवाली सेना समझी जायगी। इस औद्योगिक सेनाके लोगोंके लिए भी यह कहा जायगा कि ये, राष्ट्र और संसारकी सेवामें लगे हैं; इनके लिए कहा जायगा कि ये मनुष्य-जातिके रक्षक और सच्चे मित्र हैं—ये स्वाधीनता देवीके सच्चे भक्त हैं और यही देशके लिए वैसाही स्मरणीय और गौरव-शाली काम कर रहे हैं, जितना कि वे लोग कर रहे हैं, जो तोपोंकी भयानक गर्जना और भीषण गोला-वृष्टिमें लड़ रहे हैं।

मैं देशके किसानों और खेतोंपर काम करनेवाले लोगोंसे निवेदन करता हूँ कि हमारे देशकी तथा उन देशोंकी जिनके साथ होकर हम लड़ रहे हैं सबसे बड़ी आवश्यकता, भरपूर सामग्री, है। खाद्य-पदार्थोंकी तो खास आवश्यकता है। इस साल तो इसकी आवश्यकता और भी ज्यादा है। जिस महान् कार्य्य में हम लगे हैं, उसमें प्रचुर खाद्य-सामग्रीके बिना असफलता होगी और वह नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा। संसारमें इस साल बहुत कम धान्य सञ्चय (Food reserve) है। केवल इसी आवश्यकताके अवसरपर नहीं, पर सुलह होनेके कुछ समय पश्चात् भी हमारे तथा योरपके अधिकांश लोगोंको अमेरिकाकी फ़सल पर अवलम्बित रहना पड़ेगा।

इस देशके किसानोंपर ज्यादातर युद्धका तथा राष्ट्रोंका भाग्य निर्भर करता है। जिस तरह बने उन्हें अपने देशकी पैदायशको बढानेका उपाय करना चाहिए। इसमें कोई कसर न करना चाहिए।

राष्ट्रको भी अपनी पैदावार की बिक्री तथा विभाग बहुत उम्दा तरहसे करना चाहिए। वक्त कम है। जल्दी करना चाहिए और ऐसे उपाय काममें लाना चाहिए, जिससे फसल खूब हो। क्या नवयुवकोंसे, क्या बुड्ढोंसे और क्या बलवान् पुरुषोंसे, सभीसे मैं अपील करता हूँ कि वे खेतोंकी ओर झुकें और इस बातका निश्चय करादें कि इस महान् कार्य्यके साधनके लिए वे कोई कसर उठा नहीं रखते हैं।

मैं खास कर दक्षिणके लोगोंसे अपील करता हूँ कि वे खूब ज्यादा तादादमें खाद्यसामग्री बोवें और साथ साथ रुई भी बोवें। जो लोग स्वाधीनताके लिए युद्ध कर रहे हैं, अन्न-सामग्रीके द्वारा उन्हें सहायता पहुँचानेके काममें वे स्वदेश-भक्तिका उज्ज्वल परिचय दें। यही बात उनके राष्ट्रीय कर्त्तव्यकी द्योतक होगी। संयुक्त राज्य (अमेरिका) की तथा और भी अन्य राज्योंकी सरकारें इस कार्यमें सहयोग देनेके लिए तैयार हैं। बीजोंका काफी प्रबन्ध, फसलके मौके पर मजदूरोंका बन्दोबस्त और खाद तथा खेतोंमें लगनेवाले यन्त्रोंका प्रबन्ध करनेके लिए सरकार किसानोंको यथासम्भव सहायता देनेको तैयार है। और भी जिस जिस प्रकारकी सहायताकी आवश्यकता होगी, सरकार सहर्ष देनेके लिए तैयार है। व्यापारका पथ, जहां तक सम्भव हो सकेगा, बाधा रहित कर दिया जायगा। हमें अपने महान् प्रजातन्त्र (Great democracy) के कर्तृत्व दिखानेका यह मौका प्राप्त हुआ है और हमें इसमें किसी प्रकारकी कमी न करनी चाहिए।

जो मनुष्य रेल्वेके सञ्चालक हैं—चाहे फिर वे मैनेजर हों या मजदूर हों—उन्हें भी मुझे यह बात कहने दीजिए कि रेल्वे राष्ट्रीय जीवनकी नसें हैं। और उनपर यह देखते रहनेकी बड़ी भारी

जिम्मेवारी है कि इन नसोंके कार्यमें कोई बाधा उपस्थित नहो, इनकी शक्ति तथा कार्य–तत्परतामें किसी प्रकारकी कमी न आवे। व्यापारियोंको भी मैं यह कहूँगा कि ' थोड़ा नफा और व्यापार खूब ' की नीतिको आप इख्तियार कीजिए। जहाज बनानेवालोंको भी सङ्केत करूँगा कि युद्धका जीवन आप लोगोंपर निर्भर करता है। समुद्रके पारके देशोंमें अन्न और युद्धसामग्री बराबर पहुँचती रहनी चाहिए। इस बातकी परवाह करनेकी जरूरत नहीं कि कितने जहाज डूबते हैं जहाजों के डूबनेसे जो कमी होती है उसे तुरन्त पूरा करना चाहिए। खदाने वालोंसे (Miners) भी मैं यह कहूँगा कि तुम्हारा भी वही दर्जा है, जो किसानों का है। दुनिया का काम तुम पर निर्भर कर रहा है। अगर तुम सुस्ती करोगे या असफल होओगे तो फौजें और राजनीतिज्ञ लाचार हो जाँयगे। माल बनाने वालों (Manufacturers) को यह कहनेकी जरूरत नहीं कि दुनिया उनसे जल्दी और अच्छा माल तैयार करने की आशा करती है। उनके मालिकोंको भी मुझे यह कहना है कि उनकी सेवा की भी अत्यन्त आवश्यकता है। और जो लोग देश और उसकी स्वाधीनता को प्यार करते हैं, वे इसे बहुत कामकी समझेंगे।

मुझे यहभी सङ्केत करने दीजिए कि हरएक आदमी जो बगीचे में चीजें उत्पन्न करता है या खेती करता है, वह राष्ट्रके खाद्य–संबंधी प्रश्नको बड़ी सहायता पहुँचाता है। वह गृहस्थी जो इस समय किफायतशारीसे चलती है, राष्ट्रीय हितको बहुत सहायता पहुँचा रही है। अमेरिका के लिए यह समयहै कि वह अपने फिजूल खर्चीकी अक्षम्य आदतको सुधारे। हर मनुष्यको सर्वसाधारण के प्रति अपना यह कर्तव्य समझना चाहिए कि वह खूब सावधानी के साथ किफायतशारीसे खर्च करे। यह कार्य्य स्वदेशभक्तिका निदर्शक होगा। जो

मनुष्य इस कार्य में बेपरवाही करेगा, वह क्षमा करने योग्य नहीं समझा जायगा।

इस आशासे कि इस नाजुक मौकेपर राष्ट्र की तथा संसारकी बड़ी आवश्यकता का जो बयान मैंने किया, उसका कोई असर आपपर हुआ होगा, और आपको अपने गम्भीर और पवित्र कर्तव्योंका ध्यान हुआ होगा। मैं चहुँ ओर के सम्पादकों और प्रकाशकों से निवेदन करताहूं कि मेरी इस अपीलका जितना ज्यादा प्रचार हो सके उतना करें और इसे अपने पत्रमें खास मार्केकी जगह दें। विज्ञापन देने वाली एजन्सियों को भी मैं सूचना करता हूं कि अगर वे इस अपील को चहुँ ओर फैलानेकी कोशिश करेंगी तो वे देश और संसारकी बहुतही आवश्यक और समयोचित सेवा करेंगी। मुझे आशा है, धर्माधिकारी भी इसे अनुपयोगी न समझेंगे और इसे योग्य महत्व देंगे।

राष्ट्रके लिए महान् परीक्षाका समय उपस्थित हुआ है। आइए, हम सब लोग कार्य्य और सेवा करें।

व्याख्यान पांचवाँ।

संसार की शान्ति।

इस बारभी मध्यवर्ती राष्ट्रोंके मुखियोंने पहले की तरह अपनी यह इच्छा प्रदर्शित की है कि इस युद्धके उद्देशपर तथा किस भित्ति (Basis) पर शान्ति हो सक्ती है, इसबातपर वादानुवाद किया जाय। इस वक्त ब्रेस्टलिटोव्हस्क स्थानमें मध्यवर्ती राष्ट्रोंके और रूसी प्रतिनिधियोंके बीच सन्धिकी बातचीत हो रही है, और इस ओर इस आशयसे सारे लड़ाके राष्ट्रोंका ध्यान खींचा गया है कि उन राष्ट्रोंके बीच सन्धि तथा समझौतेकी शर्तें तय करनेके लिए किसी जनरल कॉन्फरन्स में यह बातचीत हो सकती है या नहीं। रूसके प्रतिनिधियोंने तो यह साफ साफ बतला दिया है कि हम इन सिद्धान्तोंपर सुलह करनेके लिए राजी हैं और उन्होंने उन सिद्धान्तोंको व्यवहार में लानेका निश्चित प्रोग्राम भी बना डाला है। बात यह है कि इन्होंने अपनी बात बिलकुल साफ तौरसे कह डाली है। मध्यवर्ती राष्ट्रोंके प्रतिनिधियोंने अपनी ओरसे समझौते की एक रूप-रेषा (Out Line) प्रकट की है। वह यद्यपि, अस्पष्ट है, पर उदार दिखाई पड़ती है। इसका असली रहस्य तभी खुलेगा, जब इसके प्रत्यक्ष रूपमें लानेकी बात पेश की जायगी। जब वे खास शर्तें प्रकट की जायँगी, जिनके आधारसे सुलह होसकती है, तब मालूम होगा कि मध्यवर्ती राष्ट्र रूस की शाही (Sovereignity) को तथा वहांके लोगोंको, जिनके भाग्यसे इसका सम्बन्ध है, कोई सहूलियत देना नहीं चाहती। मध्यवर्ती राष्ट्र रूसकी वह इंच इंच भूमि—हरएक प्रान्त, हरएक शहर, अपनी सुभीतेका हर स्थान—जो

उन्होंने दबाया है अपने तले रखना चाहते हैं। ये उसे स्थायीरूपसे अपने राज्यमें मिला लेना चाहते हैं।

यह बात हमें युक्तिसङ्गत देख पडती है कि सुलह और समझौतेके जो साधारण सिद्धान्त पहले सूचित किये गये थे वे जर्मनीके कुछ जियादा उदार-हृदय राजनीतिज्ञोंके द्वारा किये गये होंगे। ये ऐसे मुत्सद्दियों के द्वारा किये गये होंगे जिन्हें अपनी प्रजाके विचार और उद्देश की शक्तियोंका कुछ परिचय हुआ होगा। पर समझौतेकी खास शर्तें तो जर्मनी और आष्ट्रियाके फौजी मालिकोंकी ओर ही से आई हैं, जिनका खास उद्देश दबाये हुए देशमें से एक बालिश्त भूमि भी वापस नहीं लौटाना है। रूस और मध्यवर्ती राष्ट्रके बीच सुलह की लिखा पढ़ी अब बन्द हो गई है। यह कहना पड़ेगा कि रूसके प्रतिनिधि सच्चे दिलसे बातचीत कर रहे थे। जर्मनीकी विजय और भूमिके अधिकारके प्रस्तावोंका उन्होंने स्वागत नहीं किया (यह सारी घटना महत्व-पूर्ण और ध्यान देने लायक थी) साथही यह बड़ी जटिलभी थी। यहां यह बात सोचने योग्य है कि रूसके प्रतिनिधि किनसे बातचीत कर रहे थे? मध्यवर्ती राष्ट्रोंके प्रतिनिधि किनकी ओरसे बोल रहे थे? वे अपनी अधिकांश जनताकी ओरसे बोल रहे थे या कुछ मुट्ठीभर फौजी तथा सरकारी आदमियोंकी ओरसे कि जिन्होंने सारी सत्ता अपने हाथमें ले रखीहैं और जो तुर्की तथा बाल्कन स्टेटस् के मामलोंका नियन्त्रण कर रहे है? ये बाल्कन राज्य मजबूरीसे मध्यवर्ती राष्ट्रोंके साथी हुए हैं।

रूसके प्रतिनिधियोंका यह कथन न्याय-युक्त और आधुनिक प्रजातन्त्रके भावोंको लिए हुए था कि जो कॉन्फरेन्सेंकी जायँ वे खुले तौरसे की जायँ। उनके द्वार किसीके लिए बन्द न रहें। सारे संसारके लोगोंमेंसे जो सुननेके लिए आना चाहें वे आ सकें। पर मध्यवर्ती

राष्ट्रोंको यह बात कब स्वीकार होनेवाली थी ? इससे तो उनकी पोल खुल जाती । संसारको उनके रहस्य मालूम हो जाते ।

चाहे जो हो, ब्रेस्टेलिटोव्हस्क स्थानकी सुलह सम्बन्धी बातचीतका कुछ नतीजा चाहे न निकला हो, मध्यवर्ती राष्ट्रोंके मुखियाओंकी बातोंमें चाहे गड़बड़ हो, पर उन्होंने अपना उद्देश एक वक्त फिर संसारके सामने रक्खा है और उन्होंने अपने विरोधियोंको इस बातका चैलेंज दिया है कि वे अपने उद्देश बतलावें, और यह प्रगट करें कि किस प्रकारका समझौता वे उचित और सन्तोषदायक समझते हैं ।

हमें कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि इस चैलेन्जका सच्चे दिलसे जवाब क्यों न दिया जाय ? हमने इसका जवाब देनेमें किसी प्रकारकी प्रतीक्षा न की । एक ही वक्त नहीं, किन्तु बार बार हमने अपने उद्देश संसारके सामने रक्खे । हमने केवल साधारण सिद्धान्त ही संसारके सामने नहीं रक्खे पर प्रत्येक शर्त उसकी पूरी व्याख्याके सहित रक्खी, जिससे संसारको हमारी शर्तें साफ साफ मालूम हो जायँ । गत सप्ताह मि० लॉयड जार्ज भी ग्रेट-ब्रिटेनके लोगोंकी और सरकारकी ओरसे सच्चे दिलसे बड़े अच्छे भावोंमें बोले । मुझे यह कहना पड़ेगा कि मध्यवर्ती राष्ट्रोंके विरोधी पक्षके अभिप्रायोंमें किसी प्रकारकी गड़बड़ नहीं है । उनके सिद्धान्तोंमें किसी प्रकारकी अनिश्चितता नहीं है । उनके कथनमें किसी प्रकारकी अस्पष्टता नहीं है । अगर कोई अपनी मन्त्रणाओंको गुप्त रखना चाहते हैं, अगर कोई अपनी बातोंको निर्भयतापूर्वक साफ तौरसे कहना चाहते है, अगर कोई युद्ध विषयक उद्देशोंको साफ तौरसे प्रकट करनेमें हिचकते है, तो वे मित्र राष्ट्र नहीं, पर मध्यवर्ती राष्ट्रही हैं । इन बातोंकी और उद्देशोंकी व्याख्या बड़े महत्वकी है । राष्ट्रोंके जीवन और मृत्युका

प्रश्न इनपर निर्भर करता है। जिस राजनीतिज्ञ (States-man)को अपने उत्तरदायित्वका जरा भी ख्याल है, वह कभी यह न चाहेगा कि इसप्रकार खूनकी भयानक नदियां बहती रहें और धन बरबाद होता रहे। पर जब वह मजबूर हो जाता है, जब वह देखता है कि इस महान स्वार्थ-त्याग और आत्म-बलिका उद्देश समाजके जीवनकी रक्षा करना है, और जिन लोगोंकी तरफसे वह बोल रहा है वे इसे मुनासिब समझते हैं, तब वह इसे चलने देता है। केवल समाजके जीवनकी रक्षाहीके ख्यालसे दुःखके साथ वह इस आत्मबलिको देखता रहता है।

आज एक आवाज उठ रही है जो इन सिद्धान्तोंकी स्पष्ट व्याख्या चाहती है। यह आवाज बड़ी प्रबल और सनसनी पैदा करनेवाली है। यह रूसके लोगोंकी आवाज है। पर क्या किया जाय ? वे बेचारे चित पड़े हुए हैं और निर्दयी जर्मन-शक्तिके पञ्जेमें पड़कर मजबूर हो रहे हैं। उनकी शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई है। पर उनकी आत्मा नहीं गिरी है। वह मजबूत हैं। वे अपने सिद्धान्तोंको छोड़नेके लिए तैयार नहीं हैं। जो कुछ उन्हें अपने विचारमें ठीक, मनुष्योचित और सम्मान-दायक जँचा, उसे उन्होंने साफ साफ, खुले तौरसे और उदार-हृदयसे कहा। इसमें उन्होंने सार्वभौमिक मानवी सहानुभूतिका ख्याल रक्खा। इस कार्यके लिए प्रत्येक मनुष्य-जातिका मित्र इनकी प्रशंसा किये बिना न रहेगा। हमें चाहिए कि हम रूसी लोगोंकी सहायता करें और हम भी इस युद्धके सम्बन्धमें अपने उद्देश और हेतु साफ साफ तौरसे कह दें।

चाहे रूसके वर्तमान नेता विश्वास करें या न करें, पर हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि कोई ऐसा रास्ता खोला जाय, जिससे हम रूसी लोगोंको स्वाधीनता और शान्तिके ध्येय पर पहुँचानेमें सहायक हो सकें।

हमारी यह इच्छा और उद्देश है कि सुलहकी कार्यवाही बिलकुल खुले तौरसे हो और उसमें कोई खुफिया समझौते न होने पावें। अब दूसरोंको पैरोंतले कुचलनेके दिन गये। इसी प्रकार कुछ खास राज्योंकी स्वार्थसिद्धिके लिए गुप्त मन्त्रणा करनेके दिन भी गये। इस गुप्त मन्त्रणासे संसारकी शान्तिमें कितना विघ्न पड़ता था, यह आप लोगोंको बतलानेकी जरूरत नहीं। जिस मनुष्यकी निष्ठा, न्याय और शान्ति पर है और जिसके विचार गये गुजरे समयके नहीं हैं, वह साफ और खुली कार्रवाइयों ही को पसन्द करेगा।

हम इस युद्धमें इसलिए प्रविष्ट हुए हैं कि इसमें स्वत्वोंके घात करनेका प्रयत्न किया गया है। इससे हमारे दिल दहल गये। हमारे लोगोंका जीवन खतरेमें गिरगया। अब हम लोग चाहते हैं कि ऐसा प्रबन्ध किया जाय, जिससे ऐसी खराबियां आगे उपस्थित न होने पावें और संसार आरामसे रह सके।

हम इस युद्धमें जो कुछ चाहते हैं, उसमें खास तौरसे हमारा अपना कुछ नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि यह संसार निवास करने योग्य और सुरक्षित बना दिया जाय। प्रत्येक शान्तिप्रिय राष्ट्रके मार्गमें जो अपना स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना चाहता है, किसी प्रकारकी रुकावटें कोई खड़ी न करने पावे। उसे संसारकी ओरसे न्याय और अच्छे बर्तावका आश्वासन रहे। उसे इस बातका विश्वास रहे कि कोई स्वार्थी और अत्याचारी राष्ट्र मेरी स्वतन्त्रतामें बाधा न देने पावेगा। मैं समझता हूँ, मेरे इन उद्देशोंसे सारे संसारकी सहानुभूति होगी। हमारे इन उद्देशोंका सारा संसार हिस्सेदार होगा। हमारा तो विश्वास है कि जबतक दूसरोंको न्याय न मिलेगा तबतक हमें भी न मिलेगा।

अतएव संसारकी शान्तिका प्रोग्रामही हमारा प्रोग्राम है, और वह प्रोगाम यह है:—

१—सुलहकी बात खुल्लम-खुल्ला हो। इसमें कोई भी राष्ट्र निजी तौरसे किसीसे कुछ समझौता न करे।

२—अपने अपने देशकी सीमाके अन्दरवाले समुद्रके भागको छोड़कर बाकी सब समुद्र युद्ध और शान्ति दोनों कालोंमें सबके आवागमनके लिए खुले रहें।

३—जो लोग सुलहमें शरीक हों और उसे चिरस्थायी बनाये रहना स्वीकार करें उनके परस्पर व्यापार-सम्बन्धी सब रुकावटें दूर कर दी जायँ और सबके साथ व्यापार सम्बन्धी रियायतें समान रक्खी जायँ।

४—देशरक्षाके लिए कमसे कम जितना सैनिक बल रखना आवश्यक हो उससे अधिक कोई भी न रक्खे और इसके लिए सबसे स्पष्ट प्रतिज्ञा कराली जाय और जमानत लेली जाय।

५—उपनिवेशोंका कालोनियोंका फैसला खुले दिलसे और पक्षपात-रहित होकर प्रत्येक कालोनीके निवासियोंके आधिपत्यक सिद्धान्तानुसार और उस कालोनीसे सम्बन्ध रखनेवाली सरकारके दावेके ख्यालसे किया जाय।

६—रूसकी वह सब भूमि छोड दी जाय जो शत्रुके कब्जेमें है और रूस-सम्बन्धी सब प्रश्नोंका निर्णय इस ढँगसे किया जाय, कि रूस अपनी राजनैतिक उन्नति और राष्ट्रीय नीतिका निर्णय स्वयं स्वाधीनता-पूर्वक कर सके।

७—बेल्जियम पूर्ववत् स्वाधीन राज्य बना दिया जाय। ऐसा करनेसेही अन्तर्राष्ट्रीय कानूनकी दृढता पर सबका भरोसा पुनः जम सकता है।

८—फ्रांसकी जिस भूमिपर शत्रुने आक्रमण करके दखल कर लिया है, वह छोड दी जाय; और फ्रांसका वह प्रान्त भी जो जर्मनीने सन् १८७० में दबा लिया था, मुक्त किया जाय।

९—इटालीकी भूमि छोड़कर उसकी वह भूमि भी उसे लौटा दी जाय जो आस्ट्रियाके नीचे दबी हुई है।

१०--जर्मनके मित्र आस्ट्रिया हंगरीकी जातियोंको अपने अपने स्वाधीन राष्ट्र स्थापित करनेका मौका दिया जाय।

११—रूमानिया, सर्विया, और माण्टीनिग्रो मुक्त किये जायँ और उनकी जो भूमि दबाली गयी हो वह छोड़ दी जाय तथा सर्वियाको समुद्रतक स्वाधीन रस्ता दिया जाय।

१२—तुर्की राज्यमें जो वास्तविक तुर्की प्रान्त हैं, वे उसीमें बने रहें; परन्तु अरब, जर्मन आदि कई जातियोंको स्वाधनि राष्ट्र स्थापित करनेका मौका दिया जाय।

१३—पोलेण्डका नया राज्य स्थापित किया जाय और पोल जातिके सब लोग उसमें शामिल किये जायँ तथा उस राज्यकी स्वाधीनता स्वीकार करके उसे समुद्रकिनारे तककी भूमि दी जाय।

१४—राष्ट्रोंकी एक सभा सङ्गठित की जाय और वह सभा सब छोटे बड़े राज्योंकी स्वाधीनताको अक्षुण्ण बनाये रक्खे।

अन्तमें राष्ट्रपतिने कहा, कि जब तक इन शर्तोंके अनुसार सुलह न होजाय, हम बराबर लड़ते रहनेको तैयार हैं। हमारी इन शर्तोंमें एक भी ऐसी नहीं है, जो जर्मनीके राष्ट्रीय महत्वमें कुछ हस्तक्षेप करने वाली हो। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि वह इस संसारमें हमारा मालिक बनकर नहीं, बल्कि हमारे बराबर वाला बनकर रहे। हम उसके घरेलू शासन-प्रबन्धमें कुछ दखल नहीं देना चाहते, पर हम इतना जानना चाहते हैं कि उसके प्रतिनिधि किसकी ओर से बोल रहे हैं—जर्मन राष्ट्रकी ओरसे या जर्मनीके युद्ध-प्रिय दलकी ओरसे। बस, हमें जो कुछ कहना था वह हमने स्पष्ट रूपसे कह दिया है और इसके साथ ही हम इतना भी कहे देते हैं कि जबतक इन सिद्धान्तोंको शत्रु न मान लेंगे, हम उन्हें माननेको लाचार करनेके लिए अपना सारा बल लगा देंगे।

व्याख्यान छठा.

युद्धका अधिवेशन ।

अपने पवित्र स्वत्वोंकी रक्षाके लिए जर्मनीका युद्ध चैलेन्ज स्वीकार किये आज एक वर्ष होगया । हमारे राष्ट्रके लिए आज युद्धका वार्षिक अधिवेशन है । राष्ट्र अब जग गया है । अब उसे जगानेकी आवश्यकता नहीं । हम जानते हैं कि इस युद्धमें कितना जबर्दस्त खर्च होगा, हमें कितना भारी स्वार्थत्याग करना पड़ेगा, हमारे कितने योग्यतम मनुष्योंकी जाने जायँगी और आश्चर्य नहीं, हमें अपना सर्वस्वतक इसके लिए खर्च करना पड़े ।

आज हम लोग इसी युद्धके अर्थ युद्ध-कर्जके विषयमें विचार करना चाहते हैं । यह युद्ध-कर्ज कितने महत्वका है, इसके बतलानेकी जरूरत नहीं । सारे राष्ट्रके लोग इसकी आवश्यकताको अच्छी तरह समझते हैं । वे हरप्रकारका स्वार्थ-त्याग करनेके लिए तैयार हैं । बहुतसे लोग अपने खर्चमें पैसे पैसेकी किफायतशारी कर उसे इस पवित्र कार्यमें लगा देना चाहते हैं । लोग उन मनुष्योंको घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं जो ऐसे पवित्र कार्योंके लिए भी ज्यादा ब्याज मांगते हैं और जो इसे एक तरहसे व्यापारी कारोबार समझे हुए है । मैं आपसे आज युद्धकर्ज मांगनेके लिए नहीं आया हूँ । पर मैं आज आपको जितना मुझसे बन सकेगा इसकी कल्पना साफ तौरसे करवा दूँगा ।

किन पवित्र उद्देशोंको लेकर यह युद्ध किया जा रहा है, इसमें लड़नेकी या अन्य प्रकारकी सहायता देनेकी क्यों आवश्यकता है, इस विषयमें कई बार कहा जा चुका है । जो आदमी इस विषयमें थोड़ा भी

ज्ञान रखता है वह जानता है कि हमारा उद्देश कितना उच्च और अक्षय है और न्यायके कितने जबर्दस्त तत्वके लिए रणके मैदानमें हमें उतरना पड़ा है। अमेरिकाके लोगोंको जानना चाहिए कि वे अपने पवित्र उद्देशोंकी रक्षाके लिए लड़ें और हर प्रकारका स्वार्थ-त्याग करनेके लिए तैयार रहें। इसीमें उनका हित है। मुझे हर्ष है—कि अमेरिकाके लोग इस बातको समझ रहे हैं कि इसी पवित्र उद्देशकी सफलतामें उनका हित है। अगर इसमें उन्हें असफलता हुई, अगर वे राष्ट्रके पवित्र उद्देशकी विजय न कर सके, तो हमारे राष्ट्रका महान् आदर्श सदाके लिए लुप्त हो जायगा!

महाशयो! आप इस बातके साक्षी हैं कि अपने आपेसे बाहर होकर मैंने कभी जर्मनीके उद्देशों पर विचार नहीं किया। मुझे मनुष्यजातिके सामने यह बात कहते हुए शर्मसी मालूम होती है, कि जर्मनीका उद्देश द्वेष और दूसरे देशोंको दबानेकी इच्छासे भरा पड़ा है। मैंने जर्मनीके मुखियोंसे यह जाननेकी कोशिश की है कि इस युद्धमें जर्मनीके क्या उद्देश हैं और उसी आधारसे मैंने ये बातें कहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम उनके साथ वैसाही साफ व्यवहार रक्खें जैसा कि हम उनसे रखवाना चाहते हैं। हमने अपने आदर्श—अपने उद्देश—साफ साफ तौरसे उनके सामने रक्खे और हमने उन्हें ऐसाही करनेके लिए कहा।

हमने किसी प्रकारके अन्यायका प्रस्ताव नहीं किया। हमने किसी प्रकारके हमलेका प्रस्ताव नहीं किया। हम जर्मन लोगोंके साथ भी न्यायका बर्ताव करना चाहते हैं। हम अन्य राष्ट्रोंकी तरह जर्मनीके साथ भी साफ़ और अच्छा व्यवहार करनेके लिए राजी हैं। हम चाहते हैं कि अन्तिम फैसलेमें राष्ट्र राष्ट्रके लोगोंमें पक्षपात न किया जाय और हमारे विचारमें इसी प्रकारका फैसला सच्चा और न्याययुक्त कहला सकता है। युद्धका नतीजा चाहे जो हो पर जर्मनीके साथ सिवा

निष्पक्ष न्यायके और बात की जाय तो इसमें हमारे उद्देशका अनाद
होगा। हम कोई ऐसी बात न चाहेंगे जो हम देना नहीं चाहते हैं
इसी उद्देशसे मैंने जर्मन मुखियोंसे यह बात जानना चाही कि
न्याय पर खड़े रहना चाहते हैं या दूसरोंकी भूमिपर अधिकार कर
नेकी तथा दूसरोंपर अपनी इच्छा जबरदस्ती लादनेकी उनकी इच्छ
है। इसका उन्होंने जवाब दिया, उससे यह ध्वनित होता था कि
दूसरोंकी भूमिपर अधिकार करनेका लालच ही उनके मनमें काम क
रहा है। पर यह जवाब जर्मनीके मुत्सद्दियोंकी ओरका नहीं थ
उसके फौजी नेताओंकी ओरका था । आज कल जर्मनीके मालि
उसके फौजी नेता ही हैं। उसके मुत्सद्दियोंने तो कहा था कि ह
सुलह चाहते हैं और अपने विरोधी पक्षके साथ कॉन्फरन्समें बैठक
सुलहकी शर्तोंपर बहस करनेको राजी हैं। उसके वर्तमान चान्सलर
इस सम्बन्धमें जो कुछ कहा वह इतना अस्पष्ट है कि उसका मत
लब ही कुछ समझमें नहीं आता। पर उससे यह ध्वनित होता है कि
वे अन्तिम निर्णय उन्हीं तत्वोंपर होना ठीक समझते थे, जिन्हें हम
जारी किये है पर जर्मनीके फौजी मालिकोंने जिनके हाथमें जर्मनीक
सत्ता है; जुदा ही प्रकारकी इच्छा प्रकट की। आशा भी यही थी
क्योंकि हम जानते हैं कि इन लोगोंने रूस फायन्लैंन्ड, युक्रेन औ
रूमानियामें क्या क्या गजब ढाये है ? अब उनके न्याय और व्यव
हारकी परीक्षाका सच्चा समय आया है, इससे हमें दूसरी कई बा
भी मालूम होंगी।

रूसमें उन्होंने जो सस्ती विजय (cheap triumph) प्राप्त की है
उसके फलोंको आज वे चख रहे हैं। ऐसे कार्यमें कोई वीर राष्ट्र अभि
मान नहीं रख सकता रूसका विशाल जनसमुदाय अपनेही कर्मों
निःसहाय होकर आज उनकी दयाका भिखारी बन रहा है। उसके सा

अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। उन्होंने न्यायको ताकमें रख दिया है और वे अपनी शक्तिका दबाव उनपर डालते जा रहे हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। विजित देशोंके लोगोंको स्वतन्त्र करनेके लिए उन्होंने बुलाया है। पर यह स्वतन्त्रता किस प्रकारकी होगी ? यह स्वतन्त्रता जर्मनीकी अधनितामें होगी।

क्या हमारा यह विश्वास ठीक न होगा कि अगर हम उनके सामने ऐसी फौजें खड़ी न करदें, जिन्हें उनकी असंख्य फौजें नहीं जीत सकतीं, तो पश्चिमी रण-क्षेत्रमें भी वे यही कार्रवाई करेंगे।

जर्मनीका उद्देश है कि सब स्लेविक जातिके लोग, बाल्टिक पेनिनशुलाके सब स्वतन्त्र और-महत्वाकांक्षी राष्ट्र और वे सब देश जिन पर तुर्कोंकी सत्ता है, एवं जो बुरी तरह शासित किये जाते हैं, हमारी इच्छा और अभिलाषाके गुलाम बन जायँ, और इन सब देशों पर हम एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करें जिससे हमारा व्यापारिक प्रभुत्व कायम हो और यह साम्राज्य अमेरिका और योरप का विरोधी हो तथा जिसमें आखिर जाकर ईरान, भारत, और सुदूर पूर्वके देश भी आजायँ।

कहिए, जर्मनीके इस प्रकारके नीच और कुत्सित प्रोग्राममें हमारे न्याय, दया, स्वाधीनता, और आत्मनिर्णयके सिद्धान्त कैसे सफली-भूत हो सकते हैं? जहां शक्तिके आदर्शोंका बोल बाला हो रहा है, जहां ये सिद्धान्त प्रतिपादित हो रहे हैं कि बलवान निर्बलोंपर सत्ता स्थापित करने ही के लिए बनाये गये हैं और संसार शक्ति-शालियोंकी गुलामी करनेके लिए हैं। जहां इस प्रकारके विचारोंको कार्यके रूपमें लानेकी चेष्टा की जाय, जहाँ निर्बलोंको पीस डालनेका राक्षसी प्रयत्न किया जाय व जहां स्वाधीनता और मानवी हकोंका घात किया जाय, वहां अमेरिकाका कर्तव्य था कि इन अत्याचारोंके खिलाफ वह तलवार उठावे और उसने यह तल-

वार उठाई भी, जिस आदर्शपर अमेरिकाका जीवन टिका हुआ है। जिन समुज्ज्वल और प्रकाशमान सिद्धान्तोंकी सिद्धि अमेरिका चाह रहा है, उनके नाश होनेका यह अवसर उपस्थित हुआ है, और मनुष्यजातिके लिए दया और करुणाके द्वार निर्दयता-पूर्वक बन्द किये जानेकी कोशिश की जा रही है। इस अमानुषिकताको रोक कर अपने पवित्र सिद्धान्तोंकी रक्षा करना ही इस वक्त हमारा कर्तव्य हो रहा है।

जर्मन फौजोंने जहां जहां पैर रक्खा, प्रलयसा मचा दिया। बड़े बड़े अमानुषिक अत्याचार किये। इतने पर भी अगर सच्चे दिलसे जर्मनी सुलह चाहे, तो हम उसके लिए बात चीत करनेको तैयार हैं। पर वह सुलह इस तरहकी होगी जिसमें बलवान् और निर्बल एकसा समझे जायँ और बलवान् निर्बलको कुचलने न पावें। जब जब मैंने इस प्रकारकी न्याय-युक्त सुलहका प्रस्ताव किया, तब तब इसका उत्तर मुझे रूसके जर्मन कमांडरोंकी ओरसे मिला, पर वह ऐसा था, जिसे हम सहसा स्वीकार नहीं कर सकते।

हम इस युद्धमें इस लिए प्रवृत्त हुए है कि इन अत्याचारोंसे इस दुनियाका छुटकारा हो और वह निवास करने योग्य बन जाय। जर्मनी फिर कह रही है कि केवल शक्तिही इस युद्धका फैसला करेगी। हम भी देखते हैं कि मानवी संसारमें न्याय और शान्तिकी जय होती है या अमानुषिक शक्तिकी, जो सारी मनुष्य-जातिको गुलाम बनाना चाहती है। देखें, इन दोनोंमें कौन मनुष्य-जातिके भाग्यका फैसला करती हैं। अब हमारे लिए केवल एक मार्ग खुला है कि हम भी अन्यायके खिलाफ केवल शक्ति-सत्य और विजयी शक्तिकी आरा-धना करें। इसीसे संसारका नियमन ठीक होगा और इसीसे दूसरोंकी भूमि दबानेकी स्वार्थी अभिलाषाका नाश होगा ! !

व्याख्यान सातवां.

शान्ति की नींव.

कांग्रेसके सभ्य महाशयो ! गत ८ जनवरीको मुझे, जैसा कि हमारे लोग समझते हैं, युद्धके उद्देशोंको प्रकट करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था । इग्लैण्डके प्रधान मन्त्री भी गत ५ जनवरीको इसी विषय पर बोले थे । हमारे इन भाषणोंका उत्तर गत २४ जनवरीको जर्मन चान्सलर काउन्ट व्हॉन् हार्टलिंगने और आस्ट्रियाके प्रधान, मन्त्री काउन्ट जर्निनने दिया । यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि हमारी यह इच्छा फलवती होती जा रही है कि इस विषय पर सब लोग दुनियाके सामने खुले तौरसे विचार करें ।

काउन्ट जर्निनका उत्तर जो ८ जनवरीको खुद मेरे पते पर भेजा गया था, मित्र-भाव-युक्त था । उन्हें मेरे कथनमें यह बात मालूम हुई कि मेरे कथनसे उनकी सरकारकी बहुत कुछ राय मिलती हुई है और इससे दोनों सरकारोंके बीच बातचीत तथा वादानुवाद करने का मार्ग खुल जायगा ।

काउन्ट हॉन हर्टलिंगका उत्तर बहुत ही अस्पष्ट और गड़बड़में डालने वाला है । वह गोल मोल मजमूनसे भरा पड़ा है औ उससे कोई साफ नतीजा नहीं निकलता । काउन्ट जर्निनसे हर्टलिंगकी आवाज जुदी है; बल्कि यों कहना चाहिए कि दोनोंके आशयतकमें भेद है । रुसके ब्रेस्ट लिटोव्हस्क कॉन्फरेन्सकी कार्रवाईसे हमारे मन पर जो असर हुआ, वह काउन्ट हर्टलिंगके कथनसे हटनेकी बजाय और भी पुष्ट होता है । वह हमारे साधारण सिद्धान्तोंको तो स्वीकार करते हैं, पर उनसे उन्हें कोई व्यावहारिक नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखाई देता वे अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाई तथा अन्तर्राष्ट्रीय सलाह (international Counsel) को अच्छा नहीं समझते । वे राज-

कीय मामलोंके सिद्धान्तोंपर खुली तौरसे वादानुवाद करनेकी बातको स्वीकार करते हैं पर साथही इस बात पर जोर देते हैं कि सीमा और राज्य विषयक (Territory and sovereignty) के मामलोंके ऐसे कई खास प्रश्नोंपर, जिनपर सुलहका दारोमदार है, उन्हीं लोगोंके साथ या सामने विचार किया जाय, जिनका इनसे सम्बन्ध है।

वे इस बातको स्वीकार करते हैं कि समुद्र सबके लिए खुले रहने चाहिए। वे इस बातके लिए तैयार देख पड़ते हैं कि राष्ट्र और राष्ट्रके बीचकी आर्थिक बाधायें (economic barriers) हटा दी जायँ; क्योंकि इन बातोंसे जर्मनीके फौजी मालिकोंकी अभिलाषामें किसी प्रकारका धक्का नहीं पहुँचता और काउन्ट हर्टलिंग वही बातें करना चाहते हैं जो इन्हें नापसन्द न हों। काउन्ट हर्टलिंग शस्त्रास्त्रोंको (Armaments) नियमित करनेकी बातको भी स्वीकार करतें हैं। पर इसके लिए वे कहते हैं कि महायुद्धके बाद जो आर्थिक स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, उनसे यह बात अपने आप तय हो जायगी। और जर्मन उपनिवेशोंके लिए वे कहते हैं कि बिना चूंचा किये वे लौटा देने चाहिए। इसके सिवा एक मजा और है। वे कहते हैं कि बाल्टिक प्रदेश और वहांके लोगोंके भाग्यका फैसला करनेके लिए हम केवल रूसी प्रतिनिधियोंहीसे बातचीत करेंगे औरोंसे नहीं। फ्रान्सका जीता हुआ देश खाली करनेकी शर्तोंपर हम फ्रान्सके सिवा दुसरोंसे बातचीत ही न करेंगे। पोलेण्डके लिए केवल आस्ट्रिया हीसे तय करेंगे आधुनिक तुर्कीकी बेतुर्की प्रजाके लिए जो कुछ करना होगा, उसके विषयमें केवल तुर्की सरकारहीसे सलाह-मशविरा किया जायगा। इसप्रकार वैयक्तिकरूपसे निजी तौरपर समझौता करनेके बाद, मेरी रायमें, वे नया शक्ति-सामञ्जस्य

(Balance of power) पैदा करनेके लिए राष्ट्रसंघ स्थापित करनेकी बातको भी स्वीकार कर लेंगे, जिससे बाहरसे गड़बड़ होनेकी सम्भावना मिट जाय।

पर संसारने अब यह बात समझली है कि अनन्त आत्मबलि और स्वार्थत्याग करनेके बाद अब वह इस तरहकी सुलह करनेके लिए कभी राजी न होगा। जर्मन चान्सलर वही पद्धति इख्तियार करना चाहते हैं जो वायनाकी कांग्रेसमें इख्तियार की गई थी। हम अब उस जौर नहीं लौटना चाहते। हम अब उस अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिको चाहते हैं, जिसकी बुनियाद न्याय और स्वत्वोंपर हो। काउन्ट हर्टलिंग जो बातें कर रहे हैं, वे इस समयकी नहीं, गये गुजरे समयकी है। जान पड़ता है, जर्मन पार्लियामेन्टरिश्वेग-का १९ जुलाईका प्रस्ताव वे साफ भूल गये हैं या उसे जान बूझकर भूलना चाहते हैं। ये प्रस्ताव साधारण शान्तिके विषय में हैं, न कि एक राष्ट्रका दूसरे राष्ट्रको पादाक्रान्त करनेके विषयमें।

जिन प्रश्नोंका-जिन समस्याओंका-मैंने कांग्रेसके व्याख्यानमें जिक्र किया है, उनके न्याययुक्त समझौते पर संसारकी शान्ति निर्भर करती है। जहांतक इन प्रश्नोंका निपटारा निःस्वार्थ और निष्पक्ष न्यायसे न किया जायगा, वहां तक स्थायी शान्ति होना असम्भव है। इन प्रश्नोंका निपटारा करते वक्त हमें जिन लोगोंका इनसे सम्बन्ध है, उनकी आकांक्षाओं और उनकी मानसिक शान्ति आदि बातोंकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। इनका वादानुवाद अलग या कोनोंमें नहीं हो सकता। यह तो खुली तौरसे होना चाहिए, जिससे दुनिया इन पर अपनी राय कायम कर सके। हमें याद रखना चाहिए कि जिस बातका असर शान्तिपर पड़ेगा, मनुष्यजाति पर उसका असर अवश्य गिरेगा।

अमेरिकाकी यह इच्छा नहीं है कि वह योरपके मामलोंमें हस्तक्षेप करे और योरपके सीमा-सम्बन्धी झगड़ोंको निपटानेके लिए पञ्च बने। दूसरेकी भीतरी कमजोरी या अशान्तिसे फायदा उठाना वह घृणित कार्य समझता है। वह नहीं चाहता कि दूसरोंपर अपनी इच्छा लादी जाय। अगर कोई यह सूचित करे कि अमेरिका द्वाराकी गई सूचना सर्वोत्कृष्ट और स्थायी नहीं है, तो वह इस बातपर फिर गौर करनेके लिए तैयार है। अभी हमने जो शर्तें प्रकट की हैं वे केवल, हमारे सिद्धान्तोंको किस ढङ्गसे उपयोगमें लाने चाहिए, इसका दिग्दर्शन मात्र है। जर्मनीके फौजी मालिकोंने मनुष्य-जातिको जो भयङ्कर क्षति पहुँचाई है या पहुँचा रहे हैं और वे जिस तरहसे शान्ति और नियमोंका भङ्ग कर रहे हैं और संसारकी सभ्यताके नष्ट होनेका जो भय उपस्थित हो रहा है, बस, इन सब बातोंने रणके मैदानमें उतरने पर हमें मजबूर किया है। अब हम भी इस युद्धमें हिस्सेदार बन गये हैं। सुलहकी शर्तोंका असर हम पर भी अब वैसाही होगा, जैसा उन अन्य राष्ट्रों पर होगा, जो कि सभ्यताकी रक्षाके लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक कि लड़ाईके कारण मिटा न दिये जायँ; जब तक कि युद्धकी भावी सम्भावनायें प्रायः नष्ट न कर दी जायँ।

इस युद्धका मूल क्या है? इसका मूल यह है कि उन छोटे छोटे राष्ट्रोंकी रक्षा की जाय जिनके हकोंपर हमला किया गया है। ये राष्ट्र एक जबरदस्त शक्तिका मुकाबला करनेमें असमर्थ हैं। इनमें यह ताकत नहीं कि अपने हकोंकी रक्षा कर सकें। बस इन्हीं राष्ट्रोंको एक भयङ्कर शक्तिके पञ्जेसे बचानेके लिए इनकी स्वाधीनताकी रक्षा करनेके लिए—मित्रदल युद्ध कर रहा है। हम समझते हैं कि छोटेसे छोटे राष्ट्रको भी अपने ढँगसे अपना राजनैतिक जीवन

ढालनेका अधिकार है। इनके कार्यमें हस्तक्षेप करनेका—किसी बात-को स्वीकार करनेके लिए इन्हें मजबूर करनेका हक किसी राष्ट्रको नहीं है हम इस बातका प्रबन्ध करना चाहते हैं कि कोई बलवान् राष्ट्र निर्बल राष्ट्र पर हाथ न उठाने पावे और सब अपने अपने तौरसे अपना विकास करनेमें स्वतन्त्र रहें। अब हमें ऐसा संघ स्थापित करना चाहिए जिससे आगे ऐसी खराबियां न होने पावें और इसके पीछे उन शक्तियोंका संयुक्त बल रहे जो न्यायके साथ प्रेम करती है और न्याय-रक्षाके हेतु हर प्रकारका स्वार्थत्याग करनेके लिए तैयार रहती है। काउन्ट हर्टलिंगकी बात तो देखिए कि बड़े बड़े लोक—संख्या वाले देशोंके भूमि—सम्बन्धी झगड़ों को तो वे उन्हींसे तय करना ठीक सझते हैं, जिनका उनसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध है पर आर्थिक मामलों कोभी इस तरह निपटाना नहीं चाहते। इनके लिए वे कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्रका व्यापारिक और औद्योगिक जीवन सर्वसाधारणके समझौते और गारंटीसे सुरक्षित बना देना चाहिए। पर वे इस बातको भूलसे गये कि यह बात भी तभी हो सकती है, जब अन्य मामले भी सर्व साधारणके समझौतेसे तय किये जायँ।

काउन्ट जर्निन शान्तिके असल तत्वोंको साफ तौरसे देख रहे हैं और वे उन्हें छिपाना नहीं चाहते। वे यह बात जान रहे हैं कि स्वतन्त्र पोलैण्ड जो निखालिस पोलिस लोगोंका देश है, सारे योरपसे सम्बन्ध रखता है। अतएव पोलैण्डके मामलेका फैसला सारे योरपकी सलाहसे होना चाहिए। वे इस बातको मानते हैं कि बेल्जियम शत्रु फौजोंसे खाली होकर वापस लौटाया जाना चाहिए। अगर इसमें स्वार्थत्याग-पूर्वक सहूलियतें करना पड़े तो उनके लिए भी तैयार रहना चाहिए। उसकी राष्ट्रीय आकांक्षायें योरप और मनुष्यजातिके हितके लिए पूर्ण होनी चाहिए। हाँ, काउन्ट जर्निन कुछ ऐसे प्रश्नोंके लिए चुप्पी साधे हुए हैं, जिनका असर उनके मित्र-राष्ट्रोंपर

अधिक पड़ता है, तो इसका कारण मैं समझता हूं, आस्ट्रिया पर जर्मनीका प्रभाव है। उन्हें दिलमें यह जरूर मालूम होता होगा कि अमेरिकाके युद्ध-सम्बन्धी जो उद्देश और आदर्श हैं, वे ग्रहण करने योग्य हैं; पर जर्मनीकी परतन्त्रतामें दबकर वे ऐसा नहीं कर सकते।

जो कुछ भी हो। शान्ति नीचे लिखे तत्वोंहीसे सम्पादित हो सकती है। वे तत्व ये हैं:—

(१) प्रत्येक प्रश्नका निपटारा विशुद्ध न्यायके तत्वोंपर किया जाय और वह इसप्रकारका हो, जिससे स्थायी शान्ति हो जाय। (२) प्रजा और प्रान्त, लुढ़कते हुए गेंदकी तरह, एक राज्यके हाथसे दूसरे राज्यके हाथमें न लुढ़काये जायँ। शक्ति-सामञ्जस्यके तत्वको सम्मान न दिया जाय (३) हरप्रकारका भूमि-सम्बन्धी समझौता करते समय खास कर प्रजाके हितकी ओर ध्यान दिया जाय।

जिस सुलहकी नींव इन तत्वोंपर पड़ेगी, उसीपर बातचीत हो सकेगी। जहांतक इस तरहकी सुलह न होगी तहांतक सिवा युद्ध शुरू रखनेके हम किसी बातको पसन्द न करेंगे। जहांतक हम सोच सकते हैं, जर्मनीके फौजी मुखियाओं और दूसरोंकी भूमि दबानेकी इच्छा रखनेवाले लोभी पुरुषोंको छोड़कर हमारे ये तत्व सबको पसन्द होंगे। दुःखकी बात यह है कि जिन तत्वोंको संसार न्याय-तत्व समझ रहा है, उनका घात करनेके लिए जर्मनीके फौजी मालिक लाखों सैनिकोंको मौतके मुखमें भेज रहे हैं।

मैं अमेरिकाके लोगोंकी ओरसे फिर यह न कहूँ तो अपने कर्तव्यसे च्युत होऊँगा कि हम बिना तत्वोंकी पूर्तिके युद्धसे कभी पैर पीछे न हटावेंगे। हमारे युद्धके साधन कुछ सुसङ्गठित हुए हैं और हम इन्हें पूर्ण रीतिसे सुसङ्गठित किये बिना न रहेंगे। हमारी फौजें युद्ध-क्षेत्रमें झपाटेसे जा रही हैं और आगे भी बहु संख्यकरूपसे वैसीही झपाटेके साथ जाती रहेंगी। हम रक्षाके लिए युद्ध कर रहे हैं।

स्वेच्छाचारी एकतन्त्री शासकोंने संसारमें जैसा ऊधम मचा रक्खा है, उसके नाशके लिए हम दूने बलसे लड़ते रहेंगे। इसमें हमें जो कठिनाइयां पड़ेंगी उन्हें हम खुशीसे झेलेंगे। हम समझते हैं कि मनुष्य-जातिके कल्याणके लिए—न्यायकी रक्षाके लिए—जो हम नई अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करना चाहते हैं उससे प्रत्येक सहृदय और सभ्य मनुष्यकी सहानुभूति होगी। इस प्रकारकी अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिके बिना संसार अशान्तिमय बना रहेगा। और मानवी जीवनको विकासका मौका न मिलेगा। हमने इस पवित्र और महान् कार्यमें हाथ लगाया है और बिना इसकी सिद्धि हुए हम कभी अपना हाथ पीछे न हटावेंगे। मैंने यह बातें इसलिए कहीं हैं कि सारा संसार अमेरिकाके सच्चे भावोंको समझ ले। हम संसारको दिखला दें कि हमारा आदर्श कितना ऊँचा है और इस आदर्शकी सिद्धिके हम केवल जबानी जमाखर्चही नहीं करते हैं; पर प्रत्यक्ष तन, मन, धन झोंककर काम भी करते हैं। हमें दिखला देना चाहिए कि अमेरिकाकी शक्ति किसी राष्ट्रके लिए जोखिम नहीं है। हमें दिखा देना चाहिए कि दूसरोंको पादाक्रान्त करनेके लिए तथा अपने नीच स्वार्थकी सिद्धिके लिए हम अपनी शक्तिका उपयोग न करेंगे। हमारी शक्ति स्वाधीनताकी रक्षा तथा सेवाके लिए काम आवेगी।

सब फौजमें भरती हो जाओ।

(प्रेसिडेन्ट विल्सनने १ सितम्बर १९१८ को 'लेबर डे' के अवसर पर निम्न-लिखित आशयका व्याख्यान दिया था।)

आप इस युद्धकी असलियत जानते हैं। यह युद्ध ऐसा है जिसे उद्योग-धन्धोंकी ओरसे भरपूर सहायता मिलनी चाहिए। इस युद्धमें देशमें काम करने वाले मज़दूरोंका वही महत्व है, जो रणके मैदानमें लड़ने वाले सिपाहियोंका है। सिपाही मज़दूरोंके प्रतिनिधि हैं। जबसे इस देशमें स्वाधीनताका सूर्य उदय हुआ तबसे न्यायके लिए हमारे

देशके मजदूर जिस आदर्शकी स्थापना करते आरहे हैं, वह युद्धमें हार जानेसे नष्ट भ्रष्ट हो जायगा । रणमें लड़नेवाले सिपाहियोंके लिए विजयकी सामग्री उपस्थित करने वाले मजदूर ही हैं ।

हमारे सिपाही पवित्र उद्देशके लिए मर रहे हैं । वे अपने राष्ट्रके किसी स्वार्थके लिए नहीं लड़ रहे हैं । पर मनुष्य-जातिकी स्वाधीनताके लिए अपना खून वहा रहे हैं । वे इस लिए अपनी जानें दे रहे हैं कि भविष्यमें मनुष्यजातिकी स्वाधीनतामें इस प्रकारकी कोई बाधा उपस्थित न हो और अमेरिकाके पवित्र आदर्शोंकी पूर्ति हो । वे अपने देशके आदर्शोंकी रक्षाके लिए लड़ रहे हैं । वे उन आदर्शोंके लिए—महान् आदर्शोंके लिए—अक्षय्य आदर्शोंके लिए—लड़ रहे हैं जो सब लोगोंके लिए उन स्थानोंमें प्रकाश डालेंगे जहां न्यायका साम्राज्य है और मनुष्य अपनी प्रियतम वस्तु स्वाधीनताको—भोगते हैं । यही कारण है कि वे दिव्य आनन्द और उत्साहके साथ लड़ रहे हैं । वे इस पवित्र उद्देशको लेकर अपनी जानें दे रहे हैं कि सारा संसार स्वतन्त्र हो जाय, सबको समानरूपसे न्यायमिले और कुछ स्वार्थी राज्य-शासनकर्ता संसारकी शान्तिमें विघ्न न डाल सकें, और उन लोगोंको अपने हाथकी कठ पुतली न बनासकें जिनकी शक्तिपर उनकी सत्ता निर्भर करती है । हर्षकी बात है कि इस देशकी सिद्धिके लिए हमारा सारा राष्ट्र एक दिल हो रहा है । वह इस मामलेमें किसी खास फिर्के हीसे सलाह मशविरा नहीं कर रहा है । वह किसी निजी स्वार्थका खयाल नहीं कर रहा है, इसका मन बिलकुल साफ है । नये विचारोंका प्रकाश हमारे देशकी हरएक काममें प्रविष्ट हो गया है । हम इस बातको अब बहुत अच्छी तरह जानने लगे हैं कि हमारा सारा राष्ट्र एक दिल है और एक दिल होनेसे अजेय है । अतएव आइए । हम अब संसारको नये और सुदिनकी प्राप्तिके पथ पर ले जानेके लिए हाथ मिलावें ।